खण्ड-449, अंक-3
सोमवार, 4 श्रावण, शक संवत् 1926
(26 जुलाई, 2004 ई0)

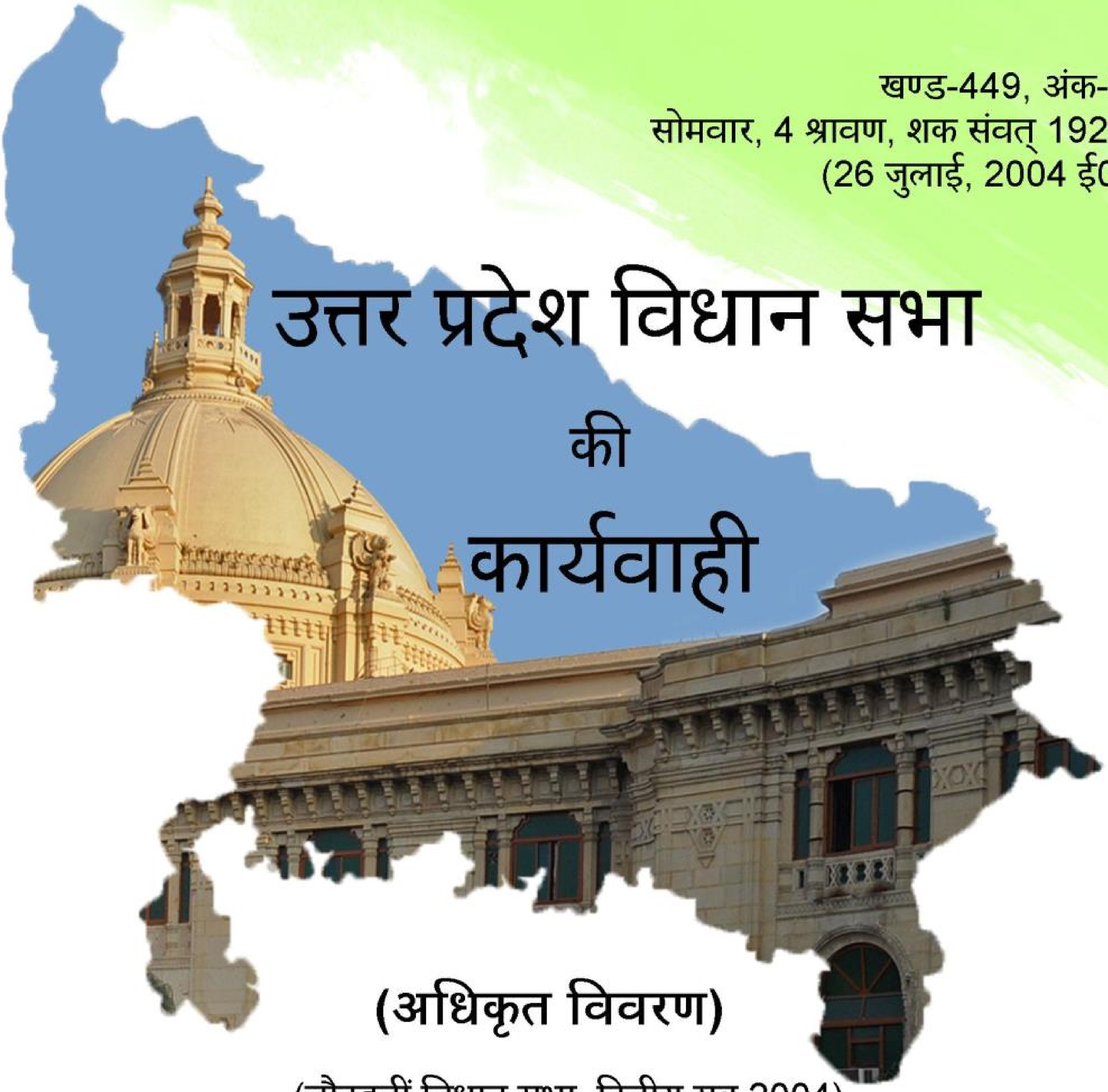

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र 2004)

खण्ड 449 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2004

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क–च
प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर नियम–311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सुने जाने की मांग (जारी)	1
प्रश्नोत्तर	1–74
विधान सभा अध्यक्ष का निर्वाचन	74
नव निर्वाचित अध्यक्ष, विधान सभा, श्री माता प्रसाद पाण्डेय को बधाई (जारी)...	74-78
श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद सत्तापक्ष द्वारा हथिया लिये जाने के आरोप पर मुख्य मंत्री की आपत्ति	78–79
नव निर्वाचित अध्यक्ष, विधान सभा, श्री माता प्रसाद पाण्डेय को बधाई (जारी)...	79–82
सदन को कल तक स्थगित किये जाने का सुझाव	82–84
प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर नियम-311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सुने जाने की मांग (जारी)...	84
नव निर्वाचित अध्यक्ष, विधान सभा, श्री माता प्रसाद पाण्डेय को बधाई	84–85
नव निर्वाचित अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा सदन के प्रति आभार व्यक्त किया जाना	85–86
प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर नियम–311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सुने जाने की मांग (जारी)	86–87
अध्यक्ष पीठ का ध्वनि विस्तारक यंत्र ठीक कराये जाने का निर्देश	87–88
प्रदेश में खराब कानून-व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर नियम–311 के अन्तर्गत दी गई सूचना को सुने जाने की मांग	88
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2004 [जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ] (सदन के पटल पर रखा गया) ...	88
नेता विरोधी दल के सुझाव पर मा० अध्यक्ष के निर्वाचन की खुशी में सदन की आज की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव.. ... ... (स्वीकृत)	88
नत्थियाँ	89–90

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 26 जुलाई, 2004

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11.00 बजे कार्यकारी अध्यक्ष डा० वकार अहमद शाह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य 350

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय कुमार, डा०	बागपत
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार, श्री	बुलन्दशहर
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार पासवान, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	सन्त कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी
अमरमणि, श्री	महराजगंज
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द गिरि, श्री	खीरी
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा०	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा०	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह) श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर०एस०कुशवाहा, श्री	खीरी
आर०के०चौधरी, श्री	लखनऊ
आलम वदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश (ओ०पी०सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतबुद्दीन अन्सारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्णानन्द राय, श्री	गाजीपुर
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौशल किशोर, श्री	खीरी
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा०	उन्नाव
गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
गया चरन दिनकर, श्री	बांदा
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
छेदी राम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकरनगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देव नारायण उर्फ जी० एम० सिंह, श्री	गोरखपुर
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा०	सहारनपुर
धर्मेन्द कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्धनगर
नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, डा०	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र सिंह सिसौदिया, श्री	गाजियाबाद
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्धनगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी० के० राय, डा०	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	वाराणसी
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फसीहा बशीर, चौधरी (गजाला)	देवरिया
फागू, श्री	मऊ
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबूराम, एम०काम०, श्री	जालौन
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल, चौधरी	आगरा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मतेश चन्द्र सोनकर, श्री	कौशाम्बी
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन सिंह उर्फ सन्तोष कुमार, श्री	इटावा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मलिक मसूद, श्री	आजमगढ़
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ०, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा	आगरा
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह जाटव, चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इरशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद बशीर, चौधरी	आगरा
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो० शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा०	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भइया, श्री	प्रतापगढ़
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश कान्त लवानिया, श्री	आगरा
रमेश चन्द्र बिन्द, डा०	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो०	मेरठ
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजवीर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा०	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	वाराणसी
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
रामबाबू हरित, डा०	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
राम स्वरूप सिह, श्री	बिजनौर
रामहेत, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा०	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
वकार अहमद शाह, डा०	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदासनगर भदोही
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विनय शाक्य, श्री	औरैया
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा०	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
बिश्राम सिह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला ''भगत राजा''	ललितपुर
वेदराम भाटी श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्तरविदासनगर भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शिव पाल सिह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा०	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्धया कठेरिया, कु०	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुं०	मुरादाबाद
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर
सिद्ध गोपाल, साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर डा०, श्री	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सुशील चौधरी, डा०	सहारनपुर
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" श्री	वाराणसी
हीरा लाल गौतम, श्री	आजमगढ़
हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर

नोट :–श्री रामप्यारे सिंह (पर्यावरण मंत्री) एवं श्री अजीत कुमार राजू (बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सुने जाने की मांग

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने लिखकर दिया है हमारी बात सुन लें ।

(श्री राम इकबाल सिंह, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री ओम प्रकाश (ओ०पी० सिंह) तथा श्री नवाब सिंह नागर के साथ भा०ज०पा० और ब०स०पा०के अनेक सदस्य एक साथ अपनी-अपनी बात कहने का प्रयास करते हुए और नारे लिखे बैनर दिखाते हुए सदन के वेल में आ गये और नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान पैदा हो गया)

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने स्थान पर जायं ।

(सदन के वेल में आये हुए सदस्य नारे लगाते रहे, जिससे सदन में घोर व्यवधान बना रहा)

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

आप लोग जो कहना चाहते हैं, अपने स्थान पर जाकर कहें ।

(घोर व्यवधान)

मैं सदन को 12.20 बजे तक स्थगित करता हूं ।

(घोर व्यवधान के कारण श्री कार्यकारी अध्यक्ष ने 11 बजकर 03 मिनट पर सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी)

प्रश्नोत्तर †

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

किसानों के गन्ना मूल्य के बकाये का चीनी मिलों द्वारा भुगतान

**1–श्री जगदम्बिका पाल तथा श्री प्रमोद कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों का सत्र 2002-2003 के गन्ना मूल्य के बकाये का चीनी मिलों द्वारा पूरा भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उन बकाया मिल मालिकों के खिलाफ कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

पेराई सत्र 2002-03 में खलीलाबाद एवं कप्तानगंज चीनी मिलों को छोड़कर शेष चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों का समस्त गन्ना मूल्य का भुगतान कर दिया गया है ।

पेराई सत्र 2002-03 में खलीलाबाद चीनी मिल पर 77.32 लाख रुपया तथा कप्तानगंज चीनी मिल पर 260.42 लाख रुपया बकाया है, जिसकी वसूली के लिए वसूली प्रमाण-पत्र जारी किये गये तथा उक्त चीनी मिलों के खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्यवाही की गयी ।

---

† उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1558 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्तमान में खलीलाबाद चीनी मिल का प्रकरण डैट रिकवरी ट्रिब्यूनल में लम्बित है तथा यह चीनी मिल रूग्ण होने के कारण वर्ष 2003 से बी०आई०एफ०आर० में पंजीकृत है। कप्तानगंज चीनी मिल की कुर्क की गयी चीनी की नीलामी पर मा० उच्च न्यायालय का स्थगनादेश है तथा गिरफ्तारी पर रोक है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

रेलगाड़ियों में संगठित गिरोहों द्वारा जहरखुरानी की घटनाओं पर रोक लगाये जाने हेतु प्रभावी कार्य योजना की मांग

*1–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि रेलगाड़ियों से सफर करने वाले लोगों को, संगठित गिरोहों द्वारा जहरखुरानी का शिकार होना पड़ रहा है ? उक्त जहरखुरानी की घटनाओं पर रोक लगाये जाने हेतु कोई प्रभावी कार्य योजना बनाने एवं उसे लागू करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश जी०आर०पी० के अन्तर्गत संगठित गिरोहों द्वारा जहरखुरानी के अपराधों का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है।

जहरखुरानी की घटनाओं पर अंकुश लगाये जाने के लिए उत्तर प्रदेश जी०आर०पी० द्वारा निम्नलिखित प्रभावी कार्यवाही की गयी है :–

जहरखुरानी के अपराधों की रोकथाम के लिए रेलवे स्टेशनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों द्वारा यात्रियों को किसी अपरचित व्यक्ति द्वारा दी गयी कोई वस्तु न खाने-पीने की घोषणा करायी जाती है। रेलवे प्लेटफार्म व बुकिंग विन्डों तथा प्रतीक्षालय में यात्रियों को सचेत करने हेतु पोस्टर लगाये गये हैं। प्रभावित ट्रेनों को चिन्हित कर जहरखुरानी के अपराधों के नियंत्रण हेतु रेलवे /आर०पी०एफ० एवं जी०आर०पी० द्वारा संयुक्त चेकिंग की जाती है। जहरखुरानी के अपराध घटित होने पर पीड़ित व्यक्ति को पूर्व में जहरखुरानी के अपराधों में प्रकाश में आये अभियुक्तों का फोटो एलबम दिखाकर पहचान करायी जाती है। सादे वस्त्रों में टीम गठित कर "डीक्याय" स्कीम लागू की गयी है। प्रत्येक रात्रिकालीन ट्रेनों में एस्कोर्ट व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। इन प्रयत्नों से जहरखुरानी के अपराध के नियंत्रण में सफलता मिली है।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्त विभाग द्वारा विभागाध्यक्षों को अपने अधीन जनपद स्तरीय आहरण वितरण अधिकारियों को मद–49 चिकित्सा व्यय का बजट नियमित बजट आवंटन के साथ न करने के आदेश

*2–डा० विनोद तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त विभाग द्वारा विभागाध्यक्षों को वर्ष 2003-2004 के लिए कोई ऐसे आदेश/निर्देश निर्गत किये गये हैं कि वे अपने अधीन जनपद स्तरीय आहरण वितरण अधिकारियों को मद–49 चिकित्सा व्यय का बजट नियमित बजट आवंटन के साथ न करें ? यदि हां, तो विभागाध्यक्षों द्वारा उक्त मद का बजट आवंटित न करने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार विभागाध्यक्षों को संशोधित आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, व्यय की मानक मद–49 चिकित्सा व्यय का बजट नियमित बजट आवंटन के साथ आवंटित न करने का कोई आदेश वित्त विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है ।

"49–चिकित्सा व्यय" का बजट आवंटन मांग के औचित्य/आवश्यकता का परीक्षण कर विभागाध्यक्षों तथा अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा किया जाता है ।

आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में आवास विकास परिषद् द्वारा भवन निर्माण कराये जाने हेतु प्रस्तावित आवासीय योजना

*3–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में आवास विकास परिषद् द्वारा भवन निर्माण कराये जाने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक प्रारम्भ होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । आवासीय योजना प्रस्तावित है ।

भू-अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगति पर है भू-अर्जन के पश्चात् निर्माण की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कारागारों में निरुद्ध बन्दियों के भोजन की धनराशि की दरें संशोधन करने की मांग

*4–श्री रविन्द्र पुण्डीर–

क्या कारागार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में कारागारों में निरुद्ध बन्दियों के भोजन पर प्रतिदिन एवं प्रति व्यक्ति कितनी धनराशि निर्धारित है ? क्या मंत्री जी बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए कैदियों के भोजन पर व्यय होने वाली धनराशि की दरें संशोधित करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कारागार मंत्री (श्री राकेश कुमार वर्मा)–

कारागारों में निरुद्ध बन्दियों के भोजन पर प्रतिदिन एवं प्रति व्यक्ति धनराशि निर्धारित नहीं है । बन्दियों के भोजन सामग्री की मात्रा प्रतिदिन एवं प्रति बन्दी निर्धारित है ।

बन्दियों के भोजन पर व्यय होने वाली धनराशि की दर निर्धारित न होने के कारण धनराशि संशोधन का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

राज्य विधि आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

*5–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी––

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यायमूर्ति श्री के० एन० गोयल की अध्यक्षता में गठित राज्य विधि आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मा० न्यायमूर्ति श्री के०एन० गोयल की अध्यक्षता में गठित राज्य विधि आयोग द्वारा 18 प्रतिवेदन विधायी विभाग को संदर्भित किये गये थे जिनमें की गई संस्तुतियों का कार्यान्वयन विधायी विभाग द्वारा किया जा रहा है । उक्त संस्तुतियों में से चार पर कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है जिसका विवरण संलग्न है तथा दो के सम्बन्ध में विधायन बनाये जाने की कार्यवाही की जा रही है । शेष संस्तुतियों का कार्यान्वयन शासन के सम्बन्धित विभागों के स्तर पर विचाराधीन है ।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 89 पर ।)

प्रदेश के रोजगार हेतु गांवों से शहरों की ओर पलायन रोकने हेतु क्रियान्वित योजनायें

*6–श्रीमती विमला राकेश –

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोजगार हेतु प्रदेश के गांवों से शहरों की ओर पलायन रोकने हेतु सरकार द्वारा कोई प्रभावी कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राजपाल त्यागी)–

जी हां । रोजगार हेतु प्रदेश के गांवों से शहरों की ओर पलायन रोकने हेतु दो प्रमुख योजनायें क्रियान्वित की जा रही है ।

यह योजनायें हैं, स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना एवं सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ।

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत बैंक ऋण और सरकारी अनुदान के माध्यम से आय-सृजन करने वाली परिसम्पत्तियां गरीब परिवारों को उपलब्ध कराकर उन्हें स्वरोजगार का अवसर उपलब्ध कराया जाता है ताकि वे स्वयं के प्रयास से गरीबी रेखा के ऊपर आ सके व आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बन सके ।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार के अतिरिक्त अवसरों का सृजन किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० पुलिस में कांस्टेबिलों को प्रशिक्षण उपरान्त ए०पी० व सी०पी० क्लास में बांटने संबंधी व्यवस्था को समाप्त करने की मांग

*7–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० पुलिस में कांस्टेबिलों को प्रशिक्षण उपरान्त ए०पी० व सी०पी० क्लास में बांट दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस व्यवस्था को समाप्त कर दिल्ली एवं राजस्थान की तरह 5-5 वर्ष का कार्यकाल ट्रैफिक पुलिस, थाना पुलिस, पुलिस लाइन व पुलिस के अन्य विभागों में तैनात किये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उत्तर प्रदेश पुलिस ने कांस्टेबिलों को सशस्त्र पुलिस (ए०पी०) तथा नागरिक पुलिस (सी०पी०) में बांटने तथा स्थानान्तरित करने की कार्यवाही उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन के प्रस्तर–525 की व्यवस्था के अनुसार की जाती है । इसके अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक, उत्तर प्रदेश के परिपत्र संख्या-डी०जी०-4-110(164)85, दिनांक 25-4-1985 में निहित निर्देशों के अनुसार हाई स्कूल की शैक्षिक

योग्यता वाले कांस्टेबिलों को प्रशिक्षण के बाद ए०पी० में रखने तथा इसके ऊपर की योग्यता रखने वाले कांस्टेबिलों को नागरिक पुलिस में रखने की व्यवस्था है ।

इस बारे में दिल्ली एवं राजस्थान राज्य शासन से सूचनायें प्राप्त की जा रही हैं ।

प्रदेश में राजकीय कार्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने की मांग

*8–श्री दयाशंकर वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश में राजकीय कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु भी 62 वर्ष करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । मात्र अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की ही सेवानिवृत्ति की अधिवर्षता की आयु 62 वर्ष की गयी है । राजकीय कार्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राजकीय कर्मचारियों के समान हैं । राजकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष ही है ।

राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा माननीय मंत्रियों व अन्य को आवंटित वाहनों की जानकारी

*9–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सम्पत्ति विभाग के कितने वाहन वर्तमान में मा० मंत्रियों, प्रमुख सचिवों, विशेष सचिवों, संयुक्त सचिवों को आवंटित हैं ? यदि हां,तो मितव्ययिता को दृष्टिगत रखते हुए इन वाहनों के ईधन पेट्रोल की फिजूल खर्च पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा कुल 112 वाहन वर्तमान में मा० मंत्री, प्रमुख सचिव, विशेष सचिवों को उपलब्ध कराये गये हैं । मितव्ययिता के दृष्टिगत आवश्यकतानुसार ही ईधन पेट्रोल खर्च किया जा रहा है ।

उपरोक्तानुसार ।

राज्य सम्पत्ति विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय में निष्प्रयोज्य पड़े वाहनों की नीलामी हेतु जानकारी

*10–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य सम्पत्ति विभाग उ० प्र० सचिवालय में कितने सरकारी वाहन कितने दिनों से निष्प्रयोज्य पड़े हैं ? उन्हें अब तक नीलाम न करने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार उक्त वाहनों की नीलामी करने हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । राज्य सम्पत्ति विभाग उ०प्र० सचिवालय में कुल 07 सरकारी वाहन दिनांक 8-1-04 को 01, दिनांक 19-1-04 को 01 तथा दिनांक 20-2-04 को 05 वाहन निष्प्रयोज्य घोषित किये गये हैं ।

नीलामी की कार्यवाही के दौरान निर्धारित मूल्य के समतुल्य कीमत न प्राप्त होने के कारण वाहन नीलाम नही हो सके ।

प्रश्न नही उठता ।

नगरपालिकाओं के केन्द्रीयित कर्मचारियों को पारिवारिक पेंशन दिये जाने की मांग

*11–श्री आनन्द प्रकाश लोधी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिकाओं के केन्द्रीयित कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों की भांति ही पारिवारिक पेंशन दिये जाने का निर्णय दिनांक 24-8-02 को सरकार द्वारा लिया गया था ? यदि हां, तो क्या तत्सम्बन्धी शासनादेश जारी कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त शासनादेश कब तक जारी कर दिया जायेगा ?

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

जी नही ।

प्रश्न नही उठता ।

बलिया जनपद के द्वाबा विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की मांग

*12–श्री राम इकबाल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद के द्वाबा विधान सभा क्षेत्र में अनेक गांवों में दूषित पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी नही ।

वर्तमान में जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र द्वाबा के समस्त ग्रामों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है ।

प्रश्न नही उठता ।

*13–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[नियम 28 (7) के अन्तर्गत निरस्त]

राजकीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की मांग

*14–कुँवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के सरकारी विद्यालयों के सरकारी शिक्षकों की भांति सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सरकारी विद्यालयों के सरकारी शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष नही की गयी है । राजकीय शिक्षक, राजकीय कर्मचारियों के समान हैं । राजकीय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु राजकीय कर्मचारियों की भांति 60 वर्ष ही है ।

उ०प्र० सचिवालय के समीक्षाधिकारियों को 24 वर्ष की सेवा के फलस्वरूप प्रदत्त वेतनमान से उत्पन्न विसंगति को समाप्त करने की मांग

*15–श्री सुन्दर सिंह तथा श्रीमती सुखदेवी वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि समयमान वेतनमान विषयक वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 2 दिसम्बर, 2000 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षाधिकारियों को 24 वर्ष की सेवा पर वेतनमान रु० 10,000-15200 स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है ? क्या यह सत्य है कि अनुभाग अधिकारी का वेतनमान रु० 6500-10500 है और समीक्षा अधिकारी को उक्त शासनादेश के अनुरूप वेतनमान रु० 10000 से 15200 अनुमन्य है ? क्या यह सही है कि समीक्षा अधिकारी, अनुभाग का अधीनस्थ कर्मचारी है और उसका वेतनमान अधिक हो गया है ? यदि हां, तो क्या अनुभाग अधिकारियों के साथ हुई प्रश्नगत विसंगति को शासन समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । वेतन समिति (97-99) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान की स्वीकृति विषयक शासनादेश दिनांक 2-12-2000 की व्यवस्थानुसार नियमित रूप से नियुक्त समीक्षा अधिकारियों को 24 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर रु० 10000–15200 का वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होता है । जी हां । किन्तु समीक्षा अधिकारी के पद की वेतनमान रु० 5500-9000 है और समीक्षा अधिकारी को समयमान वेतनमान की सुविधा के अन्तर्गत 24 वर्ष की सेवा पर रु० 10000 से 15200 का वेतन वैयक्तिक वेतन के रूप में अनुमन्य है । समीक्षा अधिकारी (वेतनमान रु० 5500–9000) अनुभाग अधिकारी (वेतनमान रु० 6500-10500) के अधीनस्थ कर्मचारी है तथा समीक्षा अधिकारी के पद के वेतनमान से अधिक नही है । केवल उन्हीं समीक्षा अधिकारी का वेतनमान अनुभाग अधिकारी से अधिक है जिन्हें एक पद पर 24 वर्ष की सतत संतोषजनक सेवा के उपरान्त वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 2-12-2000 की व्यवस्था अनुसार रु० 10000–15200 का वेतनमान स्वीकृत किया जा चुका है । प्रश्न नही उठता । समयमान वेतनमान की व्यवस्था में एक पद पर रहते हुए निर्धारित सेवा अवधि पर द्वितीय प्रोन्नति के पद का वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य होता है और संबंधित पदधारक की प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नही होता है । इस स्थिति में किसी समीक्षा अधिकारी का वैयक्तिक वेतन उसके प्रथम पदोन्नति के पद अथवा उसके अनुभाग अधिकारी के वेतनमान से उच्च हो सकता हैं । अतः इसमें किसी प्रकार की विसंगति नहीं है ।

प्रश्न नही उठता ।

प्रश्न नही उठता ।

उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक के गिलास व प्लास्टिक की थाली बनाने वाली फैक्ट्रियों पर सरकार द्वारा रोक लगाने की योजना

*16–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा तथा

श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या सरकार यह बतायेगी कि सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्लास्टिक के गिलास व प्लास्टिक की थाली बनाने वाली फैक्ट्रियों पर रोक लगाने की सरकार ने कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यावरण मंत्री (श्री राम प्यारे सिंह)–

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत प्राख्यापित पुनः चक्रित प्लास्टिक विर्निर्माण एवं उपयोग नियम, 1999 यथा संशोधित द्वारा प्लास्टिक से बनने वाली सामग्रियों के निर्माण एवं उपयोग को विनियमित किया गया है । उक्त नियमावली के प्राविधानों के अनुसार अक्षत एवं पुनः चक्रित प्लास्टिक कैरी बैग और पुनः चक्रित प्लास्टिक आधानों के विर्निर्माण विक्रय और उपयोग पर न्यूनतम मोटाई के साथ-साथ न्यूनतम लम्बाई, चौड़ाई भी निर्धारित की गई है । पुनः चक्रित प्लास्टिक का उपयोग खाद्य पदार्थ के हथालन में न करने तथा विनिर्माण कर्ताओं के पंजीकरण की व्यवस्था भी है । मुख्य सचिव की ओर से समस्त मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को इन नियमों के पालन हेतु निर्देश भी जारी किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के महानगरों में अवैध कालोनियों एवं आवासों के विनियमितीकरण हेतु शासन की योजना

*17–डा० नरेन्द्र कुमार सिंह गौर –

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के महानगरों में अवैध कालोनियों एवं आवासों के विनियमितीकरण हेतु शासन ने कोई नीति अथवा कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो वह कार्य योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव –

जी हाँ। शासनादेश संख्या–5097/9-आ-3-2001 (आ०ब०) दिनांक 26 मई, 2001 द्वारा अनधिकृत कालोनियों के विनियमितीकरण के सम्बन्ध में उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत नीति बनायी गयी है जिसके अन्तर्गत नियमितीकरण के सिद्धान्त, नियमितीकरण की शर्तें तथा भविष्य में अनधिकृत विकास/निर्माण के नियंत्रण हेतु आवश्यक प्राविधान किए गये हैं।

महानगरों में हुए ऐसे विकास/निर्माण, जिनमें उ०प्र नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा-15 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गयी है, को चिन्हित कर, भौतिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण कर तथा ले-आउट प्लान तैयार करने के उपरान्त प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन से विकास कार्य यथा सड़क, ड्रेनेज, जलापूर्ति, मलनिकास, विद्युत आपूर्ति आदि का प्राविधान प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित कराये जाने की व्यवस्था है। विकास कार्यों पर होने वाला व्यय संबधित कालोनी के परिवारों द्वारा वहन किया जायेगा। ले-आउट के अनुमोदनोपरान्त व्यक्तिगत भवनों में हुए निर्माण का शमन उक्त अधिनियम की धारा–32 के अधीन किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

*18–श्री सुखदेव राजभर, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा श्री ओ० पी० सिंह—

[दूसरे मंगल के तारा० प्र० सं०–6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।

पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारी तथा पारिवारिक पेंशन पाने वालों को प्रतिवर्ष जीवित होने का प्रमाण-पत्र पेंशन मिलने वाले स्थानीय बैंक में ही देने की मांग

*19–श्री द्वारिका प्रसाद–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेंशन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों तथा पारिवारिक पेंशन पाने वालों को प्रतिवर्ष अपने जीवित होने का प्रमाण–पत्र देने हेतु जिला मुख्यालय स्थित वरिष्ठ कोषाधिकारी कार्यालय पर उपस्थित होना पड़ता है ? क्या यह सही है कि पेंशन पाने वाले अत्यन्त वृद्ध और बीमार व्यक्तियों को आने-जाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या

सरकार पेंशनरों को अपने जीवित होने का प्रमाण, पेंशन मिलने वाले स्थानीय बैंक में ही देने के सम्बन्ध में आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी नहीं, पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों द्वारा अपने जीवित होने का प्रमाण-पत्र स्वयं या किसी वाहक के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को उपलब्ध कराया जा सकता है।

कठिनाई होना स्वाभाविक है।

पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई है कि जीवित होने का प्रमाण-पत्र उत्तर प्रदेश में स्थित उस बैंक शाखा के प्रबन्धक द्वारा भी दिया जा सकता है, जिस बैंक शाखा में सम्बन्धित पेंशनर का पेंशन खाता (एकल नाम बैंक खाता है)।

प्रश्न नहीं उठता।

सूती कताई मिल, बांदा, राजकीय उपक्रम के श्रमिकों को वेतन भुगतान की मांग

*20–श्री बाबू लाल कुशवाहा—

क्या सरकार को जानकारी है कि सूती कताई मिल, बांदा राजकीय उपक्रम को सरकार की बिना अनुमति के प्रबन्धतन्त्र द्वारा 03 दिसम्बर, 1998 से बन्द कर दिया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त मिल के श्रमिकों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मिल को पुनः चालू करके श्रमिकों के बकाये का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

उ० प्र० स्टेट यार्न कम्पनी लि० की बाँदा स्थिति कताई मिल में उत्पादन कार्य निरन्तर घाटे और कार्यशील पूँजी के अभाव में दिनांक 3-12-1998 से बंद कर दिया गया था। अब यह मिल औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25 (ओ) के अन्तर्गत दिनांक 10-2-2000 से विधिक रूप से बंद कर दी गयी है।

कम्पनी के पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध न होने के कारण इस मिल के कर्मियों/श्रमिकों के बकाया वेतन एवं अन्य अवशेष देयों का भुगतान नहीं किया जा सका है।

विधिक रूप से बंद इस मिल को पुनः सार्वजनिक क्षेत्र में चलाया जाना संभव नहीं है। इस मिल में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना भी लागू कर दी गयी है। इसका प्रकरण औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०आर०) को संदर्भित है। इस मिल के श्रमिकों के बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में कार्यवाही बी०आई०आर० द्वारा निर्देश पारित होने पर ही हो सकेगी।

अतारांकित प्रश्न

राज्य में पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्तों की मृत्यु तथा उनके भागने पर पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही

1–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि पिछले पांच वर्षों में राज्य में पुलिस अभिरक्षा में रहते हुए कितने अभियुक्तों की मृत्यु हुई तथा कितने अभियुक्त भागने में सफल हुए ? क्या सरकार द्वारा उन पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

2–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

[दूसरे शुक्रवार के अता० प्र० सं०–8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

ग्राम सभाओं की भूमि विनियमितीकरण से प्राप्त धनराशि का उपयोग

3–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र, 2004 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–57 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत भूमि के विनियमितीकरण से प्राप्त रु० 11,75,000/- की धनराशि का कुछ अंश क्या ग्राम गाजीपुर के निवासियों को नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम, लखनऊ द्वारा व्यय की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां । ग्राम सभाओं की भूमि विनियमितीकरण से प्राप्त धनराशि नगर निगम कोष में जमा किया जाता है तथा नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ नगर निगम द्वारा प्रत्येक क्षेत्र में विकास कार्य कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

आवास एवं विकास परिषद् द्वारा संचालित इंदिरा नगर द्वितीय विस्तार भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना हेतु भूमि अधिग्रहीत किये जाने का प्रस्ताव

4–श्री विद्या सागर गुप्ता –

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2004 के प्रथम सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–10 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत योजना में प्रतिकर वितरण हेतु जो रु० 8.60 करोड़ दिनांक 23-1-03 को अपर जिलाधिकारी, लखनऊ को उपलब्ध कराया गया है उसमें से कितनी धनराशि किसानों की अधिगृहीत भूमि के मुआवजे के रूप में वितरित की जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

भूमि के प्रतिकर के रूप में दिनांक 23-1-2003 द्वारा रुपये 8.60 करोड़ की धनराशि राजकीय कोषागार में जमा कराई जा चुकी है । दैनिक समाचार पत्रों एवं अन्य माध्यमों से सूचना दिये जाने के

बाद भी कोई भी किसान मुआवजा लेने के लिए उपस्थित नहीं हुआ जिसके कारण मुआवजे की धनराशि वितरित नहीं की जा सकी ।

उपरोक्तानुसार ।

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ द्वारा अधिगृहीत की गयी ग्राम तकरोही, कमता आदि गांवों की भूमि के बैनामे को निरस्त करने की मांग

5–श्री बैजनाथ दूबे–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ग्राम तकरोही, कमता आदि गांवों की भूमि को उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ द्वारा इन्दिरा नगर (द्वितीय) विस्तार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002 में अधिगृहीत किया गया था और किसानों को मुआवजा प्राप्त करने हेतु अगस्त, 2003 में नोटिसें निर्गत की जा चुकी हैं परन्तु निबन्धन कार्यालय, लखनऊ में उक्त योजना में समाविष्ट भूमि के बैनामे सहकारी आवास समितियों के पक्ष में निष्पादित किये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना में समाविष्ट भूमि के वह सभी बैनामे जो अगस्त, 2003 तथा उसके बाद सहकारी आवास समितियों के पक्ष में निष्पादित हुए हैं, को निरस्त करने के आदेश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

पंजीयन अधिनियम–1908 की धारा–35 के साथ पठित पंजीयन अधिनियम–1908 के अधीन विनियम संख्या–241 में उल्लिखित निर्बन्धनों के अतिरिक्त विलेख निष्पादन से इनकार नहीं किया जा सकता है । लेख पत्रों के पंजीयन को निरस्त करने का अधिकार मा० सिविल न्यायालय को है ।

उपरोक्तानुसार ।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयन्ती पर कैदियों को सजा में छूट

6–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003 तथा 2004 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयन्ती के अवसर पर राज्य में कितने सजायाफ्ता तथा विचाराधीन कैदियों को सजा में छूट प्रदान की गयी ? सजा में छूट प्रदान कैदियों में से आजीवन सजायाफ्ता कैदियों की संख्या क्या है ?

श्री राकेश कुमार वर्मा–

वर्ष 2003 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयन्ती के अवसर पर राज्य में किसी सजायाफ्ता तथा विचाराधीन कैदी को सजा में छूट नहीं प्रदान की गयी तथा वर्ष 2004 में अभी छूट दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वाराणसी में चौक थानान्तर्गत अवैध रिफाइनरी को बन्द किये जाने एवं अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही

7–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में चौक थानान्तर्गत मकान नं०–सी०के०–17/5 मोती कटरा के स्वामियों द्वारा अवैध रिफाइनरी से उत्पन्न भयंकर तेजाबी प्रदूषण को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बन्द किये जाने एवं उक्त कारखाने को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने हेतु आदेश का

अनुपालन कराये जाने सम्बन्धी सभी संलग्नकों सहित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 2003 क्या उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्यारे सिंह–

जी हां ।

उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वायु अधिनियम, 1981 की धारा–31 ए के अन्तर्गत पारित बन्दी आदेश दिनांक 09-10-2003 के अनुपालन में सन्दर्भित उपयोग को दिनांक 08-01-2004 को सील करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

रोड कटिंग के मद में नगर निगम, वाराणसी को प्राप्त धनराशि का उपयोग संबंधी जानकारी

8–श्री श्यामदेव राय चौधरी

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001, 2002, 2003 में रोड कटिंग के मद में नगर निगम, वाराणसी को कितनी धनराशि प्राप्त हुई और उक्त धनराशि का उपयोग कहां-कहां और किन-किन कार्यों में किया गया ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ—

नगर निगम सीमा क्षेत्र अन्तर्गत सड़कों एवं नालियों की खुदाई किये जाने पर दूरसंचार विभाग तथा अन्य संचार संस्थानों से वर्ष 2000-2001 में रु०3,50,36,012.00 की मांग पर रु०1,58,81,635.00 वर्ष 2001-2002 में रु० 74,53,142.00 की मांग पर रु० 35,63,110.00 प्राप्त हुआ तथा वर्ष 2002-2003 में धनांक रु० 7,68,378.00 की मांग पर धनांक रु० 1,49,971.00 प्राप्त हुआ। उक्त धन के उपयोग एवं कार्यों के विवरण की सूची विस्तृत होने के कारण संलग्न किया जाना संभव नहीं है। मा० सदस्य द्वारा किसी भी कार्य दिवस में मेरे कार्यालय में उक्त सूची का अवलोकन किया जा सकता है।

जनपद लखनऊ के ग्राम कमता, तकरोही, चिनहट के किसानों की अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की मांग

9–डा० पूर्णमासी देहाती—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ के ग्राम कमता, तकरोही, चिनहट के किसानों की भूमि का अधिग्रहण वर्ष 2003 में आवास विकास परिषद् लखनऊ द्वारा इन्दिरा नगर (द्वितीय) विस्तार योजना हेतु किया गया था ? यदि हां, तो क्या किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मुआवजा कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां । किन्तु अधिग्रहण वर्ष 1984 में किया गया था।

भूस्वामियों को प्रतिकर वितरण हेतु दिनांक 23-1-2003 को रुपये 8.60 करोड़ की धनराशि जिलाधिकारी, लखनऊ को उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी है। अनेक सूचनाओं के बाद कोई भी किसान मुआवजा लेने के लिए उपस्थित नहीं हुआ। किसान अपने स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत करके किसी भी कार्य दिवस में अग्रिम प्रतिकार प्राप्त कर सकते हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

आवास एवं विकास परिषद् द्वारा इंदिरा नगर (द्वितीय) विस्तार योजना, लखनऊ हेतु अधिग्रहीत भूमि

10–श्री बीजू पटनायक—

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि आवास एवं विकास परिषद् द्वारा इंदिरा नगर (द्वितीय) विस्तार योजना, लखनऊ हेतु वर्ष 1984 में 1760 एकड़ भूमि अर्जित करने हेतु अधिसूचना जारी की गयी थी परन्तु अब तक 546 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गयी है ? यदि हां, तो शेष भूमि अधिग्रहीत न करने के दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जी हां ।

मूल प्रस्तावित क्षेत्रफल 1760 एकड़ का विस्तृत सर्वेक्षण कराने पर लगभग 635.50 एकड़ भूमि अनाधिकृत निर्माण से घिरी पाई गई। प्रकरण में शासन स्तर से एक कमेटी गठित हुई थी जिसमें जिलाधिकारी, लखनऊ के प्रतिनिधि भी शामिल थे। प्रश्नगत कमेटी में योजना क्षेत्र में 600—700 एकड़ भूमि अधिग्रहण हेतु उपयुक्त पायी जिसके अनुपालन में पुनः सर्वेक्षण कर योजना के लिए 546.767 एकड़ भूमि का प्रस्ताव परिषद अधिनियम, 1965 की धारा—31(2) के अंतर्गत स्वीकृति हेतु परिषद से शासन में प्राप्त हुआ। शासनादेश संख्या–3116/9–आ—2–01-3 एचबी/89, दिनांक 25-9-01 द्वारा 546.767 एकड़ भूमि के लिए धारा—31(2) की स्वीकृति दी गयी । भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा—7/17 के अन्तर्गत शासनादेश/अधिसूचना क्रमशः पत्र संख्या—660/9-आ-2-02दिनांक 2-4-02 व पत्र संख्या—305/9-आ-2-2002, दिनांक 2-4-02 की निर्गत होने के उपरान्त 546.767 एकड़ भूमि का कब्जा दिए जाने हेतु परिषद के पत्र संख्या–1535/ दिनांक 29-7-2002 द्वारा अपर जिलाधिकारी भू०अ० से अनुरोध किया गया है । भूमि का कब्जा अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत किसी अधिकारी को दण्डित करने का प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

परिवहन बसों को नियमित एवं समयबद्ध संचालन की जानकारी

11–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि जनपद संत कबीर नगर (खलीलाबाद) में स्थित आदर्श टाउन एरिया व नगर पंचायत हरिहरपुर से लखनऊ-हरिहरपुर, गोरखपुर-हरिहरपुर एवं बस्ती-हरिहरपुर के लिए परिवहन निगम की बसें क्या निर्धारित समय पर प्रतिदिन चलती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त बसों को निर्धारित समय व प्रतिदिन संचालित किये जाने हेतु आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–

इन सेवाओं के संचालन की समीक्षा से ज्ञात हुआ है कि कतिपय कारणों से इनका नियमित व समयबद्ध संचालन नहीं हुआ है ।

मुख्यतया शीतकाल में नियोजित स्थगन, माघ मेला इलाहाबाद स्नान हेतु बसों को लगाने, संत कबीर नगर जनपद समाप्त होने से उत्पन्न आन्दोलन तथा क्षेत्रीय स्तर पर पर्यवेक्षकीय शिथिलता के कारण संचालन अनियमित रहा ।

नियमित व समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

जिलाधिकारी वाराणसी स्तर पर शस्त्र लाइसेन्स जारी करने विषयक जानकारी

12–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में वर्ष 2001, 2002, 2003 में सभी औपचारिकतायें पूर्ण होने के पश्चात जिलाधिकारी–वाराणसी स्तर पर शस्त्र लाइसेन्स के अनुमोदन हेतु कितने आवेदन पत्र पंजीकृत किये गये तथा उनमें से कितने लोगों को शस्त्र लाइसेन्स जारी किये गये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वाराणसी में प्रश्नगत वर्षों में पंजीकृत शस्त्र लाइसेन्स के आवेदन पत्रों तथा जारी शस्त्र लाइसेन्सों की संख्या निम्नलिखित है :–

वर्ष	कुल पंजीकृत आवेदन पत्रों की संख्या	जारी शस्त्र लाइसेन्सों की संख्या
2001	817	817
2002	330	330
2003	516	516

राज्य में कूड़े कचरे से बिजली उत्पादन योजना

13–श्री श्यामदेव राय चौधरी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि राज्य में कूड़े कचरे से बिजली उत्पादन योजना प्रदेश में कहां-कहां पर लागू की गई है ? उत्पादित बिजली का मूल्य क्या है ? क्या यह योजना व्यावहारिक पाई गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

राज्य में कूड़े कचरे से बिजली उत्पादन योजना प्रदेश में प्रायोगिक दौर पर मात्र नगर निगम, लखनऊ में लागू की गई है ।

उत्पादित बिजली का मूल्य रु० 3.49 पैसे प्रति यूनिट है ।

कूड़े कचरे से उत्पादन सम्बन्धी संयंत्र पूर्ण क्षमता प्राप्त नहीं कर पाया है । मेसर्स एसिया बायो एनर्जी इण्डिया लि० द्वारा पूर्ण क्षमता प्राप्त करने हेतु नियमित परीक्षण किया जा रहा है ।

लखनऊ जनपद में इन्दिरा नगर में भवनों के गृहकर का निर्धारण

14–श्री बैजनाथ दूबे–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ जनपद में इंदिरा नगर के सी-ब्लाक स्थित कस्बा गाजीपुर में क्या भवनों के गृहकर का निर्धारण कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कस्बे के गृहकर का निर्धारण कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं । स्वकर निर्धारण के अन्तर्गत 119 भवन स्वामियों/अध्यासियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र भर कर अपना कर निर्धारण करा लिया गया है ।

उक्त कस्बे के शेष भवनों के कर निर्धारण के सर्वे कर कार्य प्रगति पर है और यथा शीघ्र पूर्ण कर, कर निर्धारण कर लिया जायेगा ।

नफीस नर्सरी मुजासा, मलिहाबाद जिला लखनऊ द्वारा विकास खण्डों में आपूर्ति किए गए पौधों की बकाया धनराशि का भुगतान

15–श्री अजीम भाई–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि मा० मंत्री वाह्य सहायतित परियोजना विभाग का पत्र संख्या–118/14-1-2004 जिसमें नफीस नर्सरी, मुजासा, मलिहाबाद जिला लखनऊ द्वारा विकास खण्डों में आपूर्ति किए गए पौधों की बकाया धनराशि का भुगतान विषयक था, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को भेजा गया, प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या-उक्त फर्म का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां ।

जी नहीं ।

पौधों की आपूर्ति हेतु नफीस नर्सरी मुजासा मलिहाबाद, लखनऊ का विकास खण्ड कार्यालय अथवा अन्य किसी जिला स्तीय कार्यालय से कोई आपूर्ति आदेश निर्गत नहीं किया गया है । बिना किसी आदेश के पौधों की आपूर्ति का भुगतान विकास खण्ड कार्यालय से किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद लखनऊ के सरोजनी नायडू मार्ग पर लगने वाली साप्ताहिक शनिवार बाजार को अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने की मांग

16–डा० विनोद तिवारी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के सरोजनी नायडू मार्ग पर लगने वाली साप्ताहिक शनिवार बाजार हेतु वर्ष 2003 से पूर्व में क्या कोई सीमायें निर्धारित की गयी थीं ? यदि हां, तो उक्त सीमायें क्या हैं ? क्या उसका अनुपालन किया जा रहा है ? उक्त बाजार कैन्ट रोड पर रेलवे क्रासिंग से कबीर मार्ग स्थित हनुमान मंदिर तक लगाये जाने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत बाजार को अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां –

जी हां ।

सरोजनी नायडू मार्ग स्थित घोड़ा अस्पताल के पास से लेकर सदर रेलवे क्रासिंग तक व तिराहे से हनुमान मंदिर तक सडक की दोनों पटरियां ।

जी हां ।

जी नही ।

प्रश्न नही उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

आवास एव विकास परिषद् मुख्यालय लखनऊ में सम्पत्ति प्रबन्धक पदों की संख्या एवं उनका स्थानान्तरण

17–डा० विनोद तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आवास एवं विकास परिषद् मुख्यालय लखनऊ में कुल कितने सम्पत्ति प्रबन्धक के पद है ? सम्पत्ति प्रबन्धक के पदों पर विगत 5 वर्षों से अधिक समय से कितने अधिकारी तैनात है ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के तहत उनका स्थानान्तरण मुख्यालय से अन्यत्र करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् मुख्यालय में सम्पत्ति प्रबन्धक का पद अलग से नही है परन्तु सम्पत्ति प्रबन्धक के पदों में से आवश्यकतानुसार उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् कार्यहित में उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् मुख्यालय पर सम्पत्ति प्रबन्धक की तैनाती की जाती है । 02 सम्पत्ति प्रबन्धक विगत 5 वर्षों से अधिक समय से तैनात हैं । जी हां, स्थानान्तरण नीति की परिधि में आने पर स्थानान्तरण किया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नही उठता ।

जनपद उन्नाव में नगर पंचायतों द्वारा लिपिक वर्ग को संशोधित वेतनमान दिये जाने की मांग

18–श्री दया शंकर वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–उन्नाव में नगर पंचायतों द्वारा शासनादेश संख्या–1076/9-1-92-95सा/91, दिनांक 3-2-93 द्वारा लिपिक वर्ग का संशोधित वेतनमान दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 3-2-93 का न होकर 3-2-92 है । नगर पंचायत नवाबगंज, बीघपुर, औरास, रसूलाबाद, कुरसठ, न्यौतनी में शासनादेश संख्या-1076/9-1-92-95सा/91, दिनांक 3-2-92 के अन्तर्गत देय लिपिक वर्ग का संशोधित वेतनमान 3050-4590 दिया जा रहा है, किन्तु नगर

पंचायत हैदराबाद, गंजमुरादाबाद, मोहान, भगवन्तनगर, पुरवा, सफीपुर, ऊगू, मौरावां में पूर्व से ही लिपिक वर्ग के विनियमित कर्मचारियों को संशोधित वेतनमान नहीं दिया जा रहा है । (जिलाधिकारी, उन्नाव से प्राप्त सूचनानुसार)

पूर्व से लिपिक वर्ग के विनियमित कर्मियों को संशोधित वेतनमान न दिये जाने के संबंध में निदेशक, स्थानीय निकाय को जांच कराकर आख्या तत्काल शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं । आख्या प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद फर्रूखाबाद में राजकीय पर्यवेक्षक के पद से सेवानिवृत्त श्री देवेन्द्र दत्त वर्मा को समस्त भुगतान किये जाने की मांग

19–श्री रविन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1974 में जनपद–फर्रूखाबाद से राजकीय पर्यवेक्षक के पद से सेवानिवृत्त श्री देवेन्द्र दत्त वर्मा की 1949 से 1961 तक की वाह्य सेवाओं को जोड़कर संशोधित पेंशन और अवकाश वेतन देने के संबंध में रजिस्ट्रार, सहकारिता के कार्यालय आदेश सं०–56/49-2-2000-600(60)/96. दिनांक 29-2-2000 एवं 286-88/स्था०-ख/1ए-6. दिनांक 7-4-2000 का अनुपालन करते हुए इन्हें उपरोक्त दोनों मदों का समस्त भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार विलम्ब के लिए दोषी को दण्डित करते हुए उक्त भुगतान सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शासनादेश संख्या-56/49-2-2000-600(60)/96. दिनांक 29-2-2000 एवं निबन्धक कार्यालय के पत्रांक-286-88/स्था०ख/1ए–6. दिनांक 7 अप्रैल, 2000 के अनुपालन में श्री देवेन्द्र दत्त वर्मा की 1949 से 1961 तक वाह्य सेवा अवधि को जोड़कर संशोधित पेंशन श्री वर्मा नियमति रूप से प्राप्त कर रहे हैं तथा पेंशन एरियर की धनराशि को श्री वर्मा ने स्वयं लेने से मना कर दिया है । श्री वर्म 1974 में सेवानिवृत्ति हुए थे । उस समय उ०प्र० कोआपरेटिव यूनियन लि० में नगदीकरण की सुविधा अनुमन्य नही थी । इसलिए श्री वर्मा को अवकाश नगदीकरण भुगतान का कोई औचित्य नही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

पेंशन एरियर की धनराशि को श्री वर्मा ने स्वयं लेने से मना कर दिया है ।

वर्तमान में राज्य सरकार पर बकाया ऋण व इसके भुगतान हेतु योजना

20–श्री रविन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार पर वर्तमान में कितना रुपया ऋण के रूप में बकाया है ? क्या ऋण के कारण प्रदेश के विकास कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस ऋण के भुगतान हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पुनरीक्षित अनुमानों के आधार पर 31 मार्च, 2004 को राज्य सरकार पर 106434.21 करोड़ रुपये की ऋणग्रस्तता है । जी नही । ऋण प्रदेश के विकास कार्यों हेतु लिया जाता है अतः इससे विकास कार्यों

में कोई अवरोध उत्पन्न होने का प्रश्न नहीं उठता है । ऋणग्रस्तता कम करने हेतु राज्य सरकार द्वारा संसाधन बढाने के प्रयास के साथ-साथ अनुत्पादक व्यय कम करने तथा लिये गये ऋणों की प्रभावोत्पदकता बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है ।

प्रश्न नही उठता ।

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को आवास आवंटन

21–श्री रविन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवास आवंटित किए जाने का मानक क्या है ? क्या उन मानकों को विशेष परिस्थितियों में शिथिल भी किया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जनवरी, 99 से दिसम्बर, 03 तक लखनऊ में कितने अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा निर्धारित मानकों को शिथिल करके आवास आवंटित किये गये है ? आवंटन का औचित्य क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा सरकारी निवास स्थान (लखनऊ स्थित समस्त सामान्य निवास स्थान) आवंटन नियमावली, 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जो लखनऊ विकास प्राधिकरण की सीमा में तैनात हो तथा उनके लखनऊ में निवास की अपेक्षा की जाये, को आवास आवंटित किये जाने की व्यवस्था है ।

जी हां ।

जनवरी, 99 से दिसम्बर 03 तक कुल 2124 अधिकारियों/कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में निर्धारित मानकों को शिथिल करके अवास आवंटित किये गये हैं ।

उक्त आवंटियों की विशेष परिस्थितियां ।

प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैक लखनऊ द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच विषयक पत्रों पर कृत कार्यवाही

22–श्री रविन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सीताराम वर्मा, तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक, लखनऊ द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने विषयक श्री भाष्कर चन्द उपाध्याय, संयोजक, ट्रेड यूनियन, इकाई सहकारिता, लखनऊ का शिकायती पत्र दिनांक 6-5-99 एवं 4-9-99 तथा पूर्व विधायक श्री भगवती प्रसाद शुक्ल का शिकायती पत्र दिनांक 7-5-99 निबन्धक, सहकारी समितियां, उ०प्र० लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? क्या यह सही है कि निबन्धक कार्यालय, सहकारी समितियां, लखनऊ ने पत्रांक 413-अ०वि०अधि०, दिनांक 18-8-99 तथा पत्रांक 454/अ०नि०अधि०, दिनांक 3-10-2001 द्वारा उपरोक्त शिकायतों की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ? क्या जांच कार्यवाही पूर्ण कर ली गई हैं ? यदि हां, तो जांच आख्या के आधार पर उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

श्री भाष्कर चन्द्र उपाध्याय का शिकायती पत्र दिनांक 6-5-99 एवं श्री भगवती प्रसाद शुक्ल पूर्व विधायक का दिनांक रहित पत्र प्राप्त हुआ है । कार्यालय पत्रांक-413/अ०नि०अधि० दिनांक 18-8-99 एवं पत्रांक–755/अ०नि०अधि०, दिनांक 3-10-2001 द्वारा श्री भाष्कर चन्द्र उपाध्याय एवं श्री भगवती

प्रसाद शुक्ल शिकायतकर्ताओं से शिकायत की पुष्टि/साक्ष्य मांगा गया था । प्रकरण की जांच अपर निबन्धक (अधिकोषण) द्वारा की जा रही है । श्री भगवती प्रसाद शुक्ल पूर्व विधायक द्वारा शिकायती पत्र की पुष्टि अभी तक नही किये जाने के कारण जांच कार्यवाही पूर्ण नही हो सकी है ।

जांच चल रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद कुशीनगर में जलनिगम में वित्तीय अनियमितताओं का प्रकरण

23–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद कुशीनगर में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम का पद विगत 5 वर्षों से रिक्त हैं और सहायक अभियन्ता को कार्यभार दिया गया है, जिससे घोर वित्तीय अनियमितताएं हो रही है ? क्या सरकार वित्तीय अनियमितताओं की जांच कराकर अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नही । जनपद कुशीनगर के निर्माण शाखा जल निगम के अधिशासी अभियन्ता का पद लगभग चार वर्षों से रिक्त है । तब से शाखा में उपलब्ध वरिष्ठतम सहायक अभियन्ता द्वारा अधिशासी अभियन्ता के कार्यों का सम्पादन किया जा रहा है । इस अवधि में कोई भी वित्तीय अनियमितता शासन के संज्ञान में नही आयी । वित्तीय अनियमितताओं का प्रकरण शासन के संज्ञान में न होने के कारण जांच का प्रश्न नहीं उठता । जहां तक नियमति अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति का प्रश्न है, इस पर कार्यवाही करने हेतु अध्यक्ष, उ०प्र० जल निगम को निर्देश दे दिये गये हैं ।

मेरठ डिपो, हरिद्वार डिपो, देहरादून डिपो में चालक से परिचालक पद पर परिवर्तित किये जाने के निर्देश

24–श्रीमती विमला राकेश–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ के पत्र संख्या–159सी०ई०एन०टी०/ 96/800निगम/91(11) दिनांक 12 जनवरी, 1996 द्वारा परिपत्र के प्रस्तर 2 में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने तथा इण्टर पास होने पर चालक से परिचालक बनाए जाने हेतु निदेश दिये गये थे ? यदि हां, तो मेरठ डिपो, हरिद्वार डिपो, देहरादून डिपो से अब तक कितने चालकों को परिचालक बनाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

परिवहन निगम के परिपत्र संख्या-159सी०ई०एन०टी०/96/800निगम/91(11) दिनांक 12 जनवरी, 1996 में निहित निर्देशों के अनुपालन में मेरठ डिपो के आठ हरिद्वार डिपो के एक तथा देहरादून डिपो में स्थित पर्वतीय डिपो के दो, बी डिपो के एक व ग्रामीण डिपो के एक चालक को परिचालक पद पर परिवर्तित किया गया था । उत्तरांचल प्रदेश में 31 अक्टूबर, 2003 से उत्तरांचल परिवहन निगम का गठन हो चुका है जिसके अन्तर्गत हरिद्वार एवं देहारादून डिपो हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

श्री पंचम लाल यादव, सुदामापुरी, चारबाग, लखनऊ की भांजियों को श्री राम किशन मेहरोत्रा के चंगुल से छुड़ाने संबंधी प्रार्थना पत्र की जांच

25–श्रीमती विमला राकेश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पंचम लाल यादव निवासी मकान नं०–3, कछपुरा हाउस, नहर का किनारा, सुदामापुरी, चारबाग, लखनऊ की भांजियों को श्री राम किशन मेहरोत्रा के चंगुल से छुड़ाने तथा उसके विरुद्ध एफ०आई०आर० लिखे जाने सम्बन्धित प्रार्थना पत्र के साथ श्री कौशल किशोर, स०वि०स० का उपरिपत्र दिनांक 6 फरवरी, 2003 मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव उ०प्र० शासन, गृह विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या श्री मेहरोत्रा के खिलाफ एफ०आई०आर० दर्ज कर जांच की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी स्तर से कराने पर पाया गया कि आवेदक की बहन मंजू यादव का उनके पति श्री श्याम सुंदर से तलाक हो जाने के बाद उन्होंने आलमबाग लखनऊ निवासी जगदीश चन्द्र मल्होत्रा से प्रेम विवाह कर लिया । उपरोक्त मंजू यादव की मृत्यु के उपरान्त उनकी पुत्रियां स्वेच्छा से उक्त जगदीश चन्द्र मल्होत्रा के साथ रह रही है । आवेदक द्वारा इस संबंध में उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया वाद भी खारिज किया जा चुका है अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही पायी गयी ।

जी नही ।

उपरोक्तानुसार जांच के आधार पर किसी पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पाई गई ।

स्वर्गीय श्रीमती रमा चौधरी, ग्राम्य विकास अधिकारी (म) की पुत्री को नियुक्ति प्रदान करने संबंधी पत्र

26–डा० विनोद तिवारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती रमा चौधरी, ग्राम्य विकास अधिकारी (म) की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रित के रूप में मृतक की पुत्री कु० सीमा चौधरी को नियुक्ति प्रदान करने सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र दिनांक 30 अक्टूबर, 2003 आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी नही ।

प्रश्न नही उठता ।

जनपद जौनपुर में कार्यरत सब इन्सपेक्टरों को नागरिक पुलिस से राजकीय रेलवे पुलिस में स्थानान्तरण

27–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनवरी, 2004 में जनपद–जौनपुर में कार्यरत कितने सब इन्सपेक्टरों को नागरिक पुलिस से राजकीय रेलवे पुलिस में स्थानान्तरित किया गया है ? कितने सब इन्सपेक्टरों ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है ? कितनों को अभी तक कार्य मुक्त नहीं किया गया है ? कार्य मुक्त न करने के कारण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद-जौनपुर के जनवरी, 2004 में चार उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का जनपद–जौनपुर से जी०आर०पी० हेतु स्थानान्तरण किया गया । इनमें से जौनपुर से तीन उप निरीक्षक को कार्यमुक्त कर दिया गया था तथा एक उप निरीक्षक को प्रशिक्षणरत रहने के कारण कार्यमुक्त नही किया जा सका । तीन उप निरीक्षक में से दो उप निरीक्षको ने परिवर्तित स्थानान्तरण आदेशों के अनुपालन में कार्यभार ग्रहण कर लिया है । एक उप निरीक्षक को प्रशिक्षणरत अभी भी रहने के कारण कार्यमुक्त नही किया जा सका है ।

प्रदेश में वी०आई०पी०गाड़ियों में हूटर के प्रयोग के बनाये गये नियम

28–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वी०आई०पी० गाड़ियों में हूटर के प्रयोग हेतु कोई नियम बनाये गये है ? यदि हां, तो वह नियम क्या है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नही ।

प्रश्न नही उठता ।

जनपद जौनपुर के थाना अफराबाद में पुलिस मुठभेड़ में मारे गये दो अज्ञात लोगों की शिनाख्त

29–श्री जगदीश नारायण राय

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–जौनपुर के थाना अफराबाद में माह दिसम्बर, 2003 में पुलिस मुठभेड़ में मारे गये अर्जुन मुसहर के साथ दो अज्ञात लोगों की मृत्यु हुई थी ? यदि हां, तो क्या उनकी शिनाख्त हो गयी ? यदि नहीं, तो पुलिस द्वारा उक्त के सम्बन्ध में क्या प्रयास किये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

विवेचना से शेष दो अज्ञात व्यक्तियों का पता नहीं लग सका है । मृतक अज्ञात व्यक्तियों का फोटो खिंचवाकर डी०सी०आर०वी० के माध्यम से जनपद में तथा गैर जनपदों में गश्ती जारी कराया गया, मुठभेड़ के दौरान आस-पास के लोगों से भी अज्ञात व्यक्तियों की पहचान करायी गयी, लेकिन मात्र अर्जुन मुसहर की ही शिनाख्त हो सकी है । विवेचक द्वारा शिनाख्त हेतु निकटवर्ती थानों के गांवों तथा रेलवे स्टेशन के समीपवर्ती गांवों के लोगों की फोटो व हुलिया के आधार पर शिनाख्त कराने का प्रयास किया गया है, परन्तु अभी तक मृतकों की शिनाख्त नही हो सकी है । जबकि उनकी शिनाख्त हेतु सभी प्रयास किए गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं सम्बद्ध मार्ग पर निजी बसों के फेरे के लिए स्वीकृत परमिट

30–श्रीमती विमला राकेश–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं सम्बद्ध मार्ग पर निजी बसों के कितने फेरों के लिए परमिट स्वीकृत है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि निर्धारित फेरे के अनुरूप ही मार्ग पर बसों का संचालन किया जा रहा है ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त मार्ग का गागलहेड़ी से सहारनपुर तक भाग सहारनपुर, हरिद्वार की राष्ट्रीयकृत योजना से आच्छादित होने के बावजूद बिना अनुमति के निजी बसों का संचालन निरन्तर जारी है ? यदि हां, तो इसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश अग्रवाल–

जी हां ।

सहारनपुर-मुजफ्फरनगर एवं सम्बद्ध मार्ग पर निजी बसों के 188 फेरों के लिए परमिट स्वीकृत हैं ।

जी हां ।

यह सही है कि मार्ग का गागलहेड़ी से सहारनपुर तक भाग सहारनपुर हरिद्वार की राष्ट्रीयकरण योजना से आच्छादित है परन्तु इस भाग पर निजी बसों का संचालन सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून द्वारा दिनांक 3-3-93 द्वारा दिये गये निर्णय के आधार पर वैध ढंग से किया जा रहा है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न हीं नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के से०-डी०-1 के सामने स्थित पार्क में सफाई व्यवस्था तथा सुन्दरीकरण कराये जाने की मांग

31–श्री अनिल कुमार मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना, लखनऊ के सेक्टर एस०एस० II डी–I में मकान नम्बर 460 से 475 तथा 735 से 750 के सामने स्थित पार्क में कूड़ा डालने के कारण वहां गन्दगी व्याप्त रहती है ? जिससे वहां के निवासियों में बीमारी फैलने का भय बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पार्क की नियमित सफाई तथा सुन्दरीकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

कानपुर रोड योजना के से० डी-I की सफाई व्यवस्था एवं प्रकाश व्यवस्था का कार्य दिनांक 1-4-99 से लखनऊ नगर निगम द्वारा किया जा रहा है । उक्त पार्क से मलवा, कूड़ा तत्काल हटाये जाने एवं पार्क की नियमित सफाई करने के निर्देश लखनऊ विकास प्राधिकरण को निर्गत कर दिय गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० पुलिस विभाग में नियुक्त कांस्टेबिल व हेड कांस्टेबिल को वर्दी भत्ता दिये जाने की मांग

32–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ०प्र० पुलिस विभाग में नियुक्त उपनिरीक्षक व निरीक्षक को वर्दी भत्ता दिया जाता है जबकि इसके विपरीत कांस्टेबिल व हेड कांस्टेबिल को सिली सिलाई वर्दी दी जाती है ? क्या सरकार कांस्टेबिल व हेड कांस्टेबिल को भी वर्दी भत्ता दिये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पुलिस बल के कांस्टेबिल/हेड कांस्टेबिल द्वारा निर्धारित पैटर्न की वर्दी धारण की जाती है जिससे कि वर्दी में एकरूपता बनी रहे । वर्दी भत्ता दिये जाने पर संबंधित कर्मियों द्वारा अलग-अलग प्रकार के कपड़े से वर्दी सिलाई कराई जायेगी जिससे वर्दी में एकरूपता समाप्त हो जायेगी । उक्त दृष्टिकोण से वर्दी भत्ता दिये जाने का औचित्य नहीं प्रतीत होता है ।

उ०प्र० पुलिस विभाग में तृतीय श्रेणी कर्मियों को टी०ए०, डी०ए० का भुगतान

33–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ०प्र० पुलिस विभाग में तृतीय श्रेणी कर्मियों को टी०ए० डी०ए० वर्ष 2002 से बकाया चल रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त कर्मियों को टी०ए०, डी०ए० के भुगतान की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिह यादव–

जी हां ।

यात्रा भत्ते की दरों में जून, 1999 से वृद्धि हो जाने के कारण देयता लम्बित है ।

जी हां ।

वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार लम्बित दायित्वों का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बिजनौर के अन्तर्गत थाना मण्डावर के ग्राम बिचपड़ी में अपहृत युवक के संबंध में कृत कार्यवाही

34–श्री राम कृपाल–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद बिजनौर के अन्तर्गत थाना मण्डावर के ग्राम बिचपड़ी में एक 25 वर्षीय युवक श्री अनुज कुमार उर्फ सैमी पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह का दिनांक 25 फरवरी, 2003 को अपहरण किया गया था और इस मामले की नामजद रिपोर्ट थाना मण्डावर में दिनांक 25 फरवरी सन् 2003 को की गयी थी ? यदि हां, तो नामदर्ज मुल्जिमान के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत घटना के संबंध में दिनांक 25-02-03 को थाना–मण्डावर पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गयी थी । दिनांक 19-03-03 को अपहृत अनुज के पिता श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा मु०अ०सं० 151/2003 धारा 364 भा०द०वि० नाम अज्ञात पंजीकृत कराया गया । वर्तमान में इस अभियोग की अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा विवेचना प्रचालित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश की बन्द कताई मिलों में कार्यरत मजदूरों के वेतन के भुगतान की मांग

35–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश के कताई मिलों के बंद होने के कारण उनमें कार्यरत मजदूरों को पिछले कई वर्षों से वेतन नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्या वी०आर०एस० के शेष बचे मजदूरों को मिल की सम्पत्ति बिकने पर लम्बित वेतन दिये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो योजना का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक एवं सहकारी क्षेत्र की विधिक रूप से बन्द सभी मिलों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी०आर०एस०)लागू कर दी गयी है । सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियां औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी०आई०एफ०आर०) में पंजीकृत हैं और रुग्ण घोषित हैं । इन कम्पनियों की अधीनस्थ बन्द मिलों के श्रमिकों के बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में कार्यवाही बी०आई० एफ०आर० द्वारा निदेश पारित होने पर ही हो सकेगी । जहां तक सहकारी क्षेत्र की बंद मिलों की सम्पत्ति बिकने पर मजदूरों के लम्बित वेतन दिये जाने का प्रश्न है, उ०प्र० सहकारी कताई मिल संघ लि० एवं उसकी मिलों का प्रकरण मा० सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है । फलतः इस पर कार्यवाही मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ही संभव हो सकेगी ।

पी०सी०एस० परीक्षा का मुख्य परीक्षा केन्द्र, मेरठ में यथावत रखने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

36–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पी०सी०एस० परीक्षा का मुख्य परीक्षा केन्द्र, मेरठ में यथावत रखने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 17-9-2002 तथा 21-11-2002 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद-320(1) के प्राविधानानुसार परीक्षाओं के संचालन का कार्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण पी०सी०एस० की मुख्य परीक्षा का केन्द्र मेरठ में बनाये रखने संबंधी प्रस्ताव लोक सेवा आयोग को संदर्भित किया गया, किन्तु लोक सेवा आयोग उक्त प्रस्ताव से सहमत नहीं हुए ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका सण्डीला जनपद–हरदोई में क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत की मांग

37–डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका सण्डीला जनपद–हरदोई में रेलवे क्रासिंग से इमलिया बाग तक की मुख्य सड़क अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गयी है जिसके कारण नागरिकों को आवागमन में अत्यन्त असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

प्रश्नगत मार्ग आंशिक रूप में क्षतिग्रस्त है ।

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 2004-05 तक ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

38–श्री श्याम देव राय चौधरी–

[निदेश सं० 26(1) के अन्तर्गत उत्तरित]

वाराणसी में भैरोनाथ मोहल्ले में स्वीकृत नलकूप का निर्माण राजघाट (मुकीमगंज) में करने विषयक पत्र

39–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में भैरोनाथ मोहल्ले में पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत स्वीकृत नलकूप के स्थान पर उपयोगिता एवं आवश्यकता को देखते हुये उक्त नलकूप का निर्माण राजघाट (मुकीमगंज) में करने हेतु स्वीकृति विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-1-04 तथा प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, नियोजन अनुभाग–5 लखनऊ को जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा प्रेषित पत्रांक 2830/पू०वि०नि०/वै०प्र०/2002-03/ दिनांक 27-3-03 तथा आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी का पत्र सं० 619/सं० वि०आ०/यू०वि०नि०/2002-03/ दिनांक 10-6-2002 एवं पत्र संख्या 2300/सं० वि०आ०/पू० वि०नि०/2002-03 दिनांक 16-12-2002 सरकार को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । संदर्भित पत्रों पर विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर निगम द्वारा ग्रामों की भूमि अधिग्रहण के बाद उन ग्राम में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने संबंधी नीति

40–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है नगर निगम, लखनऊ की सीमा का विस्तार किये जाने के कारण सैकड़ों गांव नगर निगम की सीमा में आ जाने के फलस्वरूप उन गांवों की ऊसर, बंजर, तालाब आदि की भूमि का स्वामित्व नगर निगम, लखनऊ का हो गया है ? क्या उक्त कोटि की भूमि का विक्रय नगर निगम, लखनऊ द्वारा किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे विक्रय से प्राप्त धनराशि

का 50 प्रतिशत भाग जिस ग्राम की सम्पत्ति है उस ग्राम में नागरिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अनिवार्य रूप से व्यय किये जाने के सम्बन्ध में कोई नीति बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

जी नहीं । भूमि लीज पर दी जाती है । आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में धन व्यय किया जाता है । सम्पूर्ण नगर क्षेत्र एक इकाई है ।

मेरठ जिले के कैन्ट विधान सभा क्षेत्र में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत सड़क का निर्माण

41–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले के कैन्ट विधान सभा क्षेत्र में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2002-2003 तथा वर्ष 2003-2004 में किन-किन सड़कों का निर्माण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र कैन्ट में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2002-03 एवं वर्ष 2003-04 में किसी सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं कराया गया है । विधान सभा क्षेत्र कैन्ट के अन्तर्गत नगर निगम मेरठ, कैन्टोनमेन्ट बोर्ड मेरठ एवं विकास खण्ड रजपुरा के 11 ग्राम आते हैं । नगर निगम मेरठ एवं कैन्टोनमेन्ट बोर्ड मेरठ का क्षेत्र नगरीय सीमा में होने के कारण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से आच्छादित नहीं है । विकास खण्ड रजपुरा के अन्तर्गत पड़ने वाले 11 गांव पूर्व से ही सर्वऋतु मार्ग से जुड़े हैं ।

ग्रीन कार्ड धारकों को भू-खण्ड/आवास आवंटन में वरीयता

42–श्रीमती अरुण कुमारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि शासनादेश सं०–876/05-9-2002–9(70)/84, दिनांक 16-7-2002 के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारकों को आवास विकास परिषद् द्वारा भू-खण्ड/आवास आवंटन में वरीयता दिये जाने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो क्या लखनऊ की हरदोई रोड योजना में ग्रीन कार्ड धारकों को भू-खण्ड आवंटन में दिनांक 03-12-2003 की लाटरी द्वा में उन्हें वरीयता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, परिषद् की 188 वीं बैठक दिनांक 12-3-2004 में चिकित्सा अनुभाग से निर्गत शासनादेश दिनांक 16-7-2002 के अनुक्रम में ग्रीन कार्ड धारकों को उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा भूखण्ड/आवास आवंटन में वरीयता दिए जाने की व्यवस्था की गई है ।

जी हां ।

क्योंकि उक्त आरक्षण संबंधी जारी शासनादेश परिषद् द्वारा दिनांक 12-3-04 को अंगीकृत किया गया है । इसके पूर्व परिषद् में सम्पत्तियों के आवंटन में लागू आरक्षण संबंधी आदेश दिनांक 28-1-2000 में ग्रीन कार्ड धारकों को वरीयता देने की व्यवस्था नहीं थी । परिवार नियोजन कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीन कार्ड धारकों के द्वारा आवेदन करने पर और आवेदन पत्र के साथ ग्रीन कार्ड प्रस्तुत करने पर नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था के अन्तर्गत वरीयता दी गई है ।

अतिरिक्त गनर निःशुल्क प्रदान करने विषयक पत्र पर कार्यवाही

43–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता को अतिरिक्त गनर निःशुल्क प्रदान करने के सम्बन्ध में उनके पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम०–/85692/03, दिनांक 25-9-03 पर प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन उ० प्र० शासन को आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता को अतिरिक्त गनर की सुविधा प्रमुख सचिव/सचिव, गृह एवं गोपन द्वारा उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

शासनादेश दिनांक 25-4-2001 में निहित प्राविधानों के अनुसार 25 प्रतिशत निजी व्यय पर मा० सदस्य को अतिरिक्त शैडो अनुमन्य है । विशेष परिस्थितियों में शासनादेश का विचलन करने हुए मा० सदस्य को एक अतिरिक्त गनर 10 प्रतिशत निजी व्यय पर तीन माह के लिए प्रदत्त कराने के आदेश निर्गत किये गये थे । वर्तमान में मा० सदस्य को उक्त व्यवस्था निःशुल्क प्रदान किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैक्टरियों द्वारा हो रहे प्रदूषण व नुकसान सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

44–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद को प्रेषित पत्र दिनांक 18-8-03, 22-8-03, 03-10-03 जो 18 फैक्टरियों का केमिकल्स एसिड, तेजाबी पानी हिण्डन नदी में पड़ने से मछलियां व अन्य प्राकृतिक जीव जन्तुओं के मर जाने, जहरीले पानी से मनुष्यों, जानवरों के रोग ग्रस्त होने की शिकायत श्री शिव कुमार पुत्र स्व० श्री जय प्रकाश 42 जस्सीपुरा, गाजियाबाद द्वारा नगर आयुक्त, गाजियाबाद को प्राप्त कराकर जिलाधिकारी, गाजियाबाद, कमिश्नर, मेरठ सहित सभी सम्बन्धित अधिकारियों को पंजीकृत डाक/ कोरियर से प्रेषित, प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां । श्री शिव कुमार पुत्र स्व० श्री जय प्रकाश, निवासी–42, जस्सीपुर, गाजियाबाद के शिकायती पत्र प्राप्त हुए हैं, जिस पर कार्यवाही हेतु वरिष्ठ नगर स्वास्थ्य अधिकारी/नगर अभियन्ता (जल) को निर्देशित किया गया ।

नगर स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा हिण्डन नदी में केमिकल युक्त पानी का उत्प्रवाह करने के विरुद्ध सम्बन्धित फैक्ट्रियों को नोटिस जारी किये गये तथा प्रभारी अधिकारी, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड, जनपद गाजियाबाद को नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने अपने पत्र दि० 19-11-2003 को उक्त फैक्ट्रिरियों के विरुद्ध हिण्डन नदी में प्रदूषण एवं संक्रामक रोग फैलने के खतरे के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु भेजा है । इसके अतिरिक्त एक अन्य फैक्ट्री मे० सरला फैब्रिक्स लि० साईट–2 यू०पी० एस०आई०डी०सी०, लोनी रोड, गाजियाबाद स्थित फैक्ट्री के उत्प्रवाह (जल) का नमूना, जो हिंण्डन नदी में निस्तारित किया जा रहा है, लिया गया । उक्त नमूने का श्री गणेश स्टेट हाउस, ए–9, मेरठ रोड, गाजियाबाद से रासायनिक परीक्षण कराया गया । इसे भी जांच रिपोर्ट सहित क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेक्टर–16, बसुन्धरा, गाजियाबाद को नगर निगम, गाजियाबाद के पत्र दि० 24-05-2004 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया है ।

श्री शिव कुमार पुत्र स्व० श्री जय प्रकाश, निवासी–42, जस्सीपुरा, गाजियाबाद की मांग के अनुरूप हिण्डन नदी में मछली पकड़ने का ठेका निरस्त कर दिया गया है । प्रकरण में क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेक्टर–16, बसुन्धरा, गाजियाबाद द्वारा अनुश्रवण किया जा रहा है ।

थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर में नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग

45–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि बाबू बालक राम पुत्र श्री ख्याली राम निवासी ग्राम बौरी थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 4-5-02 को थाना मदनापुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 147, 148, 149, 302, 307 आई०पी०सी०, एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अन्तर्गत अंकित करायी है ? यदि हां, तो क्या उसमें नामजद सभी अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर की आख्यानुसार विवेचना से अभियुक्त राम औतार, वीरपाल व राजेन्द्र की नामजदगी गलत पायी गयी एवं अभियुक्त राजपाल तथा श्रीराम को साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार कर जेल भेजते हुए आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन के कस्बा जालौन में सुरक्षा कर्मी श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह की हत्या तथा मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग

46–डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जालौन के कस्बा जालौन में दिनांक 8-12-03 को सुरक्षा कर्मी देवेन्द्र बहादुर सिंह की हत्या करके लक्ष्मी नारायण महेश्वरी पेट्रोल पम्प का रुपया चार लाख पचहत्तर हजार लूट लिए जाने की घटना से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-12-03 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा मृतक सुरक्षा कर्मी के परिवार के आश्रित को कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मृतक सुरक्षा कर्मी के आश्रित/आश्रितों को रु० 50,000/- की धनराशि विवेकाधीन कोष से दिनांक 22-7-04 को स्वीकृत कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जालौन में सूडा की वैम्बे आश्रय योजना में अंशदान वापस करने व दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

47–डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि कालपी जनपद जालौन में सूडा की वैम्बे आश्रय योजना के अन्तर्गत 125 आवास मार्च, 2003 में स्वीकृत हुए थे ? क्या यह सही है कि उसमें चालीस व्यक्तियों द्वारा 5000/- रुपया प्रति व्यक्ति अपना अंशदान सूडा में जमा किया गया था ? यदि हां, तो उक्त

व्यक्तियों को अंशदान वापस किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त की जांच कराकर विलम्ब के लिए दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

जी नहीं, केवल 39 व्यक्तियों ने ही प्रति व्यक्ति रुपया 5,000/- अपना अंशअदान डूडा में जमा किया है ।

39 में से 18 पात्र व्यक्तियों में प्रत्येक को चेक से रु० 20,000/- भुगतान कर दिया गया है । शेष 21 पात्र व्यक्तियों में से 18 व्यक्तियों का जमा अंशदान रुपया 5,000/- वापस कर दिया गया है । दो व्यक्तियों के मुख्यालय पर न होने के कारण चेक वितरित नहीं हो सका है, उनके परिवार को संसूचित कर दिया गया है । एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के कारण उनके वारिश के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने पर धनराशि की वापसी की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पात्र व्यक्तियों द्वारा फरवरी, मार्च में अनुबन्ध पत्रों का निष्पादन किया गया । दिनांक 29-2-04 से लोक सभा निर्वाचन, 2004 को अधिसूचना जारी हो जाने के कारण आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी थी, फलस्वरूप प्रश्नगत वितरण नहीं हो सका ।

पं० दीन दयाल नगरोदय येजना के अन्तर्गत मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

48–डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पं० दीन दयाल नगरोदय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत तथा सूडा द्वारा प्रारम्भ कराये गये अनेकों मार्गों के निर्माण कार्य अपूर्ण हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अपूर्ण मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

इस योजनान्तर्गत सूडा द्वारा मार्गों का निर्माण कार्य नहीं कराया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

कालपी हमीरपुर रूट पर रोडवेज बस सेवा प्रारम्भ करने की मांग

49–डा० अरुण कुमार मेहरोत्रा–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि कालपी हमीरपुर (झांसी मण्डल के अन्तर्गत) रूट पर रोडवेज बस सेवा की सेवायें बन्द होने के कारण यात्रियों को आने-जाने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रूट पर पुनः बस सेवा प्रारम्भ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

कालपी–हमीरपुर मार्ग पर एवं इससे होकर (झांसी मण्डल के अन्तर्गत) परिवहन निगम द्वारा 8 अप 8 डाउन सेवायें संचालित की जा रही हैं । इसके अतिरिक्त हमीरपुर–जोल्हपुर, जो कालपी से मात्र 5 कि०मी० पहले स्थित है, होकर भी निगम की 18 अप 18 डाउन सेवायें संचालित हो रही हैं । अतः यात्रियों को पर्याप्त यात्रा सुविधा उपलब्ध है ।

सेवायें संचालित हैं ।

उपरोक्तवत ।

उपरोक्तवत ।

नाली निर्माण में घटिया सामग्री लगाने की जांच व दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

50–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि ल० वि० प्रा० की जानकीपुरम् योजना लखनऊ के से०–एच० में जुलाई/अगस्त, 2003 से कराये जा रहे नाली निर्माण में घटिया ईंट व मसाले का प्रयोग किया गया है तथा नालियों की सोलिंग में मसाला नहीं लगाया गया है जिससे नाली का पानी मकानों की नींव में जा रहा है ? यदि हां, तो क्या घटिया निर्माण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

नाली का निर्माण कार्य मानक के अनुरूप हुआ है तथा मकानों की नींव में पानी नहीं जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई के क्षेत्र पंचायत बेहदर के अन्तर्गत ब्लाक प्रमुख तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सुनिश्चित रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों में वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार

51–श्री अब्दुल मन्नान–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2004 के 1ले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–15 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई द्वारा पूरी कर ली गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी सही है कि उक्त प्रकरण एक गम्भीर आर्थिक घोटाला होने के कारण प्रश्नकर्ता द्वारा जनवरी, 2004 में मा० मुख्य मंत्री, आयुक्त ग्राम्य विकास तथा आयुक्त लखनऊ मण्डल को भी शिकायतें प्रमाण सहित दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए इसकी जांच सतर्कता विभाग से करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

प्रश्नगत प्रकरण की जांच प्रारम्भ में मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई द्वारा नहीं बल्कि जिला विकास अधिकारी, हरदोई द्वारा की जा रही थी, परन्तु प्रकरण के कतिपय बिन्दु तकनीकी होने के कारण आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ के निदेश के क्रम में उक्त जांच अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, हरदोई द्वारा की जा रही है ।

इसके अतिरिक्त शासन के आदेश के क्रम में प्रकरण की टी०ए०सी० जांच आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र०, लखनऊ द्वारा भी कराई जा रही है ।

उक्त जांच आख्यायें अभी तक अप्राप्त हैं ।

जी हां, पत्र प्राप्त हुए हैं ।

जांच आख्यायें प्राप्त होने पर परीक्षणोपरान्त गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा ।

श्री दयाराम प्रजापति, पूर्व सदस्य, विधान परिषद् उत्तर प्रदेश का ग्राम सिरहिर, थाना खीरी, जनपद इलाहाबाद के अपरायियों का शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

52–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दयाराम प्रजापति पूर्व सदस्य, विधान परिषद्, उ० प्र० का पंजीकृत पत्र सं०–2153 दिनांक 20-1-2003 जो ग्राम सिरहिर थाना खीरी जनपद इलाहाबाद के अपराधियों द्वारा अपने क्षेत्रीय थाने में गम्भीर अभियोग पंजीकृत होने के कारण जनपद–रामपुर का गलत निवास का पता देकर शस्त्र लाइसेंस वर्ष 1995 में प्राप्त कर लिए जाने से सम्बन्धित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच जिलाधिकारी, रामपुर से कराकर लाइसेंस निरस्त करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्न में सन्दर्भित पत्र शासन में प्राप्त नहीं हुआ है । तथापि इंगित प्रकरण पर जिला मजिस्ट्रेट, इलाहाबाद से सूचना प्राप्त किये जाने पर यह ज्ञात हुआ कि उक्त ग्राम के एक व्यक्ति श्री इन्द्रेश प्रसाद पाण्डेय को जनपद रामपुर से स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण के बारे में जिला मजिस्ट्रेट, रामपुर द्वारा विचार किया गया । चूंकि सम्बन्धित लाइसेंस रामपुर जनपद से जारी होने के बाद थाना कर्नलगंज, इलाहाबाद में दर्ज हो चुका था अतः उसके निरस्तीकरण की कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट इलाहाबाद द्वारा की जायेगी ।

लखनऊ जनपद के कैसरबाग डिपो के बन्द की गयी बस सेवाओं को पुनः नियमित रूप से संचालन की मांग

53–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के कैसरबाग डिपो से मौरावां, भगवन्तनगर, बक्सर होते हुए रायपुर तक जाने वाली बसों का संचालन बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त बसों को नियमित रूप से पुनः चलाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

कैसरबाग डिपो से मौरावां, भगवन्तनगर, ऊंचगांव, रायपुर तथा मौरावां, भगवन्तनगर, ऊंचगांव, बक्सर हेतु संचालित सेवायें बन्द कर दी गयी हैं ।

सन्तोषजनक आय प्राप्त न होने के कारण संचालन बन्द कर दिया गया ।

जी नहीं ।

सन्तोषजनक आय प्राप्त न होने के कारण बस संचालन में कठिनाई है ।

मिनी सहकारी बैंक जमोलिया क्षेत्र पंचायत माल, जिला लखनऊ में जमा कर्ताओं की जमा धनराशि के भुगतान की मांग

54–श्री अब्दुल मन्नान–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि साधन सहकारी समिति जमोलिया से सम्बन्धित मिनी सहकारी बैंक जमोलिया क्षेत्र पंचायत माल, जिला लखनऊ में गबन एवं अनियमितताओं के कारण मियादी एवं बचत खातों के लेन-देन का कार्य बन्द कर दिया गया है जिससे जमाकर्ताओं की मियादी एवं बचत खातों से लेन-देन बन्द है ? क्या सरकार उनके मियादी एवं बचत खातों में जमा धनराशि के भुगतान की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

भुगतान हो रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नही उठता ।

पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में सड़कों के नव निर्माण सम्बन्धी पत्र

55–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत जनपद वाराणसी में सड़कों के नव निर्माण सम्बन्धी आयुक्त, वाराणसी मण्डल, वाराणसी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव/आगणन की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री को सम्बोधित प्रश्नकर्ता का पत्र कम्प्यूटर सं०–सी–10091435, पत्र सं०–सी० ए०एम०/वि०को०एम०/91435/2003, प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन का, दिनांक 14-12-03 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रस्ताव विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर से नियमित रूप से बसों के संचालन की मांग

56–डा० कौशल किशोर–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर से अमानीगंज वाया रुदौली होकर लखनऊ एवं कानपुर तक प्रथम और द्वितीय पाली में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की कितनी बसें चलायी जा रही हैं ? इनके आने एवं वापस जाने की निर्धारित समय सारिणी क्या है ? क्या सरकार पिछड़े क्षेत्र की जनता के आवागमन की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए नियमित रूप से बसें चलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर से अमानीगंज वाया रुदौली होकर प्रथम और द्वितीय पाली में उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बस संचालित नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फैजाबाद से अमानीगंज रुदौली एवं रुदौली से लखनऊ सेवा नियमित रूप से संचालित है जो कि क्षेत्र की जनता को परिवहन सुविधा सुलभ करा रही है ।

उपरोक्तानुसार ।

जानकीपुरम् योजना, लखनऊ के अन्तर्गत संक्रामक रोग की रोकथाम हेतु आवंटित धनराशि

57–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई/अगस्त, 2003 में जानकीपुरम् योजना, लखनऊ के से०–एच० में फैले संक्रामक रोग की रोकथाम हेतु तत्कालीन प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास द्वारा डेढ़ करोड़ रुपये की धनराशि सड़क, नाली सीवर, पार्क, स्ट्रीट लाइट व आधुनिक कूड़ा घर

बनाने हेतु आवंटित की गयी थीं ? यदि हां, तो उक्त कार्यों में कौन-कौन से कार्य अब तक पूर्ण हो गए हैं और कितने कार्य शेष हैं ? अधूरे शेष कार्यों को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्त सेक्टर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अभी नगर निगम को हस्तान्तरित नहीं है ।

मेरठ महानगर में नालों की सफाई

58–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ महानगर में नालों की सफाई न होने के कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है ? यदि हां, तो क्या नालों की सफाई की कोई योजना तैयार की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मेरठ महानगर में छोटे बड़े कुल 140 नाले हैं । बड़े नालों की सफाई नगर निगम द्वारा अपने संसाधनों से करायी गयी है तथा दो बड़े नाले (मकाचीन नाला एवं हासिमपुरा नाला) की सफाई ठेके पर करायी जा रही है ।

90 नालों की सफाई 80 प्रतिशत करा दी गयी है तथा 50 नालों की सफाई 50 प्रतिशत करा दी गयी है । जिससे पानी का जल स्तर 2 से 3 फीट तक नीचे आ गया है ।

ओडियन नाला, आबू नाला, थापड़ नगर नाला आदि जहां पर जे०सी०बी० मशीन लगायी जा सकती है वहां जे०सी०बी० मशीन लगाकर सफाई करायी जा रही है ।

59–श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल–

[निदेश सं० 26(1) के अन्तर्गत उत्तरित]

जनपद आगरा में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने की मांग

60–श्रीमती विमला राकेश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर क्या सरकार जनपद आगरा में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उक्त न्यायालय की खंडपीठ को कब तक स्थापित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मा० उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने का अधिकार भारत सरकार को है ।

निर्णय भारत सरकार को लेना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

परिवहन निगम व निजी बस संचालकों पर यात्रीकर के रूप में बकाया धनराशि

61–श्रीमती विमला राकेश–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिवहन निगम व निजी बस संचालकों पर वित्तीय वर्ष 2003-2004 में कितनी धनराशि यात्री कर के रूप में बकाया है ? क्या सरकार उसकी वसूली हेतु कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

वित्तीय वर्ष 2003-2004 तक परिवहन निगम पर कुल रु० 511.02 करोड़ बकाया है तथा निजी बस संचालकों पर रु० 13.36 करोड़ यात्रीकर/अतिरिक्त कर के रूप में बकाया है ।

परिवहन निगम के अधिकारियों से बकाया जमा करने हेतु निरन्तर अनुरोध किया जा रहा है परन्तु उनके द्वारा बकाया धनराशि जमा नहीं की जा रही है ।

निजी क्षेत्र की वाहनों के बकाया की धनराशि को मांग-पत्रों एवं जिलाधिकारियों को भेजे गये वसूली के माध्यम से वसूल करने के प्रशासन द्वारा लगातार प्रयास किये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में तहसील मुख्यालयों व मुख्य कस्बों को मण्डल मुख्यालय से जोड़ने एवं निजी बसों के संचालन का प्रकरण

62–श्रीमती विमला राकेश–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में तहसील मुख्यालयों व मुख्य कस्बों को मंडल मुख्यालय या जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए राष्ट्रीयकृत मार्गों पर कितने किलोमीटर तक निजी बसों का संचालन किये जाने का नियमों में प्राविधान है ? क्या इसका अनुपालन मेरठ मण्डल में किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रदेश में तहसील मुख्यालयों व कस्बों को मण्डल मुख्यालय व जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों का संचालन किये जाने का नियमों में कोई प्राविधान नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्रीमती राम प्यारी निवासी ग्राम केसरीपुर, जिला बाराबंकी का अवैध कब्जे को हटवाने एवं मारपीट सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही की मांग

63–कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बताने का कष्ट करेंगे कि श्रीमती राम प्यारी पत्नी स्व० शत्रोहन लाल निवासी ग्राम-केसरीपुर, मजरा-रसौली, थाना–सफदरगंज, जिला–बाराबंकी का प्रार्थना-पत्र दिनांक 21-5-2003 जो उसके घर के सामने की भूमि पर जबरन किये गये अवैध कब्जे को हटवाने एवं अराजक तत्वों द्वारा उनसे मारपीट करने के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु श्री घूरा राम, सदस्य, विधान सभा के उपरिपत्र के साथ दिनांक 22-5-2003 उन्हें प्राप्त हुआ है ? क्या सचिव, मुख्य मंत्री के पत्रांक सी०एम०वि०को०/एम 79370/03, दिनांक 24-5-2003 द्वारा पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी को एफ०आई०आर० दर्ज करने एवं जबरन किए गये कब्जे को हटाने हेतु भेजा गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

आवेदिका के प्रार्थना-पत्र की जांच क्षेत्राधिकारी सदर द्वारा करायी गयी । जांच से यह तथ्य प्रकाश

में आया कि श्री बाबादीन पुत्र श्री मातादीन निवासी ग्राम केसरीपुर ने रु० 800/- में एक भूखण्ड श्री बिरजेश पुत्र श्री भगौती प्रसाद के नाम वर्ष 1987 में बैनामा किया है । इस भूखण्ड के दक्षिण की ओर आवेदिका श्रीमती रामप्यारी का मकान है । दिनांक 19-5-03 को आवेदिका द्वारा अपनी उत्तरी दिवाल में एक दरवाजा फोड़ लिया गया तथा उक्त भूखण्ड को सहन बनाने का प्रयास किया है । प्रतिपक्षी भगौती प्रसाद द्वारा इसका विरोध करते हुए उस जमीन पर टीन रखकर नांद आदि बना लिया गया है । प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा क्रमशः जिला जज एवं सिविल जज जू०डि० बाराबंकी के यहां वाद दायर किया गया है । उभयपक्ष को न्यायालय के निर्णय के अनुसार विवादित जमीन पर काबिज होने हेतु समझाया गया तथा जमीन सम्बन्धी विवाद को दृष्टिगत रखते हुए थानाध्यक्ष सफदरगंज द्वारा धारा 107/116 की निरोधात्मक कार्यवाही भी दिनांक 23-5-03 को की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद क्षेत्र के जीरो रोड डिपो की बस सेवा संचालन की मांग

64–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री बलराम जाखड़ का पत्र दिनांक 13 सितम्बर, 2001 जो इलाहाबाद क्षेत्र के जीरो रोड डिपो की एक बस सेवा इलाहाबाद से शिवमूर्ति नगर वाया भारतगंज भरारी लालगंज मार्ग चलाये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

निगम स्तर पर परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि इस सेवा का संचालन न तो जनोपयोगी होगा और न ही निगम के लिए लाभकारी है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका सण्डीला, जनपद हरदोई में पक्का नाला बनाये जाने हेतु कार्य की स्वीकृति एवं धनराशि की व्यवस्था

65–श्रीमती विमला राकेश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका, सण्डीला जनपद–हरदोई में मूसेपुर स्थित मास्टर सबूर के मकान से चक्कर रोड तक पक्का नाला बनाये जाने हेतु कार्य की स्वीकृति एवं धनराशि की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? उक्त नाले का निर्माण कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लालगंज (मिर्जापुर) में कांग्रेस कार्यालय, भवन ध्वस्त कराने के दोषियों के खिलाफ जांच व कार्यवाही

66–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लालगंज (मिर्जापुर) में उप जिलाधिकारी श्री के०एन० सिंह द्वारा कांग्रेस कार्यालय, भवन ध्वस्त कराने के दोषी होने की जांच कराये जाने के संबंध में अध्यक्ष, उ०प्र० कांग्रेस कमेटी श्री जगदम्बिका पाल का पत्र दिनांक 10-10-2003 क्या उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं, किन्तु तहसील लालगंज, जनपद मिर्जापुर स्थित कांग्रेस कमेटी सेवा दल का कार्यालय ध्वस्त किये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्रा, जिलाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मिर्जापुर का पत्र दिनांक 19-9-03 शासन को प्राप्त हुआ है ।

उक्त पत्र पर जिलाधिकारी से मिर्जापुर की आख्या प्राप्त की गयी, जिसके अनुसार प्रश्नगत् निर्माण सार्वजनिक भूमि पर किया जा रहा था, जिससे सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण हो जाता । फलतः कार्यवाही की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मिर्जापुर नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत मार्ग का नामकरण स्वतन्त्रता संग्रामी सेनानी के नाम पर रखने की मांग

67–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि विधायक श्री अखिलेश सिंह का पत्र संख्याः म–1/13354 दि० 24 फरवरी, 1999 जो मिर्जापुर नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत संगमोंहाल से सेक्टर मिल बभुआ अथवा संगमोहाल से पीलीकोठी मार्ग का नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री शिवमूर्ति दुबे मार्ग रखे जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ के मोहल्ला लालकुआं में पेयजल आपूर्ति किये जाने की व्यवस्था

68–श्रीमती विमला राकेश–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के मोहल्ला लालकुआँ में बम्बे वाली गली के निवासियों को पेयजल की आपूर्ति न होने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मोहल्ला वासियों को पेयजल आपूर्ति किये जाने की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लालकुआं में बम्बेवाली गली के निवासियों को पेयजल की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा

है क्योंकि इस क्षेत्र में तीनों समय जलापूर्ति सुचारु रूप से हो रही है ।

जनपद लखनऊ के मोती नगर गोल चौराहे से सेन्ट्रल बैंक चारबाग हैदर कैनाल पुल तक सड़क की मरम्मत की मांग

69–श्री राधेश्याम जायसवाल–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2004 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या–73 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या कार्य सम्पन्न कराने के लिये धन की व्यवस्था कर ली गयी है ? यदि हां, तो प्रश्नगत कार्य कब त॰ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

कार्य का आगणन स्वीकृत है निविदा की स्वीकृति उपरान्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर के आलमबाग क्षेत्र में जीर्ण-शीर्ण सड़क को डामरीकृत करने की मांग

70–श्री राधेश्याम जायसवाल–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ नगर के आलमबाग क्षेत्र में स्थित पूरननगर तिराहे से मानक नगर स्टेशन वाली सड़क जीर्ण-शीर्ण होने के कारण वहां के निवासियों को आवागमन में अत्यधिक कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को डामरीकृत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर के आलमबाग क्षेत्र में अवैध निर्माण हटवाने की मांग

71–श्री राधेश्याम जायसवाल–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र में पूरननगर तिराहे (मुकेश डिपार्टमेंन्टल स्टोर) से लेकर मानक नगर रेलवे स्टेशन तथा श्यामनगर (आर॰डी॰एस॰ओ॰गेट) से लेकर मानक नगर रेलवे स्टेशन तक अनेक दुकानें तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान सड़क पर अवैध कब्जा करके बना लिये गये हैं जिससे नागरिकों को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार अवैध निर्माण को हटायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

किन्तु आवागमन में कोई परेशानी नहीं हो रही है ।

चिन्हांकन कराकर अवैध निर्माण हटवाने की कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ नगर के मोहल्ला श्यामनगर से मानकनगर तक की क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण की मांग

72–श्री राधेश्याम जायसवाल–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि लखनऊ में मोहल्ला श्यामनगर आर०डी०एस०ओ० गेट आलमबाग से लेकर मानकनगर रेलवें स्टेशन तक की सड़क क्षतिग्रस्त है जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

सड़क का निर्माण/सुधार कार्य का आगणन स्वीकृत है । निविदा स्वीकृति के उपरान्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली के विकास खण्ड भुता के निर्माण कार्यों की निरीक्षण आख्या पर कार्यवाही

73–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बरेली के विकास खण्ड, भुता के निर्माण कार्यों की निरीक्षण आख्या जो टी०ए०सी० ग्राम्य विकास विभाग बरेली के पत्र संख्या 820 दिनांक 31-1-2003 द्वारा संयुक्त विकास आयुक्त बरेली को प्रेषित की गई थी, पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जनपद बरेली के विकास खण्ड भुता द्वारा सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों की निरीक्षण आख्या दिनांक 31-1-03 द्वारा नहीं अपितु दिनांक 15–1–03 द्वारा टी०ए०सी० ग्राम्य विकास विभाग, बरेली मण्डल, बरेली द्वारा संयुक्त विकास आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली को प्रेषित की गयी । संयुक्त विकास आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली ने पत्र दिनांक 12-2-04 द्वारा प्रकरण में दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों से शासकीय धनराशि की वसूली हेतु मुख्य विकास अधिकारी को निर्देश दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

74–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

[1ले बुधवार के अता०प्र०सं० 54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

इलाहाबाद क्षेत्र के मिर्जापुर डिपो की बस सेवा संचालन करने हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही

75–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि इलाहाबाद क्षेत्र के मिर्जापुर डिपो की एक बस सेवा मिर्जापुर से इलाहाबाद वाया लालगंज भरारी भारतगंज, मांडा रोड होकर संचालित किये जाने हेतु श्री शशि भूषण दुबे, महासचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस मानवाधिकार फोरम का पत्र दिनांक 2-12-2003 ए०आर०एम० राज्य सड़क परिवहन निगम, मिर्जापुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या बस सेवा का संचालन किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लालगंज से भरारी तक के 16 किमी० मार्गांश का लालगंज–नेवढ़िया 06 किमी० मार्गांश खराब है तथा गिट्टी उखड़ी हुई है । इसके अतिरिक्त लालगंज–भरारी के मध्य दो रपटे हैं, जहां वर्षा में पानी का तेज बहाव रहता है । इस कारण बस सेवा के संचालन में कठिनाई है ।

जनपद मिर्जापुर में डग्गामार वाहनों के संचालन को रोके जाने की मांग

76–श्री संजीव दरियाबादी–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि मिर्जापुर जिले में नेशनल हाइवे सात पर लालगंज ड्रामलगंज, चुनार नरायनपुर एवं हलिया, मड़िहान, ददरी, सिरसी, चील्ह, जिगना मार्ग पर डग्गामार वाहनों के संचालन से उ०प्र० परिवहन निगम की बसों से होने वाली आय प्रभावित हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत मार्गों पर डग्गामार वाहनों के संचालन को रोके जाने के लिए कोई कारगर कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के पुलों व मार्गों के निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने की मांग

77–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियोजन अनुभाग–5 के अर्द्ध शा० पत्र सं०–एम–244/35.5.2001-5(73)2001-116 दिनांक 20 अप्रैल, 2001 एवं पत्र संख्या–1891 दिनांक 17-8-2002 जो जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के पुलों एवं 5 मार्गों के प्रस्ताव एवं आगणन से सम्बन्धित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उनमें से कितना कार्य स्वीकृत कर पूर्ण कर लिया गया है तथा कितना शेष है ? क्या अवशेष कार्यों को पूर्ण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

संदर्भित पत्र द्वारा 5 कार्यों के आगणन मांगे गये थे, जिसमें से केवल उसका में परया नाले पर पुल का शेष कार्य मार्ग निर्माण सहित परियोजना के आगणन मण्डलायुक्त के पत्र सं०–599, दिनांक 5-2-2001 द्वारा प्रेषित किये गये प्रतीत होते हैं, किन्तु यह योजना भी जनपद द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रधान मंत्री ग्राम्य सड़क योजना से पूरी कर ली गई है । शेष कार्यों के बारे में जनपद से आख्या प्रतीक्षित है । आख्या प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा पट्टी के कई मार्गों से सम्बन्धित आगणन प्राप्त किये जाने सम्बन्धित पत्र

78–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियोजन अनुभाग–5 के अर्द्ध शा० पत्र सं०–एम–98/35-52000-8(72)200-164 दिनांक 10 अक्टूबर, 2000 एवं अर्द्ध शा० पत्र सं०–111/35-5-2000-8/(72)2000-164 दिनांक 5 अक्टूबर, 2000 तथा पत्र संख्या–एम–765/35-5-2001 दिनांक 24 अगस्त, 2001 जो नियोजन अनुभाग–5 द्वारा जनपद –प्रतापगढ़ विधान सभा पट्टी के कई मार्गों के

आगणन प्राप्त किये जाने हेतु पत्र मुख्य विकास अधिकारी प्रतापगढ़ को एवं प्रति आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

उपरोक्त पत्रों में वर्णित परियोजना से 18 कार्यों से आगणन वर्ष 2000-01 व 2001-02 में प्राप्त हुए थे । जो व्यपगत हो गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से आगणन स्वीकृति हेतु प्रेषित प्रस्ताव

79–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नियोजन अनुभाग-5 के पत्र संख्या–एन–1646/35.5.2003 दिनांक 8-10-03 जो मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ को प्रेषित तथा मण्डलायुक्त इलाहबाद को पृष्ठांकित है तथा जो जनपद–प्रतापगढ़ के कुल 15 प्रस्ताव पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से आगणन स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल के पत्र दिनांक 6-7-04 द्वारा प्रश्नगत 09 परियोजनाओं के आगणन/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये गये है । प्रकरण विचाराधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी की तीन योजनाओं के आगणन की स्वीकृति हेतु पत्र पर कृत कार्रवाई की मांग

80–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी की तीन योजनाओं के आगणन की स्वीकृति हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र 293/वी०आई०पी०/रा०मं०कृ०/03 दिनांक 25-1-03 प्रमुख सचिव, नियोजन को भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से जनपद प्रतापगढ़ के पुल निर्माण हेतु योजनाओं का आगणन प्रस्तुत करने सम्बन्धी पत्र

81–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुक्त इलाहबाद मंडल को सम्बोधित नियोजन अनुभाग–5 का अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या–एम–244/35-5-2001-5/73/2001-116 दिनांक 20-4-2001 को पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से जनपद–प्रतापगढ़ के पुल निर्माण हेतु 5 योजनाओं के आगणन

प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

संदर्भित पत्र द्वारा 5 कार्यों के आगणन मांगे गये थे, जिसमें से केवल "उसको में परैया नाले पर पुल का शेष कार्य मार्ग निर्माण सहित" परियोजना के आगणन मण्डल युक्त के पत्र सं०–599, दिनांक 5-9-2001 द्वारा प्रेषित किया गया प्रतीत होते हैं, किन्तु यह योजना भी जनपद द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से पूरी कर ली गई है ।

पट्टी विधान सभा क्षेत्र जनपद प्रतापगढ़ के स्वीकृत मार्गों के अधूरे कार्यों के पूर्ण कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

82–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पट्टी विधान सभा क्षेत्र जनपद–प्रतापगढ़ के स्वीकृत 10 मार्गों के अधूरे कार्यों को पूर्ण कराने हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में मा० मुख्य मंत्री जी के आदेश–सी०एम०/वि०को०/एम०/88470/03 दिनांक 22-10-03 प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शासन द्वारा परियोजनावार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति का विवरण मुख्य विकास अधिकारी से मांगा गया था । 03 परियोजनाओं के प्रस्ताव मण्डलायुक्त के पत्र दिनांक 06-07-2004 द्वारा शासन को प्रेषित किये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ की विकास सम्बन्धी योजनाओं को पूर्वांचल विकास निधि से स्वीकृत करने विषयक पत्र पर कार्यवाही

83–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद–प्रतापगढ़ के 7 योजनाओं को पूर्वांचल विकास निधि से स्वीकृत करने एवं अधूरे कार्य को पूर्ण करने हेतु मा० मुख्य मंत्री जी का आदेश सी०एम०/वि०को०/एम/849/03 दिनांक 20-9-03 तथा पत्र संख्या–85048/03, 85051/03, 83160/03 दिनांक 21-9-03 पत्र संख्या–86056/03 दिनांक 29-9-03 पत्र संख्या–87698/03 एवं पत्र संख्या–87700/03 दिनांक 13-10-03 क्या प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

पूर्व वित्तीय वर्षों में प्राप्त आगणन, जो उसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत नहीं होते व व्यपगत हो जाते हैं । अवशेष धनराशि दिये जाने के प्रकरण विचाराधीन है ।

जनपद प्रतापगढ़ की सड़क निर्माण परियोजनाओं को पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत किये जाने हेतु पत्र

84–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पट्टी विधान सभा क्षेत्र जनपद–प्रतापगढ़ की तीन सड़क निर्माण परियोजनाओं को पूर्वांचल निधि राज्यांश से स्वीकृत किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा० मुख्य मंत्री के आदेश–सी०एम०/वि०को०/एम/92726/03 दिनांक 31-12-03 प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित परियोजनाओं के आगणन मण्डलायुक्त, इलाहाबाद से मांगे गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से मार्गों सहित अन्य कार्यों को स्वीकृत करने हेतु आदेश

85–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद–प्रतापगढ़ में पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश के पांच मार्गों सहित अन्य कार्य को स्वीकृत करने हेतु आदेश सी०एम०/वि०को०/एम०/90082/03,90083/03,90099/03, 90100/03 दिनांक 17-11-03 प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

संदर्भित पत्रों में आदेशित 13 परियोजनाओं/कार्यों का आगणन तथा प्रस्ताव मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल से मांगे गये थे । आयुक्त के पत्र दिनांक 6-7-04 द्वारा 12 परियोजनाओं के आगणन/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा पट्टी के मार्ग एवं पुल निर्माण कार्यों हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने सम्बन्धी पत्र

86–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृति हेतु पत्र संख्या–252 दिनांक 25-1-03, 787 दिनांक 29-1-03, 835 दिनांक 1-5-03, 15 दिनांक 3-6-03, 1378 दिनांक 18-7-03, 1424 दिनांक 22-7-03, 1379 दिनांक 16-7-03, 1425 दिनांक 22-7-03, 1454 दिनांक 26-7-03, 1455 दिनांक 20-7-03 जो जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी के मार्ग एवं पुल निर्माण कार्यों के आगणन प्रस्ताव की स्वीकृति तथा अवशेष कार्यों को पूर्ण किये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु क्या राज्य मंत्री, कृषि के पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्न में वर्णित पत्रों में से तीन पत्र सं०–1424 दिनांक 22-7-03, 1379 दिनांक 16-7-03, 1425 दिनांक 20-7-03 कार्यालय में उपलब्ध है ।

कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–प्रतापगढ़ के थाना–कोहडोर में श्रीमती सावित्री अनुसूचित जाति द्वारा पंजीकृत रिपोर्ट

87–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ के थाना–कोंहडोर में पंजीकृत मु०अ०सं०–118/02 धारा 394 जिसे 1 अक्टूबर, 2002 को श्रीमती सावित्री पत्नी रामलोट अनुसूचित जाति के द्वारा पंजीकृत कराया गया था ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन अभियुक्त नामजद है तथा विवेचना में किन-किन गवाहों के बयान दर्ज किये गये और विवेचना का परिणाम क्या है ? क्या विवेचक द्वारा वादी तथा अन्य द्वारा बताये गये तथ्यों का समावेश किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

1–द्वरिका प्रसाद शुक्ला, 2–शत्रुधन शुक्ला, 3–तीरथराम पुत्रगण रामकृपाल, 4–पूनम पुत्री रामदुलारे निवासी अतरसण्ड, थाना कोहडौर, जनपद–प्रतापगढ़ नामजद अभियुक्त हैं ।

विवेचना में 1–श्रीमती सुशीला देवी, 2–श्रीमती सावित्री देवी, 3–श्री रामलवट, 4–श्री राम अवध सरोज, 5–श्री आलोक मणि, 6–श्री सुरेश कुमार, 7–श्री अब्दुल हफीज, 8–श्री विजय प्रकाश पाण्डेय, 9–श्री राम औतार पाल गवाहों के बयान दर्ज किये गये ।

विवेचना में धारा–394 भा०द०वि० के बजाय धारा–504 भा०द०वि० का अपराध होना पाया गया जिसमें आरोप-पत्र सं०–ए-81 दिनांक 25-11-02 को उक्त चारों अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है जो विचाराधीन न्यायालय है ।

वादिनी व अन्य गवाहों के बयान का समावेश विवेचक द्वारा विवेचना में किया गया है । गवाहान के बयान पर ही धारा-504 भा०द०वि० का जुर्म होना पाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ में अपराध व उनके रोकथाम सम्बन्धी कार्यवाही

88–श्री रविन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद–लखनऊ में 1 जनवरी, 03 से मार्च, 04 तक कितने मामले हत्या, डकैती, बलात्कार, चैन लूट के प्रकाश में आये हैं ? क्या यह सही है कि पिछले वर्षों की तुलना में उक्त अवधि में उक्त अपराधों में वृद्धि हुयी है ? यदि हां, तो सरकार उनके रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पिछले वर्षों की तुलना में 1 जनवरी, 03 से मार्च, 04 तक की अवधि में अपराधों की स्थिति सामान्य रही, इस सम्बन्ध में तुलनात्मक विवरण निम्नवत् है :–

अपराध शीर्षक	अवधि		
	1-1-01 से 31-3-02	1-1-02 से 31-3-03	1-1-03 से 31-3-04
हत्या	190	217	201
डकैती	15	12	13
बलात्कार	68	48	48
चैनस्नैचिंग	74	76	81

अपराध की रोकथाम हेतु प्रभावी गश्त पिकेट चेकिंग दबिश अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अपराधियों पर सतर्कदृष्टि रखकर उनके विरुद्ध प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही कर सभी सार्थक प्रयास किये गये है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी टाउन कुरसठ पर टेलीफोन सुविधा की मांग

89–श्रीमती विमला राकेश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–हरदोई की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी टाउन कुरसठ पर टेलीफोन सुविधा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जनहित में उक्त पुलिस चौकी में टेलीफोन लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद हरदोई की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी कुरसठ के लिए शासनादेश संख्या–2033/6-पु-7-2003-226/82, दिनांक 29-3-2004 द्वारा एक स्थायी टेलीफोन स्वीकृत किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

इन्दिरा नगर लखनऊ में स्थित एक पुराने मन्दिर में आवागमन हेतु छोड़ी गयी भूमि

90–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उ०प्र० आवास विकास परिषद् की कालोनी इन्दिरा नगर, लखनऊ में भवन संख्या–ए 1103/15 के पीछे स्थित एक पुराने मन्दिर में आवागमन हेतु आवास विकास परिषद् द्वारा कितने फुट चौड़े रास्ते हेतु भूमि छोड़ी गई थी ? क्या यह सही है कि उक्त छोड़ी गई भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर रास्ते को बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो ए–1103 से ए–1103/17 तक छोड़ी गई भूमि पर अवैध कब्जे हटाने हेतु क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मन्दिर योजना से बाहर होने के कारण आवागमन के लिए परिषद द्वारा रास्ते हेतु भूमि नहीं छोड़ गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में श्री इन्द्रदेव तिवारी भौतियां व अन्य द्वारा शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत करा लेने की जांच

91–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या–473 दिनांक 20-12-02 एवं प संख्या–क–3/136206 दिनांक 20-3-02 जो जनपद-प्रतापगढ़ के थाना कन्धई, थाना–कोतवाली नगर थानान्तर्गत कोंहडौर में गलत पता देकर श्री इन्द्रदेव तिवारी भौतियां अन्य 10 द्वारा शस्त्र लाइसेंस स्वीकृ करा लेने की जांच कराकर उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में था, प्रमुख सचिव, गृह द प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या स्वीकृत कर्ता ए संस्तुतकर्ता अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत मामले में स्थिति यह है कि प्रश्न में संदर्भित पत्र संख्या–473 दिनांक 20-12-2002 एव संख्या–क-3/136206 दिनांक 20-3-2002 श्री इन्द्रदेव तिवारी भौसिया व अन्य 10 के शस्त्र लाइसेन्सों से सम्बन्धित न होकर श्री कृष्ण सहाय उर्फ काशी पाण्डेय व उनके सगे तीन भाइयों के शस्त्र लाइसेन्सों से सम्बन्धित हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गया प्रसाद यादव, लेखा लिपिक की अभिलेखों में गड़बड़ी की एफ०आई०आर० दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

92–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खंड विकास अधिकारी आसपुर देवसरा जनपद–प्रतापगढ़ का पत्र संख्या–774/लेखा लिपिक पत्र/2002-03 दिनांक 2-1-2003 थाना प्रभारी आसपुर, देवसरा को सम्बोधित पत्र के साथ श्री गया प्रसाद यादव, लेखा लिपिक की अभिलेखों में गडबड़ी की एफ०आई०आर० दर्ज किये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

पुनः श्री गया प्रसाद यादव ने यह अवगत कराते हुए कि तत्कालीन खण्ड विकास अधिकारी श्री आर०एन० सिंह तथा ब्लाक प्रमुख श्री देवेन्द्र नाथ पाण्डेय में आपसी मतभेद था । अपना उद्देश्य सिद्ध करने की नियत से अन्तरंजिस उससे लिखवाये थे । दिनांक 02-01-2003 को उसके द्वारा जो प्रार्थना-पत्र थानाध्यक्ष आसपुर देवसरा को कार्यवाही हेतु दिया था, उसमें कोई विधिक कार्यवाही नहीं चाहता । इस कारण श्री गया प्रसाद यादव के प्रार्थना-पत्र दिनांक 02-01-2003 पर कोई कार्यवाही नहीं की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ विकास खण्ड आसपुर, देवसरा, पट्टी, मंगरौरा में हैण्ड पम्प का अधिष्ठापन

3–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद–प्रतापगढ़ विकास खण्ड आसपुर, वसरा, पट्टी, मंगरौरा में 300 इण्डिया मार्का–2 हैण्ड पम्प अधिष्ठापित किये जाने हेतु ग्राम्य विकास नुभाग-5 द्वारा निर्गत स्वीकृति के क्रम में जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को अधिशासी अभियन्ता, निर्माण ाखा, जल निगम, प्रतापगढ़ का पत्र सं०–3816/पै०-33/23 दि० 11-11-02 धन की व्यवस्था हेतु प्राप्त आ है ? यदि हां, तो धन की व्यवस्था एवं अधिष्ठापन हेतु जिलाधिकारी, प्रतापगढ़, ग्राम्य विकास भाग एवं जल निगम द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? अधिष्ठापन हेतु ा समयबद्ध निर्देश देते हुए अपेक्षित धन की व्यवस्था की जायेगी ?

राजपाल त्यागी–

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 2002-03 में जनपद हेतु स्वीकृत परिव्यय के विरुद्ध पट्टी विधान सभा के तीन विकास ण्डों क्रमशः आसपुर देवसरा पट्टी व मंगरौरा में कुल 160 नग हैण्डपम्प तथा वर्ष 2003-04 में पट्टी धान सभा में कुल 210 नग हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये गये । इस प्रकार पट्टी विधान सभा क्षेत्र में न 370 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके है । अतः अलग से धन की व्यवस्था कराये जाने का चित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद–प्रतापगढ़ के लिए प्रस्तावित क्वालिटी प्राब्लम ग्राम योजना में पेयजल योजना को विरचित किये जाने के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं०–471 दिनांक 20-12-02 विधान सभा क्षेत्र पट्टी जनपद–प्रतापगढ़ के लिए प्रस्तावित क्वालिटी प्राब्लम ग्राम योजना में पेयजल जना को विरचित किये जाने के सम्बन्ध में है प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या ग्राम्य विकास अनुभाग-5 अर्द्ध शासकीय पत्र सं०-सी०एम०–418/38-5-2002 ग्राम्य विकास अनुभाग–5 दिनांक 7 अक्टूबर, 02 जो प्रबन्ध निदेशक, जल निगम को भी प्रेषित है पर कार्यवाही करा ली गयी है ? यदि नहीं, तो ं ?

राजपाल त्यागी–

जी हां ।

प्रश्नकर्ता के पत्र में उल्लिखित ग्राम्य विकास अनुभाग–5 के पत्र संख्या–स०-सी०एम०-418/38-5- ग्राम्य विकास अनुभाग–5 दिनांक 7 अक्टूबर, 2002 में जनपद–प्रतापगढ़ के 13 ग्रामों की ०पी०बी० (गुणता प्रभावित ग्रामीण पेयजल) कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजना विरचित किये जाने उल्लेख किया गया है ।

प्रश्नगत 13 ग्रामों में से एक ग्राम हरीपुर बरदेता की पेयजल योजना अनुमानित लागत रु० 24.50 ख विरचित की जा चुकी है । एक अन्य ग्राम नरायनपुर में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के नमूनों की जांच

कराने पर पानी की गुणवत्ता प्रभावित नहीं पायी गयी । अतः भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार क्यू०पी०बी० ग्रामों की पेयजल योजना के अन्तर्गत उक्त ग्राम की पेयजल योजना विरचित नहीं की जा सकती है । शेष 11 ग्रामों में अधिष्ठापित हैण्डपम्प के पानी की जांच की कार्यवाही की जा रही है । जल परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि पानी की गुणवत्ता ठीक नहीं पायी जाती है तो क्यू०पी०बी० ग्रामों की पेयजल योजना विरचित की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पंचायत पट्टी जनपद प्रतापगढ़ में राज्य नगर विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत नाला पूर्ण कराने हेतु पत्र पर कृत कार्यवाही

95–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत पट्टी जनपद–प्रतापगढ़ में राज्य नगर विकास अभिकरण द्वारा स्वीकृत नाला पूर्ण कराने हेतु मा० मुख्य मंत्री जी का आदेश–सी०एम०/वि०को०/एम०/88264/03 दिनांक 20-10-03 प्रमुख सचिव नगरीय रोजगार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं, प्रश्नगत पत्र सीधे निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र० को प्राप्त हुआ है ।

जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा, प्रतापगढ़ द्वारा अपने पत्र संख्या–167/जिलाधिकारी/डूडा–प्रतापगढ़ 2003-2004, दिनांक 17-12-03 द्वारा अपूर्ण नाले के निर्माण हेतु रु० 6.10 लाख सूडा से अवमुक्त करने की मांग की गई थी, जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त रु० 3.00 लाख की धनराशि डूडा, प्रतापगढ़ को अवमुक्त की गयी थी एवं अभिकरण के पत्र संख्या–1042/76/एक/2003-04, दिनांक 21-7-04द्वारा द्वितीय किश्त रु० 3.00 लाख भी डूडा, प्रतापगढ़, को अवमुक्त किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ०प्र० जल निगम द्वारा सी० एण्ड डी०एस० की अनुमति एवं स्वीकृति प्राप्त किये बिना धन भुगतान करने की जांच

96–श्री रविन्द्र पुण्डीर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ०प्र० जल निगम द्वारा बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत ललितपुर पुनर्गठन पेयजल योजना में राइजिंगमैन तथा वितरण प्रणाली के कार्य हेतु सी०एण्ड डी०एस० (कान्ट्रेक्शन एण्ड डिजाइन सेक्शन)की अनुमति एवं स्वीकृति प्राप्त किये बिना 246.48 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं ।

बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत स्वीकृत धनराशि रु० 246.81 लाख में से राइजिंगमेन तथा वितरण प्रणाली के लिए कुल रु० 55.12 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी थी, जिसके सापेक्ष रु० 62.66 लाख की धनराशि व्यय की गयी है ।

इसकी प्रारम्भिक जांच मुख्य अभियन्ता (झांसी क्षेत्र), उ०प्र० जलनिगम से करायी गयी है । प्रारम्भिक जांच के आधार पर आरोप-पत्र देकर विभागीय कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है । जांच में

दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद–फर्रूखाबाद में से राजकीय पर्यवेक्षक श्री देवेन्द्र दत्त वर्मा को सेवानिवृति उपरान्त समस्त देयों का भुगतान

97–श्री रविन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1974 में जनपद–फर्रुखाबाद में से राजकीय पर्यवेक्षक के पद से सेवानिवृत्ति श्री देवेन्द्र दत्त वर्मा की 1949 से 1961 तक की वाह्य सेवाओं को जोड़कर संशोधित पेंशन और अवकाश नकदीकरण देने के संबंध में रजिस्ट्रार, सहकारिता के कार्यालय आदेश संख्या–56/49-2-2000-600(60)/96 दिनांक 29-2-2000 एवं 286-88/स्था०ख/1-ए–6, दि० 7-4-2004 का अनुपालन करते हुए क्या इन्हें समस्त भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

शासनादेश संख्या–56/49-2-2000-600(60)/96, दि० 29-2-2000 एवं निबन्धक कार्यालय के पत्रांक–286-88/स्था०ख/1ए-6, दिनांक 7 अप्रैल, 2000 के अनुपालन में श्री देवेन्द्र दत्त वर्मा की 1949 से 1961 तक वाह्य सेवा अवधि को जोड़कर संशोधित पेंशन श्री वर्मा नियमित रूप से प्राप्त कर रहे है तथा पेंशन एरियर की धनराशि को श्री वर्मा में स्वयं लेने से मना कर दिया है ।

श्री वर्मा 1974 में सेवा निवृत्त हुए थे । उस समय उ०प्र० कोआपरेटिव यूनियन लि० में नकदीकरण की सुविधा अनुमन्य नहीं थी । इसलिए श्री वर्मा को अवकाश नकदीकरण भुगतान का कोई औचित्य नहीं है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री वर्मा स्वयं पेंशन एरियर की धनराशि कोषागार से प्राप्त नहीं कर रहे है ।

श्री सीताराम वर्मा तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक, लखनऊ द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच

98–श्री रविन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीताराम वर्मा तत्कालीन प्रबंध निदेशक, उ०प्र०, सहकारी ग्राम विकास बैंक, लखनऊ द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने विषयक श्री भाष्कर चन्द्र उपाध्याय संयोजक ट्रेड यूनियन, इकाई सहकारिता लखनऊ का शिकायती-पत्र दिनांक 4-9-99 दिनांक 6-5-99 तथा पूर्व विधायक श्री भगवती प्रसाद शुक्ला के शिकायती पत्र दिनांक 7-5-99 पर निबंधक सहकारी समितियाँ लखनऊ के पत्रांक 413-अ०नि०–अधि० दिनांक18-8-99 तथा पत्रांक 454/अ०नि०–अधि० दि० 3-10-01 द्वारा जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या जांच कार्यवाही पूर्ण कर दी गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है तथा उसके आधार पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । अपितु निबन्धक कार्यालय के पत्रांक–413/अ०नि०-अधि० दिनांक 18-8-99 एवं पत्रांक–755/अ०नि०-अधि० दिनांक 3-10-2001द्वारा श्री भाष्कर चन्द्र उपाध्याय एवं श्री भगवती प्रसाद शुक्ला शिकायतकर्ताओं से शिकायतों की पुष्टि के सम्बन्ध में साक्ष्य मांगा गया था ।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ला पूर्व विधायक द्वारा शिकायती पत्र की पुष्टि अभी तक नहीं किये जाने के कारण जांच कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी है ।

जांच चल रही है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री पंचम लाल यादव सुदामापुरी चारबाग लखनऊ की भांजियों को श्री राम किशन मेहरोत्रा के चंगुल से छुड़ाने सम्बन्धी प्रार्थना पत्र पर कृत कार्रवाई

99–श्रीमती विमला राकेश–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पंचम लाल यादव निवासी मकान नं०–3, मछपुरा हाउस, नहर का किनारा सुदामापुरी, चारबाग, लखनऊ की भांजियों को श्री राम किशन मेहरोत्रा के चंगुल से छुड़ाने तथा उसके विरुद्ध एफ०आई०आर० लिखे जाने संबंधित प्रार्थना-पत्र के साथ श्री कौशल किशोर, स०वि०स० का उपरि पत्र दिनांक 6 फरवरी, 2003 मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी स्तर से कराने पर पाया गया कि आवेदक की बहन मंजू यादव का उनके पति श्री श्याम सुन्दर से तलाक हो जाने के बाद उन्होंने आलमबाग लखनऊ निवासी जगदीश चन्द्र मेल्होत्रा से प्रेम विवाह कर लिया । उपरोक्त मंजू यादव की मृत्यु के उपरान्त उनकी पुत्रियां स्वेच्छा से उक्त जगदीश चन्द्र मल्होत्रा के साथ रह रही है । आवेदक द्वारा इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया वाद भी खारिज किया जा चुका है । अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के थाना आसपुर देवसरा, थाना कन्धई में पंजीकृत मुकदमों को वापस लिये जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्रवाई

100–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ से सम्बन्धित मु०अ०सं०–26ए/2002 थाना–आसपुर देवसरा के संबंध में राज्य मंत्री कृषि का पत्र सं०–681 दिनांक 16-4-03, 415 दिनांक 25-2-03, 1423 दिनांक 22-7-03 तथा मु०अ०सं०–280/96 थाना–कन्धई एवं मु०अ०सं० 127/99 थाना कन्धई के सम्बन्ध में पत्र सं०–95 दिनांक 14-1-03, 1430 दिनांक 22-7-03 जो क्रमशः श्री गंगा प्रसाद पाल आदि निवासी ग्राम–लखनीपुर, श्री शिव हरख मौर्य आदि निवासी ग्राम कन्धई मधुपुर तथा श्री मनोज कुमार सिंह निवासी ग्राम–बरहा के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमों को वापस लिये जाने के सम्बन्ध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उन पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

समुचित विचारोपरान्त मु०अ०सं०–26ए/02 थाना–आसपुरदेवसरा तथा मु०अ०सं०–280/96, थाना–कन्धई को वापस नहीं लिये जाने का निर्णय लिया जा चुका है एवं मु०अ०सं०–127/99, थाना–कन्धई के सम्बन्ध में जिला मैजिस्ट्रेट का स्पष्ट मत मांगा गया है, जो प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

101–श्री ओम प्रकाश उर्फ ओ०पी० सिंह–

[1ले गुरुवार के अता० प्र० सं० 145 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद व पुलिस महानिदेशक कार्यालय में लिपिकों की स्थानान्तरण नीति

102–श्री रविन्द्र पुण्डीर–

क्या सरकार को जानकारी है कि पुलिस मुख्यालय इलाहबाद व पुलिस महानिदेशक कार्यालय में लिपिकों के लिए कोई स्थानान्तरण नीति बनाई गयी है ? यदि हां, तो क्या सही है कि पुलिस मुख्यालय व पुलिस महानिदेशक कार्यालय में लिपिक वर्गीय कर्मचारी एक ही स्थान पर 10-15 वर्षों से कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या इनका स्थानान्तरण अन्यत्र किया जायेगा ? यदि हां , तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

पुलिस महानिदेशक कार्यालय एवं पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद के कार्यालय में कार्यरत कर्मियों के स्थानान्तरण हेतु कोई स्थापित नीति नहीं है । पुलिस विभाग के समस्त लिपिकीय कर्मियों को जो 5 संवर्गों में विभक्त है, को यथा आवश्यकता प्रशासनिक एवं जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है ।

103–श्री अनिल कुमार वर्मा–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

104–श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल–

[मा० सदस्य द्वारा त्याग-पत्र दे दिये जाने के कारण हटाया गया]

श्रीमती जुलेखा बेगम विधवा स्व० श्री नसीमुद्दीन खां, चुंगी अधीक्षक, नगर पालिका, शाहाबाद हरदोई के बकाया भुगतान सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाई

105–श्री आनन्द प्रकाश लोधी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती जुलेखा बेगम विधवा स्व० श्री नसीमुद्दीन तत्कालीन चुंगी अधीक्षक, नगर पालिका, शाहाबाद, हरदोई का पत्र मा० श्री पूर्णमासी देहाती, सदस्य विधान सभा के उपरिपत्र के साथ दिनांक 20 नवम्बर, 2003 जो बकाया पी०एफ० अंशदान तथा पारिवारिक पेंशन दिये जाने विषयक उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

श्रीमती जुलेखा बेगम, पत्नी स्व० श्री नसीमुद्दीन, तत्कालीन चुंगी अधीक्षक, न०पा०प० शाहाबाद, हरदोई को पारिवारिक पेंशन/उपादान भुगतान करने काआदेश निदेशालय, स्थानीय निकाय के पत्र संख्या–पी०सी०/पारि० पे०भु०आ०/1638/255-पे/89318, दिनांक 4 अगस्त, 2003 द्वारा निर्गत किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

106–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ ''मोती सिंह''–

[दूसरे शुक्रवार के अता० प्र० सं० 9 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

थाना आसपुर देवसरा, जनपद–प्रतापगढ़ में पंजीकृत मुकदमा वापस लेने सम्बन्धी पत्र पर कार्रवाई

107–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना–आसपुर देवसरा जनपद–प्रतापगढ़ में पंजीकृत मुकदमा सं०–55/99 तथा 128/01 एवं 130/01 एवं 26/02 को वापस लेने हेतु श्री चन्द्रनाथ सिंह का पत्र सं०–सी०एम०/एम०पी०/171539/03 तथा171512/03 दिनांक 12-11-03 एवं 173237/03 दिनांक 22-11-03 प्रमुख सचिव, न्याय को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

मु०अ०सं०–55/99 न होकर अ०सं०–77/91 है, जिसे समुचित विचारोपरान्त वापस नहीं लिये जाने का निर्णय लिया जा चुका है । अ०सं०–128/01 एवं 130/01 के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विचाराधीन है एवं अ०सं०–26/02 न्यायालय द्वारा निर्णीत होकर अभियुक्तगण, दोषमुक्त हो चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद प्रतापगढ़ के थाना कन्धई एवं थाना आसपुर देवसरा में पंजीकृत मुकदमा वापस लेने सम्बन्धी जानकारी

108–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के थाना कन्धई में पंजीकृत मुकदमा संख्या 311 तथा 280 वर्ष 1986 एवं थाना आसपुर देवसरा में पंजीकृत मुकदमा सं०–68 एवं 26ए/02 को वापस लिये जाने हेतु उनका आदेश सी०एम०/वि०को०/एम–97968/04 दिनांक 5-3-04 प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

समुचित विचारोपरान्त मु०अ०सं० 311/96 एवं 280/96, थाना कन्धई तथा मु०अ०सं० 26ए/02, थाना –आसपुर देवसरा को वापस नहीं लिये जाने का निर्णय लिया जा चुका है । अ०सं०–68/02 के सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट की आख्या प्रतीक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद प्रतापगढ़ के थाना–कन्धई में पंजीकृत मुकदमा की जांच सी०बी०सी०आई०डी० से कराये जाने सम्बन्धी पत्र पर कार्रवाई

109–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के थाना कन्धई में पंजीकृत मुकदमा सं० 22/04 की जांच सी०बी०सी०आई०डी० से कराये जाने हेतु आदेश सी०एम०/वि०को०/एम०/97798/04 दिनांक 4-3-04 प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रकरण में पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ से आख्या/अभिमत प्राप्त किया गया । आख्या के आधार पर सी०बी०सी०आई०डी० से जांच कराने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी से सम्बन्धित मार्ग एवं पुल निर्माण का आगणन एवं स्वीकृति

110–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र 1294/03 दिनांक 5--7-03 प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग–5 को जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी से सम्बन्धित मार्ग एवं पुल निर्माण का आगणन एवं स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अमीनाबाद, लखनऊ स्थित कारागार डिपो को कारागार विभाग को हस्तान्तरित किया जाना

111–मो० मुजतबा सिद्दीकी–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि 49 अमीनाबाद लखनऊ जिसमें कारागार डिपो स्थित है, नगर निगम के रिकार्ड में शत्रु सम्पत्ति दर्ज है ? यदि हां, तो क्या उक्त सम्पत्ति को कारागार विभाग को हस्तान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

मुख्य विकास अधिकारी प्रतापगढ़ को पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश के अन्तर्गत कार्यों के आगणन प्रेषित किये जाने के सम्बन्धी पत्र

112–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी प्रतापगढ़ को नियोजन अनुभाग–5 का पत्र सं०–एम० 1967/35-5-03 दिनांक 9-1-04 एवं एम 1964/35.5.03 दिनांक 31-1-04 पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश के अन्तर्गत क्रमशः 13 एवं 6 कार्यों के आगणन प्रेषित किये जाने हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

अभियुक्त, इलाहाबाद मण्डल के पत्र दि० 6-7-04 द्वारा 19 परियोजनाओं के सापेक्ष 18 परियोजनाओं के आगणन/प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये गये है । प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के अपराधियों की जांच एस०टी०एफ० द्वारा कराये जाने संबंधी पत्र पर कार्यवाही

113–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र क–3/136091 दिनांक 19-1-2004 जो जनपद–प्रतापगढ़ के अपराधियों की जांच एस०टी०एफ० द्वारा कराये जाने हेतु था, पर मा० मुख्य मंत्री जी के आदेश दिनांक 19-1-2004 सहित प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों के संबंध में एस०टी०एफ० के पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा जांच की गयी तो श्री डी०पी० इंसान द्वारा दो विद्यालय एवं एक "अखिल भारतीय इंसान सेवा समिति" नामक समिति संचालित किये जाने की पुष्टि हुई । उनकी जांच से श्री डी०पी० इंसान के विरुद्ध अवैध देह व्यापार रैकेट तथा नकली नोटों का संचालन करने संबंधी आरोप प्रमाणित नही हुए ।

प्रश्न नही उठता ।

जनपद-प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र पट्टी से संबंधित मार्ग निर्माण पुल निर्माण हेतु कार्यों के आगणन प्रस्ताव में विलम्ब पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

114–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र पट्टी से सम्बन्धित मार्ग निर्माण पुल निर्माण हेतु शासनादेश सं०–एम०–244/35-5-01-5/75/01/116 दिनांक 20-4-01 के अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी एवं आयुक्त, इलाहाबाद मंडल द्वारा किन-किन कार्यों के आगणन प्रस्ताव किस संख्या के माध्यम से नियोजन–5 को भेजे गये ? यदि नहीं, तो विलम्ब हेतु कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं ? क्या उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

संदर्भित पत्र द्वारा 5 कार्यों के आगणन मांगे गये थे, जिसमें से केवल " उसका में परैया नाले पर पुल का शेष कार्य मार्ग निर्माण सहित" परियोजना के आगणन मण्डलायुक्त के पत्र संख्या-599, दिनांक 5-9-2001 द्वारा प्रेषित किये गये प्रतीत होते हैं किन्तु यह योजना भी जनपद द्वारा उपलब्ध सूचना के

अनुसार प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना से पूरी कर ली गई है । मण्डलायुक्त की जांच कराकर आख्या भेजने के निर्देश दिये गये हैं ।

जिला रामपुर के विकास खण्ड चर्मरोद्धवा तथा बिलासपुर से नफीस नर्सरी मुजासा मलिहाबाद लखनऊ द्वारा आपूर्ति किये गये पौधों के भुगतान किये जाने विषयक पत्र

115–श्री रियाज अहमद–

क्या सरकार को जानकारी है कि राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश के पत्रांक सं०–196/वी०आई०पी०/2004 दि० 21-2-2004 नफीस नर्सरी का संलग्न मूल प्रार्थना-पत्र जो जिला रामपुर के विकास खंड चर्मरोद्धवा तथा बिलासपुर से नफीस नर्सरी मुजासा मलिहाबाद लखनऊ द्वारा आपूर्ति किए गए पौधों का भुगतान किये जाने विषयक था जिलाधिकारी रामपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां ।

नफीस नर्सरी मुजासा मलिहाबाद लखनऊ द्वारा जनपद रामपुर के विकास खण्ड चमरम्बा तथा विलासपुर को की गयी पौधों की आपूर्ति का समस्त भुगतान कर दिया गया है ।

प्रश्न नही उठता ।

पूर्वांचल निधि के राज्यांश से स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने के लिए शेष धनराशि को निर्गत किये जाने की मांग

116–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2004 के पहले सोम के लिए निर्धारित अता० प्रश्न सं०–90 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत पत्र में 21 कार्य जो पहले से पूर्वांचल निधि के राज्यांश से स्वीकृति थे क्या उन्हें पूर्ण करने हेतु शेष धनराशि कब तक निर्गत कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

स्वीकृत 21 कार्यों में से 6 परियोजनाओं के मुख्य विकास अधिकारी, द्वारा उपलब्ध कराये गये उपभोग प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण भरे होने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित न होने के कारण उपभोग प्रमाण पत्रों को सही कराकर उपलब्ध कराने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिये गये हैं । 14 परियोजनाओं के उपभोग प्रमाण-पत्र अभी भी अप्राप्त है । सही उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर ही शेष धनराशि निर्गत करने पर विचार किया जा सकेगा । एक परियोजना उसका में परैया नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत पूर्ण करा लिया गया है ।

प्रश्न नही उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र के विकास कार्यों को पूर्ण कराने तथा शेष की मरम्मत संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

117–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-1-04 जो जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र के 21 कार्यों को पूर्ण कराने तथा शेष कार्यों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में था, मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस, पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्राप्त सूचनानुसार मुख्य विकास अधिकारी द्वारा दि० 20-1-04 का संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को अपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नही उटता ।

प्रदेश में जल निधि की विस्तृत योजना

118–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जल निधि की विस्तृत योजना क्या है, वर्तमान में इसके लिए प्रदेश में कितना धन उपलब्ध है ? उक्त योजना किन-किन जनपदों में कब से प्रभावी है ?

श्री राज पाल त्यागी–

राजीव गांधी पेयजल मिशन, पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जलनिधि परियोजना उत्तर प्रदेश के पांच जिलों में माह अक्टूबर, 1999 से क्रियान्वित की जा रही थी । यह परियोजना माह जून, 2004 को समाप्त हो गयी है । यह परियोजना मांग आधारित एवं सामुदायिक सहभागिता के सिद्धान्तों पर ग्रामीण समुदाय को पेयजल मुहैया कराने हेतु संचालित की जा रही थी । प्रदेश में जलनिधि परियोजना के अन्तर्गत जून, 2004 तक अवमुक्त की गई धनराशि रु० 5928.77 लाख के सापेक्ष रु० 5167.77 लाख व्यय किया जा चुका है । वर्तमान में जलनिधि परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में रु० 761.00 लाख उपलब्ध है । उक्त योजना पांच जनपदों–लखनऊ, आगरा, चन्दौली, सोनभद्र एवं मिर्जापुर में अक्टूबर, 1999 से प्रभावी थी तथा जून 2004 को समाप्त हो गई है ।

जनपद जौनपुर में जारी किये गये शस्त्र लाइसेंस

119–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–जौनपुर में सितम्बर, 2003 से 15 अप्रैल, 2004 तक कितने शस्त्र लाइसेंस जारी किये गये हैं और शस्त्र लाइसेंस जारी करने का आधार क्या था ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद जौनपुर में माह सितम्बर, 2003 से 15 अप्रैल, 2004 तक कुल 826 शस्त्र लाइसेंस निर्गत किये गये हैं । आवेदकों को उक्त शस्त्र लाइसेंस आयुद्ध अधिनियम/आयुद्ध नियमावली के प्राविधानों एवं शासन द्वारा जारी आदेश के अनुरूप आवेदक की शस्त्र लाइसेंस हेतु वास्तविक आवश्यकता एवं उपयुक्तता के आधार पर प्रदान किये गये हैं ।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड धर्मापुर में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत कराये गये कार्य

120–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–जौनपुर के विकास खण्ड धर्मापुर में वर्ष 2002, 2003 व 15 मई, 2004 तक सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल कितना धन आवंटित किया गया तथा किन-किन कार्यों पर कितना खर्च हुआ ? क्या उक्त योजना में कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सुनिश्चित रोजगार योजना को वर्ष 2001 में ही समाप्त कर दिया गया था । अतः जनपद जौनपुर में प्रश्नगत अवधि (वर्ष 2002. 2003 एवं 15 मई, 2004) में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत धनराशि के आवंटन व्यय तथा कराये गये कार्यों के भौतिक सत्यापन का प्रश्न ही नही उटता ।

जनपद जौनपुर के थाना–जलालपुर में श्री शोभनाथ द्वारा एस०सी०/एस०टी० एक्ट कायम करने संबंधी प्रकरण पर कृत कार्यवाही

121–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि जनपद–जौनपुर के थाना–जलालपुर में श्री शोभनाथ पुत्र श्री महेश राम द्वारा मु०अ०सं० 149/04 अन्तर्गत धारा 147, 452, 393, 504 आई०पी०सी० व 3(1) एस०सी०/एस०टी० एक्ट कायम कराया गया है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

थाना जलालपुर, जौनपुर पर मु०अ०सं०-149/04 अन्तर्गत धारा-147,452,393,504 भा०द०वि० एवं 3(1)10 एस०सी०/एस०टी० एक्ट बनाम 1–लल्लू सिंह, 2–पुल्लू सिंह, 3–राना सिंह, 4–बेचू सिंह, 5–सुरेश सिंह, 6–विरेन्द्र सिंह, 7–राहुल सिंह पंजीकृत किया गया है दौरान विवेचना राना सिंह एवं विरेन्द्र सिंह की नामजदगी गलत पायी गयी । उक्त अभियोग में पांच अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 15-6-2004 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है ।

प्रश्न नही उठता ।

पोखरा के पास बढ़ते अतिक्रमण को हटवाने संबंधी पत्र पर कार्यवाही

122–श्री बादशाह सिंह तथा श्री राम इकबाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि श्री संजय कुमार गुप्ता वार्ड नं०–4 नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) व अन्य कई व्यक्तियों के संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र जो दिनांक 13-5-2004 पोखरा के पास बढ़ते अतिक्रमण को हटवाने के सम्बन्ध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

अवैध अतिक्रमण (कब्जा) हटवा दिया गया ।

प्रश्न ही नही उठता ।

123–श्री धर्मराज निषाद–

[1ले शुक्रवार के अता०प्र० सं०–19 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ नगर निगम कार्यालय के सामने जय मां दुर्गे भोजनालय को विद्युत आपूर्ति

124–श्री अनिल कुमार वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर निगम कार्यालय के सामने राजा झंडी पार्क में बने सर्वेन्ट क्वार्टर के बगल में एक जनरेटर कक्ष बना है और उसके द्वारा जय मां दुर्गे भोजनालय को बिजली उपलब्ध करायी जा रही है ? यदि हां, तो क्या यह अधिग्रहीत जमीन नगर निगम/लखनऊ विकास प्राधिकरण/नगर विकास विभाग द्वारा आवंटित है ? यदि हां, तो कब से और कितने वर्षों के लिए ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस अतिक्रमण कक्ष को गिराकर पार्क को स्वच्छ एवं सौन्दीकरण के निर्देश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

फुटपाथ पर जनरेटर रखकर दुर्गमा भवन प्रथम तल पर स्थित भारतीय स्टेट बैंक को विद्युत आपूर्ति की जाती थी ।

जी नहीं ।

प्रश्न नही उठता ।

उपरोक्त अतिक्रमण हटवा दिया गया है । अतिक्रमण फुटपाथ पर था । अतः प्रश्न नही उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

तदैव ।

जनपद लखनऊ में राजेन्द्र नगर पानी की टंकी के कैम्पस में दन्तमंजन बनाने का कारखाना

125–श्री विनय शाक्य–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में राजेन्द्र नगर पानी की टंकी के कैम्पस में स्थित सरकारी मकान में "मिस्वा दन्त मंजन" बनाने का कारखाना चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

राजेन्द्र नगर पानी टंकी के कैम्पस में दन्तमंजन बनाने का कोई भी कारखाना नही चल रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उटता ।

राजकीय कालोनी बादशाहनगर, लखनऊ के आवासीय भवनों को आवंटियों को बेचे जाने का प्रकरण

126–श्री प्रताप चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कालोनी बादशाहनगर, लखनऊ के आवासीय भवनों को आवंटियों को बेचे जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नही ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मे० अन्सल हाउसिंग एण्ड कान्स्ट्रक्शन लि० द्वारा दायर रिट याचिका में प्राप्त स्थगन आदेश को निरस्त कराने के संबंध में कृत कार्यवाही

127–श्री प्रताप चौधरी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2004 के पहले सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या–61 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर–आई एवं जे० के भूखण्डों के आवंटन के संबंध में मे० अन्सल हाउसिंग एण्ड कान्स्ट्रक्शन लि० द्वारा मा० उच्च न्यायालय, बेन्च, लखनऊ में दायर रिट याचिका संख्या–92/2003 में प्राप्त स्थगन आदेश को निरस्त कराने के संबंध में विभाग द्वारा अब तक कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

याचिका संख्या-92/2003 को निरस्त किये जाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा मा० उच्च न्यायालय, बेंच लखनऊ में दो प्रार्थना पत्र दाखिल किये गये हैं । प्रथम प्रार्थना-पत्र आर्बीट्रेशन एण्ड कैंसीलेशन एक्ट की धारा-8(1) के आधार पर कि अनुबन्ध में आर्बीट्रेशन एक्ट की व्यवस्था होने के कारण वाद सिविल कोर्ट के समक्ष मेंटेनेबुल नही है और निरस्त होने योग्य है तथा दूसरा प्रार्थना पत्र सी०पी०सी० के सेक्शन-9 आर्डर-7 रूल-11 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है जिसमें तथ्यों एवं विधि दोनों के आधार पर वाद निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है ।

दूसरे प्रार्थना-पत्र द्वारा अण्डर सेक्शन-9 आर्डर-7 रूल-11 सीपीसी में दाखिल किया गया है जिसमें तथ्यों एवं निधि दोनों के आधार पर वाद निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है ।

प्रश्न नही उठता ।

जनपद जौनपुर में विकास खण्डवार खराब/बन्द पड़े हैण्डपम्पों का विवरण

128-श्री जगदीश नारायण राय-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद-जौनपुर में विकास खण्डवार कितने हैण्ड पम्प खराब/बन्द हैं ? क्या सरकार इन्हें ठीक कराने की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज पाल त्यागी-

जनपद-जौनपुर में विकास खंडवार खराब/बन्द पड़े हैण्डपम्पों का विवरण निम्नांकित है :-

क्र०सं०	विकास खण्ड का नाम	स्थाई रूप से खराब हैण्ड पम्पों की संख्या	अस्थाई रूप से खराब हैण्ड पम्पों की संख्या
1	2	3	4
1	धर्मापुर	13	57
2	बक्शा	26	38
3	बदलापुर	32	60
4	मछलीशहर	29	108
5	सुजानगंज	19	46
6	करन्जाकला	30	21
7	सिरकोनी	09	83
8	महराजगंज	02	87
9	सिकरारा	22	57
10	मु० बादशाहपुर	08	68
11	मड़ियाहूं	25	64
12	रामनगर	30	34
13	रामनगर	45	60
14	बरसठी	20	218
15	शाहगंज	35	81
16	सुइधाकला	25	47

1	2	3	4
17	खुटहन	05	35
18	केराकत	35	122
19	मुफ्तीगंज	25	32
20	जलालपुर	25	52
21	टोभी	15	66
	योग	475	1436

जनपद–जौनपुर के विकास खण्डों में स्थाई रूप से खराब कुल 475 हैण्डपम्पों में से कुल 465 हैण्डपम्पों को ठीक करा दिया गया है । अस्थाई रूप से खराब कुल 1436 हैण्डपम्पों में से कुल 1386 हैण्डपम्पों को ठीक करा दिया गया है ।

प्रश्न नही उठता ।

जनपद जालौन में बिलायां रोड से हनुमान मन्दिर तक खड़ण्जा निर्माण कार्य का प्रस्ताव

129–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम/पो० बिलायां ब्लाक व तहसील कोंच जनपद–जालौन में बिलायां रोड से हनुमान मंदिर तक 200 मीटर खड़न्जा बनवाने के सम्बन्ध में आदेश पत्र सं० सी०एम०/वि०को०/एम/98542/2004, दिनांक 13-3-04 प्रमुख सचिव/ सचिव, ग्राम्य विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां ।

जनपद जालौन के ब्लाक कोंच में ग्राम विलाया में रोड से हनुमान मन्दिर तक 200 मी० खड़ण्जा निर्माण कार्य के प्रस्ताव सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत क्षेत्र पंचायत कोंच की वर्ष 2004-05 के कार्ययोजना में सम्मिलित कर लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

130–श्री जगदीश नारायण राय–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जौनपुर केराकत मार्ग पर बिना परिमिट चल रही बसों के संचालन पर रोक लगाने की मांग

131–श्री जगदीश नारायण राय–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–जौनपुर में जौनपुर–केराकत मार्ग पर बिना परिमिट की चल रही बसों के संचालन पर रोक लगाने हेतु प्रभावी कदम उठायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जौनपुर–केराकत मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग है । इस पर निगम की बसें संचालित होती हैं । इस मार्ग पर निजी संचालकों को वाहन चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है । शिकायत होने पर समय-समय पर चेकिंग अभियान चलाये जाते हैं । दिनांक 01-04-2003 से 30-6-2004 तक कुल 07 बसों के संचालन किये गये, जिसमें से 6 बसों को निरुद्ध किया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

शाहजहांपुर नगर की क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण की मांग

132–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर नगर की सड़क मो० भारतद्वाजी से बाल्मीकि बस्ती होते हुए रोशनगंज चौराहा तक क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

सम्बन्धित निकाय के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए सम्प्रति सड़क का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर नगर के क्षतिग्रस्त मार्गों के निर्माण की मांग

133–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–शाहजहांपुर नगर के दो मार्ग घन्टा घर से चार खम्भा तथा वजीरगंज से अन्टा चौराहा क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

उक्त मार्गों पर कहीं-कहीं गड्ढे हो गये हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में तिलहर नगर पालिका में पार्क बनवाने हेतु पत्र

134–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–शाहजहांपुर में तिलहर नगर पालिका में पार्क बनवाने हेतु पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम–97416/2004, दिनांक 1-3-04 प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी हां ।

सम्बन्धित निकाय के सीमित वित्तीय संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए सम्प्रति पार्क का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बलिया शहर में सीबरेज योजना कार्य

135–श्री राम इकबाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया शहर में सीबरेज योजना कार्य हेतु वर्ष 2004-2005 में कितना धन उपलब्ध कराया गया है ? उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं ।

वर्ष 2004-05 में कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गंगा एक्शन प्लान के तहत बलिया नगर में सीवर लाइन के निर्माण की मांग

136–श्री राम इकबाल सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 23 जनवरी, 2003 को गंगा एक्शन प्लान के तहत बलिया नगर में सीवर लाइन के निर्माण हेतु शिलान्यास किया गया था ? यदि हां, तो उक्त निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम शाहजहांपुर के सेवानिवृत्त वरिष्ठ लिपिक श्री जगदीश नन्दन की ग्रेच्युटी पेंशन का भुगतान

137–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, शाहजहांपुर से दिनांक 21-5-1996 को सेवानिवृत्त हुए श्री जगदीश नन्दन, वरिष्ठ लिपिक की क्या ग्रेच्युटी, पेंशन का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम शाहजहांपुर से दिनांक 31 मई, 1996 को सेवानिवृत्त श्री जगदीश नन्दन वरिष्ठ लिपिक को ग्रेजच्युटी मद में देय सम्पूर्ण धनराशि रुपया 1,00,000.00 (रुपया एक लाख मात्र) का भुगतान कर दिया गया है ।

श्री जगदीश नन्दन वरिष्ठ लिपिक के आपरेशनयुक्त पद से सेवानिवृत्त हुए है, अतः इन्हें नियमानुसार शासकीय कोष से पेंशन देय नहीं है और कर्मचारी भविष्य निधि के तहत पेंशन के सदस्य न होने के कारण इस निधि के अन्तर्गत भी इन्हें पेंशन अनुमन्य नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद शाहजहांपुर में पात्र लोगों को इन्दिरा आवास आवंटित किये जाने हेतु पत्र

138–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–शाहजहांपुर के तिलहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पात्र लोगों को इन्दिरा आवास आवंटित किए जाने हेतु पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम०/98450/2004, दिनांक 12-3-2004 जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां ।

सन्दर्भित पत्र में इंगित श्री लालाराम पुत्र श्री गिरिवर ''भुर्जी'' निवासी बन्धरा उर्फ नगला जनपद–शाहजहांपुर को इन्दिरा आवास हेतु ग्राम पंचायत द्वारा चयनित न किये जाने के कारण लाभार्थी को आवास आवंटित नहीं किया जा सका ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर के अन्तर्गत प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्य की जांच

139–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह ''मुन्ना''–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–शाहजहांपुर के अन्तर्गत प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत बुधबाना से सेना खेड़ा मार्ग पर कराये गये कार्य की जांच कराने संबंधी पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम/96566/04, दिनांक 24-2-04 जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या जांच करा ली गयी और जांच परिणाम क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी हां । पत्र प्राप्त हुआ ।

प्रकरण की जांच कराई गयी । जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पालिका परिषद् टाण्डा जनपद अम्बेदकर नगर/फैजाबाद में अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी प्रकरण

140–श्री लालजी वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् टाण्डा जनपद अम्बेडकर नगर/फैजाबाद के मोहल्ला कस्बा पश्चिम टाण्डा में सार्वजनिक रास्ते की भूमि पर वहां के नागरिकों द्वारा अवैध रूप से सेफटिक टैंक एवं चबूतरा बना लिया गया है जिसे नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र टाण्डा अम्बेडकर नगर/फैजाबाद द्वारा दिनांक 24-8-2002 के आदेश द्वारा उक्त अतिक्रमण हटाने हेतु अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद् टाण्डा जनपद–अम्बेडकर नगर को निर्देश दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त निदेशों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला संत कबीर नगर (खलीलाबाद) में अर्द्ध निर्मित कार्य का निर्माण कराये जाने की मांग

141–श्री सोबरन सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जिला संत कबीर नगर (खलीलाबाद) में महुली-बस्ती मार्ग पर स्थित कुशहवा बाजार से ग्राम–चेरापुर तक का मार्ग अर्द्ध निर्मित है जिससे क्षेत्रवासियों को आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण लेपन स्तर तक करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

142–श्री सोबरन सिंह यादव–

[दूसरे गुरूवार के अता० प्र० सं० 69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मु०अ०सं०–198/03 थाना सेहरामऊ दक्षिण, जनपद शाहजहांपुर की जांच सी०बी०सी०आई०डी० से कराये जाने की मांग

143–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु०अ०सं०–198/03 थाना सेहरामऊ दक्षिण जनपद शाहजहांपुर की जांच सी०बी०सी०आई०डी० से कराए जाने के सम्बन्ध में पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम/96453/04, दिनांक 23-2-04 प्रमुख सचिव/सचिव, गृह एवं गोपन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रश्नगत अभियोग को सी०बी०सी०आई०डी० जांच कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर में बस स्टैण्ड के पास अवैध वसूली के संबंध में पत्र

144–श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–शाहजहांपुर में बस स्टैण्ड के पास टैक्सी स्टेशन पर अवैध वसूली के संबंध में पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम/96459/04, दिनांक 23-2-04 आयुक्त, बरेली मंडल, बरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जांच से टैक्सी स्टैण्ड निकट रोडवेज बस स्टेशन, शाहजहांपुर पर अवैध वसूली की कोई बात प्रकाश में नही आयी है ।

प्रश्न नही उठता ।

लखनऊ स्थित थाना-नाका हिण्डोला के आवासीय क्षेत्र में प्रिंटिंग प्रेस एवं उसके जनरेटर से नागरिकों के स्वास्थ्य में कुप्रभाव पड़ने के संबंध में पत्र

145–श्री कृष्ण कुमार सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ स्थित आवास सं० 127-बी, नेहरु नगर, थाना–नाका हिन्डोला के आवासीय क्षेत्र में प्रिंटिग प्रेस चलाया जा रहा है ? क्या यह सही है कि प्रिंटिंग प्रेस एवं उसके जनरेटरों से नागरिकों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में वहां के नागरिकों का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र मा० राज्य मंत्री, लोक निर्माण विभाग का पत्र दिनांक 13-2-2004 उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी हां ।

उ०प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा–27 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय मुद्रणालय में सहायक बाइण्डर के रिक्त पद

146–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के राजकीय मुद्रणालयों में सहायक बाइन्डर के कितने पद रिक्त हैं ? क्या उन रिक्त पदों पर नियुक्तियां की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

राजकीय मुद्रणालयों में सहायक बाइण्डर के 290 पद रिक्त हैं ।

जी नही ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय मुद्रणालयों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है । अतः पुरानी तकनीकी के पदों जिनमें सहायक बाइण्डर के पद भी हैं, की उपयोगिता समाप्त हो गई है ।

प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण की योजना

147–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण की कोई योजना शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और आधुनिकीकरण कब तक कर लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद, रामपुर एवं वाराणसी को अत्याधुनिक कम्प्यूटराइज्ड एवं नई तकनीकी मशीनों से सुसज्जित कर आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया गया है । राजकीय मुद्रणालय, इलाहाबाद का आधुनिकीकरण वर्षानुवर्ष किया जा रहा है तथा राजकीय मुद्रणालय रामपुर वाराणसी की आधुनिकीरण योजना अनुमोदित हो चुकी है । यदि आय-व्ययक में आधुनिकीकरण हेतु आवश्यक धनराशि की उपलब्धता बनी रही, तो आगामी वर्ष 2006-07 तक आधुनिकीकरण पूर्ण होने की संभावना है ।

जनपद बागपत के परिवहन निगम के बड़ौत डिपो को सुदृढ़ करने की योजना

148–डा० अजय कुमार–

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के परिवहन निगम के बड़ौत डिपो को सुदृढ़ करने की कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बड़ौत डिपो को विगत पांच वर्षों में वर्षवार कितनी नई बसे उपलब्ध करायी गई है ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

बड़ौत डिपो को सुदृढ़ करने के लिये निम्नवत् प्रस्तावित है :–

1–प्रथम चरण में डिपो में बसों के बेड़े को बढ़ा कर 30 करना ।

2–बसों के अनुपात में वहां कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करना ।

3– बसों के ही अनुपात में मेण्टीनेन्स सुविधा उपलब्ध कराना ।

4–बस स्टेशन का निर्माण ।

5–कार्यशाला में यथा आवश्यक सुधार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विगत पांच वर्षों में निम्नवत् नई बसें उपलब्ध कराई गई हैं :–

1–वर्ष 2000-01	शून्य
2–वर्ष 2001-02	शून्य
3–वर्ष 2002-03	04 बसें
4–वर्ष 2003-04	04 बसें
5–वर्ष 2004-05 (जुलाई तक)	शून्य

प्रदेश के राजकीय मुद्रणालय में सामान्य वर्ग के सहायक बाइण्डर के पदों की नियुक्ति

149–श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के राजकीय मुद्रणालयों में सन् 1986 के पश्चात से सामान्य वर्ग के सहायक बाइन्डर के अनेक पद रिक्त है ? क्या इन पदों पर नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी, नही ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय मुद्रणालयों का आधुनिकीकरण किये जाने का निर्णय लिया जा चुका है, जिसके तहत पुरानी तकनीकी के पदों पर समायोजन किया जाना है । फलस्वरूप वर्तमान में सहायक बाइंडर के पदों की उपयोगिता समाप्त हो गई है ।

एस० डी०एम० मांट मथुरा द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच संबंधी प्रकरण

150–श्री प्रेम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र माह मार्च, 2004 जो तहसील/परगना मांट मथुरा में एस०डी०एम० मांट मथुरा द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं वित्तीय अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में था, कम्प्यूटर संख्या–सी-10099057 पत्र संख्या–सी०एम०/वि०को०/एम-/99057/2004 द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव, नियुक्ति, उ०प्र० शासन को दिनांक 6 अप्रैल, 2004 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रकरण में जिलाधिकारी मथुरा को जांच कराने के निर्देश शासन द्वारा दिए जा चुके हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी का ठाठर अतरौला सम्पर्क मार्ग का पुनः निर्माण कराने की मांग

151–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी का मार्ग अतरौला ठाठर सम्पर्क मार्ग का निर्माण मानक के अनुसार न होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का पुनः निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा एवं पर्यटन मंत्री (श्री कौकब हमीद)–

जी नहीं ।

प्रश्नगत ठाठर अतरौला सम्पर्क मार्ग की कुल लम्बाई 3.75 किमी० है । मार्ग के प्रथम 01 (एक) किमी० में लेपन स्तर तक का कार्य मानक के अनुसार वर्ष 1998 में कराया गया था, जो मरम्मत एवं रख रखाव के अभाव में वर्षा एवं भारी वाहनों के आवागमन के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है । शेष 2.75 कि०मी० पूर्वांचल विकास निधि से निर्मित भाग में लेपन कार्य के मरम्मत का कार्य ठेकेदार के माध्यम से माह जून 2004 में करा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

152–श्री वीरेन्द्र सिंह गंगवार–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के तहत शासन द्वारा जमीनों का अधिग्रहण

153–श्री प्रेम सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के तहत शासन द्वारा जमीनों का अधिग्रहण कर लेने के उपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अधिग्रहण से पूर्व निर्मित भवनों की बनायी गयी सूची के क्रमांक 231, 232, 233 एवं 234 पर अंकित भू-स्वामियों के भवन बिना किसी पूर्व सूचना के दिनांक 23-7-03 को लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा गिरा दिये गये ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में मा० मुख्य मंत्री उ० प्र० शासन के पत्रांक 8701/वी०एस०डी० (जे) सी०एस०/2004 दिनांक 17-3-04 तथा पत्रांक 8896/वी०एस०डी० (जे) सी०एस०/ 2004 दिनांक 19-3-04 अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । पूर्वनिर्मित भवनों की बनायी गयी सूची के क्रमांक-231,232,233 एवं 234 पर अंकित भू-स्वामियों की भूमि का अधिग्रहण अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजनान्तर्गत किया जा चुका है, जिसकी विज्ञप्तियां शासन द्वारा भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-4/17 व 6/17 के अन्तर्गत जारी की जा चुकी है । भूमि का कब्जा भी अपर जिलाधिकारी (भू०अ०) द्वारा प्राधिकरण को हस्तान्तरित किया जा चुका है । तदोपरान्त अमर शहीद पथ के निर्माण हेतु भूमि का कब्जा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को दिया जाना था अतः प्रभावित निर्माणों को हटाया गया था ।

जी हां ।

मा० मुख्य मत्री जी को संबोधित पत्रांक 8701/वी०एस०डी०(जे)सी०एम०/2004 दिनांक 17-3-2004 में किए गये अनुरोध न्यूनतम विकास शुल्क लेकर भूखण्ड आवंटित करने के संबंध में कोई नीति

न होने के कारण तद्नुसार विशेष कार्याधिकारी, मा० मुख्य मंत्री जी को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 15-6-2004 को अवगत करा दिया गया है । पत्रांक-8896/वी०एस०डी०(जे) सी०एम०/2004 दिनांक 19-3-2004 में किए गये अनुरोध के क्रम में श्री राकेश भटनागर द्वारा पंजीकरण हेतु जमा की गयी धनराशि को गोमती नगर विस्तार योजना की लाटरी में सम्मिलित कर लिया गया है ।

154–श्री वीरेन्द्र सिंह गंगवार–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

लखनऊ निवासी श्रीमती जुबैदा खातून को जान से मरवाने एवं प्रताड़ित किये जाने संबंधी प्रार्थना-पत्रों की जांच

155–श्री रविन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ निवासी आर०एस० राजौरिया, 62, रामदास का हाता सदर बाजार, थाना–लखनऊ कैन्ट में श्रीमती जुबैदा खातून उर्फ गुड्डी तथा मोहम्मद इस्माईल निवासी मकान नं० 551 क/343-9 बड़ी मस्जिद के पास मुस्लिम नगर, आजाद नगर, थाना–कृष्णा नगर, लखनऊ द्वारा जान से मरवा देने की धमकी तथा प्रताड़ित करने सम्बन्धी शिकायती-पत्र 21-10-2003, 28-10-2003, 31-10-2003, 8-05-2004 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ तथा थाना–सदर कोतवाली को दिनांक 25-3-2004 तथा 8-4-04 को दिया गया प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

इन प्रार्थना-पत्रों में उल्लिखित आरोपों की जांच कराई गयी । जांच से अंकित आरोपों की पुष्टि नहीं हुई, जिसके कारण विपक्षीगण के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के थाना-बाजार खाला, थाना-हुसैनगंज तथा थाना कैण्ट में बलात्कार, राहजनी एवं डकैती के पंजीकृत मुकदमों का विवरण

156–श्री रविन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखनऊ में विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष जनवरी, 2004 से 31 मई, 2004 तक की अवधि में थाना बाजार खाला, थाना हुसैनगंज तथा थाना कैन्ट में बलात्कार, राहजनी, डकैती के कितने मुकदमे उक्त मामले में पंजीकृत किये गये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद लखनऊ में विगत वर्ष 1 जनवरी, 2003 से मई 31,2004 तक की अवधि में थाना–बाजार खाला, हुसैनगंज तथा कैण्ट में बलात्कार, राहजनी, डकैती के अभियोगों का विवरण निम्नवत् हैं :–

अवधि	थाना का नाम	दर्ज हुए	अभियोगों का विवरण	
		बलात्कार	राहजनी	डकैती
1	2	3	4	5
1-1-03 से	बाजार खाला	01	—	—
31-5-03 तक	हुसैनगंज			
	कैण्ट	01	01	—

1	2	3	4	5
1-1-04 से	बाजार खाला	----	01	---
31-5-04 तक	हुसैनगंज			
	कैण्ट	----	01	---

शाहजहांपुर जनपद के भावलखेड़ा ब्लाक में हड्डी कारखाने से उत्पन्न प्रदूषण संबंधी प्रकरण

157–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि शाहजहांपुर जनपद के ग्राम हथौड़िया तहसील सदर, भावलखेड़ा ब्लाक के बीच आबादी में हड्डी का कारखाना स्थापित है, जिसके प्रदूषण से लोगों का जीना दूभर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कारखाना बन्द करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम प्यारे सिंह –

प्रश्न में उल्लिखित कारखाना स्थापित है परन्तु उद्योग में जल तथा ईंधन का प्रयोग प्रक्रिया में नहीं होता है । कच्चे माल के रूप में हड्डियों को प्लेटफार्म एवं कवर्ड स्टोर में एकत्र किया जाता है । हड्डियों से संभावित दुर्गन्ध को रोकने हेतु नियमित कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है जिसमें दुर्गन्ध की संभावना नगण्य होती है ।

जी नहीं ।

क्योंकि उद्योग के निरीक्षण के दौरान कोई दुर्गन्ध नहीं पायी गयी ।

परिवहन निगम द्वारा अनुबन्धित बस मालिकों को प्रोसेसिंग चार्जेज देकर भुगतान न करने का कथित प्रकरण

158–श्री कोबिद कुमार सिंह–

क्या परिवहन मंत्री को जानकारी है कि परिवहन निगम, लखनऊ के आदेशानुसार अनुबन्धित बस मालिकों को 2 प्रतिशत प्रोसेसिंग चार्जेज देकर 3 दिन में भुगतान पाने के आदेश दिये गये हैं ? क्या शाहजहांपुर परिवहन निगम डिपो में अक्टूबर, 02 से 2 प्रतिशत प्रोसेसिंग चार्जेज का भुगतान देने के बाद भी, बस मालिकों को 3 दिन में भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

जी हां ।

जी हां । क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्यालय में प्राप्त अक्टूबर, 02 से दिनांक 17-7-2004 तक कुल 449 बिलों में से मात्र 14 बिलों में बिलम्ब हुआ है । दिनांक 09 जनवरी, 2004 से 13 जनवरी, 2004 तक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा बैंक खाता सीज कर दिए जाने के कारण भुगतान संभव नही था ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में सांसद निधि से पुस्तकालय का निर्माण

159–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी तथा अन्य में दरछुट, चन्दुवाडीह, लौवार तहसील पट्टी में सांसद निधि से स्वीकृत 3.24 लाख में से अवमुक्त 2.43 लाख से क्या पुस्तकालय का निर्माण कार्य करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री कौकब हमीद–

जी नहीं ।

ग्राम दरछुट एवं लौवार में निर्माणाधीन पुस्तकालय हेतु सांसद निधि से स्वीकृत 3.24 लाख में से अवमुक्त धनराशि रु० 2.43 लाख का उपभोग करने के पश्चात् द्वितीय किस्त की धनराशि रु० 0.53 लाख माह मार्च, 2004 में प्राप्त हुई थी, जिससे दरछुट में निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा चुका है तथा लौवार का कार्य प्रगति पर है । चन्दुआडीह में निर्माणाधीन पुस्तकालय भवन का शेष कार्य अवशेष धनराशि रु० 0.28 लाख प्राप्त होने पर पूर्ण किया जा सकेगा ।

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में खड़न्जे का निर्माण

160–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी तथा अन्य स्थानों पर वर्ष 2000-2001 वर्ष 2002-2003 तक लगभग 98 लाख का खड़ण्जा सांसद निधि से निर्माण कार्य, सूखा सहायता समिति एवं जिला विकास एवं सहायता समिति द्वारा कराया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कार्य में मानकों का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 2000-01 से 2002-03 तक जिला विकास एवं सूखा सहायता समिति, प्रतापगढ़ द्वारा रु० 83.86 लाख स्वीकृति के सापेक्ष रु० 81.838 लाख के खड़न्जे का निर्माण कराया गया है ।

जी हां ।

प्रश्न नही उठता ।

फैक्स पैड निर्माण एजेन्सी द्वारा जनपद प्रतापगढ़ में सांसद निधि से पोषित पुस्तकालय का निर्माण

161–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैक्स पैड निर्माण एजेन्सी द्वारा सांसद निधि से पोषित पुस्तकालय जनपद–प्रतापगढ़ के पट्टीनगर, दफरा, मंगरौरा बाजार धनगढ़ सराय छिबलहा, तहसील पट्टी में वर्ष 2001 से निर्माणाधीन है ? क्या ग्राम कबीरपुर ब्लाक देवसरा से स्थल विकास का कार्य भी कराया गया है ? यदि हां, तो कार्य पूर्ण करने की समय सीमा क्या थी ? क्या सरकार कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, प्रतापगढ़ के पत्रांक- 4336/सांसद निधि/2003-04 दिनांक 21 फरवरी, 2004 द्वारा कुल 19 कार्य फैक्सपेड को आवंटित हुये थे जिसमें पट्टीनगर दफरा एवं मंगरौरा बाजार में पुस्तकालय निर्माण का कार्य सम्मिलित था । धनगढ़ सराय, छिवनहा, का कार्य फैक्सपेड को आवंटित नहीं हुआ था । उनमें से पट्टीनगर, दफरा का कार्य स्थल विवाद होने के कारण उक्त कार्यों की धनराशि फैक्सपेड निर्माण प्रखण्ड लखनऊ के पत्रांकः फैक्स/अ०अभि०/नि०प्र०ल०-1/141/68/पी०ए० दिनांक 1 जुलाई 2004 द्वारा परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रतापगढ़ को वापस की जा चुकी है । मंगरौरा बाजार का कार्य निर्माणाधीन है । इस कार्य की द्वितीय किश्त दिनांक 27 मई, 2004 को प्राप्त हुई है ।

जी नहीं ।

स्थल विवाद के कारण अवमुक्त धनराशि परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, प्रतापगढ़ को पत्रांक फैक्स/अ०अभि०/नि०प्र०ल०-1/141/68/पी०ए० दिनांक 01 जुलाई, 2004 द्वारा वापस की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भारत सरकार से प्राप्त मध्यांचल पैकेज के अन्तर्गत जनपद–शाहजहांपुर की विकास परियोजनाओं हेतु स्वीकृत धनराशि

162–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2001-2002 में भारत सरकार से प्राप्त क्षेत्रीय विषमता को दूर करने हेतु 210 करोड़ रुपये में से मध्यांचल पैकेज के अन्तर्गत जनपद–शाहजहांपुर की कितनी योजनाओं हेतु कितना धन स्वीकृत किया गया तथा इसमें से किन-किन योजना पर कितना-कितना धन अवमुक्त किया गया ? इस अवमुक्त हुए धन से कितना-कितना कार्य हुआ तथा कितना धन व्यय हुआ ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 2001-2002 में केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा प्रदेश को 210 करोड़ रुपये की वन टाइम अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुमन्य करायी गई थी । इस सहायता के सापेक्ष शाहजहांपुर जनपद की 3 परियोजनाओं हेतु रु० 389.57 लाख का परिव्यय आवंटित किया गया ।

कालीन नगरी की परियोजना हेतु रु० 116.30 लाख आवंटित परिव्यय के सापेक्ष रु० 80.76 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई, जिसमें से 10.58 लाख की धनराशि का व्यय किया गया और शेष रु० 70.18 लाख की धनराशि समर्पित की गई । उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्र हेतु गन्ना उत्पादन तकनीक किसानों तक पहुंचाने हेतु रु० 73.27 लाख तथा ग्राम नियामतपुर से तिउलक मार्ग को जोड़ने वाले पुल हेतु रु० 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त करते हुए पूर्ण धनराशि व्यय की गई । कालीन नगरी की स्थापना का प्रारम्भिक कार्य गन्ना उत्पादन तकनीक के सापेक्ष जातीय एवं पेजी प्रबन्धन के प्रदर्शन का कार्य तथा ग्राम नियामतपुर से तिउलक मार्ग को जोड़ने वाले पुल का निर्माण कार्य किया गया ।

भारत सरकार से प्राप्त धनराशि का परियोजनाओं हेतु परिव्यय का आवंटन

163–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2002-2003 में क्षेत्रीय विषमता दूर करने के हेतु भारत सरकार से कितनी धनराशि प्राप्त हुई ? उक्त धनराशि का वितरण क्षेत्रवार क्या है ? वर्ष 2001-2002 में क्षेत्रीय विषमता दूर करने हेतु 25 करोड़ रुपया जो मध्यांचल पैकेज के लिए आवंटित किया गया था ? क्या वह सभी खर्च हो गया ? यदि हां, तो किस-किस मद में कितना-कितना धन खर्च किया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वर्ष 2002-2003 में क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने हेतु भारत सरकार से धनराशि प्राप्त नहीं हुई । केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा प्रदेश को 142.40 करोड़ रुपये की वन टाइम अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुमन्य करायी गई थी । इस सहायता के सापेक्ष प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों हेतु परिव्यय का आवंटन किया गया । इसका वितरण क्षेत्रीय आधार पर नहीं किया गया ।

वर्ष 2001-02 में प्रदेश को रु० 210 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अनुमन्य हुई थी जिसके सापेक्ष मध्य उत्तर प्रदेश के 14 जनपदों हेतु कुल मिलाकर रु० 2943.82 लाख का परिव्यय 35 परियोजनाओं हेतु सम्बन्धित विभागों को आवंटित किया गया । इस आवंटित परिव्यय के सापेक्ष रु० 2090.61 लाख का व्यय किया जा चुका है ।

जनपद प्रतापगढ़ में सांसद निधि से खण्ड़जे का निर्माण मानक के अनुरूप कराये जाने की जांच

164–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह –

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में जिला विकास एवं सहायता समिति द्वारा वित्तीय वर्ष 2003-2004 में सांसद निधि से पोषित ग्राम सराय मेहरा ब्लाक पट्टी सहित अन्य 14 स्थानों पर कुल 27-72 लाख के खड़ण्जे का निर्माण किया गया है ? क्या उक्त कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार कराये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच टी०ए०सी० से करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

वित्तीय वर्ष 2003-04 में जिला विकास एवं सहायता समिति प्रतापगढ़ को विधान सभा क्षेत्र पट्टी ग्राम सराय महेश सहित 6 ग्रामों में खड़ण्जा निर्माण हेतु रु० 12.26 लाख स्वीकृत के सापेक्ष रु० 11.24 लाख अवमुक्त एवं रु० 9.20 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है ।

जी हां । कार्य मानक के अनुरूप कराये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ में शस्त्र लाइसेन्स के आवेदन-पत्र

165–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह –

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में 1 जनवरी, 2003 से अब तक थाना क्षेत्रवार कुल कितने शस्त्र लाइसेंस के आवेदन-पत्र जिलाधिकारी को प्राप्त हुए हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि दिनांक 29-8-03 से 1 जून, 2004 तक थानावार कितने शस्त्र लाइसेंस स्वीकृत किये गये हैं ? क्या सरकार प्राप्त लाइसेंसों के प्रार्थना-पत्रों का समयबद्ध निस्तारण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद प्रतापगढ़ में 01-1-2003 से 21-6-2004 तक कुल 1707 शस्त्र लाइसेन्स आवेदन-प्राप्त हुये तथा दिनांक 29-8-2003 से 01-6-2004 तक कुल 219 शस्त्र लाइसेन्स स्वीकृत किये गये जिनका थानावार विवरण संलग्न है ।

शस्त्र लाइसेन्स प्रार्थना-पत्रों पर पुलिस तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों की आख्या प्राप्त होने एवं आवेदक द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने पर ही उनका निस्तारण किया जाना सम्भव होता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 90 पर ।)

इण्डियन एकता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष द्वारा श्रीमती जुबैद खातून को जान से मरवा देने एवं प्रताड़ित किये जाने सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

166–श्री रविन्द्र पुण्डीर–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि इण्डियन एकता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आर०एस० राजौरिया द्वारा 29 मई, 2004 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ को एक प्रार्थना-पत्र जो जुबेदा खातून उर्फ गुड्डी छोटे मोहम्मद इस्माइल निवासी 551क–343-9 मुस्लिम नगर, बड़ी मस्जिद के पास आजाद नगर, थाना कृष्णा नगर, लखनऊ द्वारा उन्हें जान से मरवा देने एवं प्रताड़ित करने के सम्बन्ध में था, दिया गया था ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर क्या दोषियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जांच से श्री राजौरिया द्वारा प्रतिवादीगणों पर लगाये गये आरोप निराधार/असत्य पाये गये । श्री आर०एस० राजौरिया के एक और प्रार्थना-पत्र दिनांक 14-5-04 के आधार पर थाना कैण्ट में मु०अ०सं०–144/04 धारा–452/506–भा०दं०वि० पंजीकृत कराया गया विवेचनोपरान्त प्रतिवादीगणों पर लगाये गये आरोप असत्य एवं निराधार पाये गये विवेचना में अन्तिम रिपोर्ट लगाकर समाप्त करते हुए जुर्म खारिज रिपोर्ट प्रेषित की गई ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की खण्डपीठ स्थापित किये जाने की मांग

167–श्री रविन्द्र पुण्डीर–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की खण्डपीठ स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मा० उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने का अधिकार भारत सरकार को है ।

निर्णय भारत सरकार को लेना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में ग्राम समूह पेयजल योजना का विवरण

168–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह –

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में 5 ग्राम पेयजल समूहों का निर्माण कार्य क्या पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री राजपाल त्यागी–

जी नहीं ।

जनपद–प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र–पट्टी में 5 ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में से मेंहदिया ग्राम समूह पेयजल योजना रामगंज ग्राम समूह पेयजल योजना, एवं सैफाबाद ग्राम समूह पेयजल योजनाओं में एक नलकूप तथा पम्प हाउस का कार्य पूर्ण हो गया है, पाइप लाइन बिछाने हेतु सामग्री की व्यवस्था की जा चुकी है । कन्धई मधुपुर ग्राम समूह पेयजल योजना में एक नलकूप पम्प हाउस तथा 1.50 किमी० पाइप लाईन का कार्य पूर्ण हो गया है, आवश्यक सामग्री की भी आंशिक रूप से व्यवस्था की गई है तथा नरहरपुर ग्राम समूह पेयजल योजना में एक नलकूप का कार्य पूर्ण है, आवश्यक सामग्री की आंशिक रूप से व्यवस्था की गई है । उक्त ग्राम समूह पाइप पेयजल योजनाओं के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद प्रतापगढ़ में हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन

169–श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह –

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003 से अब तक जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिए समय-समय पर कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं ? क्या स्वीकृत हैण्ड पम्पों को अधिष्ठापित करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त हैण्ड पम्पों को कब तक अधिष्ठापित करा दिया जायेगा ?

श्री राजपाल त्यागी–

वर्ष 2003 से अब तक जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र के लिए 285 हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं ।

स्वीकृत कुल 285 हैण्डपम्प के सापेक्ष 95 हैण्डपम्प अधिष्ठापित करा दिये गये हैं, 40 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन का कार्य प्रगति पर है ।

मा० सदस्य से 150 हैण्डपम्पों की सूची तथा अंशदान की धनराशि अभी तक प्राप्त नहीं होने के कारण हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन नहीं कराया गया है ।

शेष हैण्डपम्पों की सूची तथा अंशदान की धनराशि प्राप्त होने पर हैण्डपम्प अधिष्ठापित करा दिये जायेंगे ।

(12 बजकर 20 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री कार्यकारी अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

(बहुजन समाज पार्टी के वेल में पहले से बैठे हुए सदस्य अपने स्थानों पर खड़े हो कर नारे लगाते हुए नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने का अनुरोध करने लगे ।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुजन समाज पार्टी के निर्दोष कार्यकर्ताओं को पोटा में फसाया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है ।

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपने स्थान पर जायें ।

(वेल में खड़े हुए सभी सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस गये ।)

विधान सभा अध्यक्ष का निर्वाचन

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता विरोधी दल, माननीय मंत्रीगण, विभिन्न दलों के माननीय नेतागण तथा माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको विदित है कि आज की तिथि श्री अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु नियत की गयी है । नियमानुसार नाम-निर्देशन-पत्र दिनांक 23 जुलाई, 2004 के मध्याह्न 12.00 बजे के पूर्व तक आ जाने चाहिए थे । उक्त अवधि के भीतर जो वैध नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त हुए हैं, उनका विवरण इस प्रकार है :–

नाम-निर्देशन अभ्यर्थी श्री माता प्रसाद पाण्डेय, प्रस्तावक श्री मुलायम सिंह यादव समर्थक श्री लालजी टण्डन, दूसरा जो नाम-निर्देशन-पत्र है, उसमें भी श्री माता प्रसाद पाण्डेय अभ्यर्थी हैं, प्रस्थापक श्री मोहम्मद आजम खां, समर्थक श्री अम्बिका चौधरी हैं । तीसरा जो नाम-निर्देशन-पत्र है, उसमें भी श्री माता प्रसाद पाण्डेय अभ्यर्थी हैं प्रस्थापक श्री प्रमोद कुमार हैं और समर्थक श्री कौकब हमीद हैं । चौथा जो नाम-निर्देशन-पत्र है, उसमें भी श्री माता प्रसाद पाण्डेय अभ्यर्थी हैं, प्रस्थापक श्री राम नरेश यादव हैं और समर्थक श्री जगदम्बिका पाल हैं । पांचवा जो नाम-निर्देशन-पत्र है, उसमें भी अभ्यर्थी श्री माता प्रसाद पाण्डेय हैं प्रस्थापक श्री राम स्वरूप सिंह, समर्थक श्री हरिशंकर तिवारी हैं । उक्त सभी पांच नाम-निर्देशन-पत्रों में एक ही नाम का प्रस्ताव है ।

अतः उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 8 के उप नियम (3) (क) के अनुसार इस निर्वाचन के लिए औपचारिक प्रस्ताव करना आवश्यक नहीं हैं और मैं माननीय श्री माता प्रसाद पाण्डेय को अध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से निर्वाचित किये जाने की घोषणा करता हूं ।

नव निर्वाचित अध्यक्ष, विधान सभा श्री माता प्रसाद पाण्डेय को बधाई

श्री कार्यकारी अध्यक्ष–

उत्तर प्रदेश चतुर्दश विधान सभा के सदस्य श्री माता प्रसाद पाण्डेय का जन्म 31 दिसम्बर, 1942 को ग्राम पिरेला, जिला सिद्धार्थनगर में हुआ । आपने एम०ए०, एल०एल०बी० तक शिक्षा ग्रहण की है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय सर्वप्रथम वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र इटवा तत्कालीन जिला बस्ती से जनता (एस०) चरण सिंह पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । तत्पश्चात् आप वर्ष 1985

में लोकदल, वर्ष 1989 में जनता दल तथा वर्ष 2002 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं ।

आपने विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनों में भाग लिया तिहाड़ जेल, दिल्ली एवं बस्ती कारागार में भी बन्दी रहे । आप पूर्व में समय-समय पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, याचिका समिति, प्रतिनिहित विधायन समिति, संसदीय शोध, सन्दर्भ एवं अध्ययन समिति, नियम समिति, प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति, लोक लेखा समिति तथा अधिष्ठाता-मण्डल के सदस्य रहे हैं और मंत्रियों को परामर्श देने वाली कतिपय स्थायी समितियों में भी आप मा० अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा नाम-निर्दिष्ट सदस्य के रूप में कार्यरत रहे हैं ।

आप उत्तर प्रदेश विधान सभा में वर्ष 1985 में उत्तर प्रदेश पत्रकार (कल्याण और पेंशन निधि) विधेयक 1985 पर गठित प्रवर समिति के भी सदस्य रहे हैं । आप वर्ष 2003-2004 के लिए गठित विशेषाधिकार समिति एवं कार्यमत्रणा समिति के सदस्य भी रहे हैं । वर्ष 1977 से माता प्रसाद जायसवाल इण्टर कालेज तथा श्रीमती यशोदा देवी कन्या हाई स्कूल, इटवा के प्रबन्धक के रूप में भी आपने योगदान किया है । आप पं० गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर की प्रबन्ध समिति के सदस्य रहे हैं । आप श्री मुलायम सिंह यादव मंत्रि मण्डल में 20 दिसम्बर, 1990 से 24 जून, 1991 तक स्वास्थ्य मंत्री रहे । आप वर्तमान सरकार में दिनांक 03 अक्टूबर, 2003 से श्रम एवं सेवायोजन मंत्री रहे हैं । अपने क्षेत्र के किसानों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने भूमिहीन कृषकों एवं मजदूरों को जमीन दिलाने तथा बस्ती जनपद के उत्तरी क्षेत्र में बेगारी प्रथा को समाप्त करने के लिए आप निरन्तर प्रयत्नशील रहे हैं । आपकी अध्ययन-भ्रमण में विशेष रुचि है तथा स्थानीय समस्याओं के निराकरण हेतु जनता के बीच बैठकर विचार-विमर्श आपको सदैव से प्रिय है ।

मैं माननीय श्री माता प्रसाद पाण्डेय को सर्वसम्मति से विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने पर बधाई देता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि वे अपने व्यवहार एवं कार्य-कलाप से अध्यक्ष-पद की गरिमा बनाये रखेंगे और उसमें वृद्धि भी करेंगे ।

अब मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करुंगा कि वह नव निर्वाचित माननीय अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय को ढूंढकर अध्यक्ष आसन पर बैठाएं ।

(निर्विरोध चुने गये माननीय अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय को माननीय मुख्य मंत्री एवं माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा अध्यक्ष आसन ग्रहण कराया गया)

(खुशी में मा० सदस्यों द्वारा मेजों पर थपथपाहट)

(इस समय 12 बजकर 27 मिनट पर नव निर्वाचित अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय ने सदन का अध्यक्ष पद ग्रहण किया)

* मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

अध्यक्ष, महोदय, हमें आज महान प्रसन्नता है इस सदन के सर्वोच्च महत्वपूर्ण पद पर आपके चुने जाने पर मैं आपको बधाई देता हूं । और स्वागत करता हूं । आप एक छोटे से गांव पिरैला जनपद सिद्धार्थनगर तत्कालीन बस्ती जनपद में जन्म लिया और आपको यह सौभाग्य प्राप्त है कि गौतम बुद्ध की धरती पर, उनकी जन्म स्थली पर आपने जन्म लिया । आपने छात्र जीवन से ही केवल उत्तर प्रदेश का चिन्तन नहीं बल्कि देश की समस्याओं के लिए विभिन्न आन्दोलनों में संघर्ष किया । संघर्ष के संबंध में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अगर हम यहां पर अपना बयान व्यक्त करें तो बहुत लम्बी कहानी है, आपके संघर्ष की । मुझे भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम और आप छात्र जीवन से ही जेल में रहे साथ-साथ काम किया और हमारी एक ही विचारधारा थी । एक बात की मुझे और खुशी है कि आप छात्र जीवन से ही समाजवादी आन्दोलन से जुड़े रहे ।

आप जब सक्रिय राजनीति में आये तो इस सदन के 4 बार (1980,1985,1989 और 2002) सदस्य चुने गये । विधान सभा सदय चुने जाने पर आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है, जो इस सदन के लिए आदर्श है । आपने कई विधेयकों पर जिस तर्कपूर्ण बहस में हिस्सा लिया और कभी-कभी आपने उन विधेयकों को संशोधित कराने के लिए सरकार को सुझाव दिये और सरकार ने सहर्ष स्वीकार भी किया, भले ही दूसरी सरकार रही हो । आपने इस सदन में अपनी प्रतिभा को दिखाया और संसदीय परम्पराओं का पालन करते हुए एक आदर्श पेश किया । आपने विभिन्न समितियों में कार्य किया जिसके केवल आप सदस्य ही नहीं रहे, आप उसके अध्यक्ष भी रहे और अध्यक्ष रहते हुए महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिये । आपका सुझाव पाने के लिए मंत्रियों ने कभी-कभी आपको आमंत्रित किया । हमने मुख्य मंत्री हो करके भी आपसे सुझाव मांगे और उन सुझाव पर अमल करने का प्रयास किया ।

आप विद्वान हैं और कानून की पढ़ाई की है । उच्च शिक्षा प्राप्त की और कानून का विद्यार्थी होते हुए आपने अन्य विषयों का भी अध्ययन किया । आपकी हमेशा से अध्ययन में रुचि रही है । शिक्षा के क्षेत्र में आपने विभिन्न संस्थाओं के प्रबन्धक के रूप में उन संस्थाओं को आगे बढ़ाने का काम किया । रचनात्मक कार्यों में तथा क्षेत्र के विकास के कार्यों में आपकी रुचि रही है । पूरे प्रदेश का विकास हो, इस संबंध में भी आपका गहरा चिन्तन है । आपने बेरोजगारी के खिलाफ छात्रों के हित के लिए, किसानों के लिए मजदूरों के लिए काफी संघर्ष किया है । कई महत्वपूर्ण आन्दोलनों में आप जेल गये तो मुझे जेल में जाकर आपसे मुलाकात करने का भी मौका मिला । बस्ती (उत्तरी) इलाके में जो बेरोजगारी की समस्या थी उसको दूर करने के लिए आपने केवल संघर्ष ही नही किया उसमें कामयाब हुये और बेगारी प्रथा को समाप्त कराया । आपका बहुत गहरा अनुभव हर क्षेत्र का है । आप सिद्धार्थनगर जिले के एक छोटे से गांव में पैदा हो करके इस उच्च पद पर पहुंचे हैं । उसके पीछे आपका संघर्ष निष्ठा और त्याग है । आपने हर स्तर पर अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया है ।

आपको पूरे सदन का विश्वास प्राप्त है । सभी दल के नेताओं ने आपका समर्थन किया है । मुझे खुशी है कि आपका नाम आने पर पूरे सदन के नेताओं ने खुशी जाहिर की है । आज सदन के बाहर भी आपके इस पद पर पहुंचने पर बहुत से लोगों की राय बदली है और इसका स्वागत किया है । मुझे विश्वास है और आपका निजी अनुभव है संघर्ष है आपने विपक्ष की राजनीति की है, जब आप सदन में बात रखेंगे तो उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं होगी । हम जानते हैं कि इस आसन पर बड़े-बड़े महान व्यक्ति बैठ चुके हैं आप उनका अनुसरण करेंगे । श्रद्धेय राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन जी को याद करेंगे, गांधी जी को याद करेंगे । महात्मा गांधी जी की मूर्ति सदन के आगे और आपके पीछे है । इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि टण्डन जी और गांधी जी के रास्ते पर चलकर इस प्रदेश के सदन को एक आदर्श सदन के रूप में पेश करेंगे ।

यह हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी विधान सभा है । इस विधान सभा में ऐसी-ऐसी बहसें हों, जैसी संसद में बहसें होती रही है । ऐसी बहस कराने और इस सदन के कार्य संचालन में आप सफल होंगे । आप सबका विश्वास प्राप्त करेंगे और अपको हम विश्वास दिलाते हैं कि हमारी तरफ से पूरा समर्थन आपको रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका स्वागत करता हूं अभिनन्दन करता हूं बधाई देता हूं । आपको शुभ कामनाएं हैं । इस महत्वपूर्ण पद पर बैठकर एक आदर्श आप पेश करेंगे । हमारे लोकतंत्र के ऊपर जो एक धीरे-धीरे प्रश्न चिन्ह लग रहा है दुनियां में शासन की जितनी व्यवस्थाएं हैं

उनमें लोकतंत्र सबसे अच्छी व्यवस्था है । इसी कारण एक छोटे से परिवार में, एक छोटे से गांव में पैदा होकर इस उच्च आसन पर आप बैठे हैं । हम जैसे बहुत लोग हैं जो छोटे परिवरों में पिछड़े इलाकों से आए हैं लेकिन यह लोकतंत्र का परिणाम है, लोकतंत्र का चमत्कार है कि यहां बैठे हुए हैं । इसलिए हमारा पूरा विश्वास है कि आप लोकतंत्र को मजबूत करेंगे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमारा आपको समर्थन रहेगा, सहयोग रहेगा । पुनः आपको बधाई और आपका अभिनन्दन है ।

* नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)–

मान्यवर, इस गरिमामय सदन की परम्पराओं की रक्षा करते हुए आप जैसे संसदीय ज्ञाता को हम सभी लोगों ने सर्वसम्मति से उस पीठ पर बिठाया है, जहां से यह सदन संचालित होता है । हमारी बड़ी अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करने में आपकी दृढ़ता काम आयेगी क्योंकि मैंने यहां पर कभी कभी यह आदर्श भी देखे हैं कि पीठ पर बैठे हुए पीठासीन अधिकारी मार्शल भिजवाकर मुख्य मंत्री से पूछते हैं कि क्या निर्णय लेना है ? यह आदर्श इस सदन को न देखना पड़े । स्वस्थ्य लोकतांत्रिक परम्परा में हम सभी का सहयोग है, जहां उद्दंडता करें वहां कठोरता की अपेक्षा है जहां संसदीय परम्पराओं का हनन हो, वहां रक्षक बनकर सामने होंगे, मैं आपको इस रूप में देखता हूं । जो यहां पर इस पीठ पर आसीन हुए हैं उनसे आप बेहतर साबित हों, यह हमारी शुभकामना है । मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं कि मैं और मेरा दल कभी आपके आसन के प्रति अशोभनीय कार्य नही करेगा और आपके निर्देशों का पालन करेगा और यही अपेक्षा सबकी होगी कि जिस पीठ पर आप बैठे हैं यह विक्रमादित्य का सिंहासन है, यहां से न्याय की अपेक्षा होती है, वह अपेक्षा हम सभी लोगों को जरूर है । आपके इस आसन पर बैठने से मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं । मैं इसे सदन का एक विशेष क्षण मानता हूं जब आप इस पीठ पर आसीन हुए हैं ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आज सर्वसम्मति से आपके अध्यक्ष चुने जाने पर हम सभी लोग, अपने सभी माननीय सदस्यों की ओर से आपको हार्दिक बधाई देते हुए अपेक्षा करते है कि जो आपकी विद्वता और संविधान के प्रति सजगता थी और जो आपकी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में आस्था रही है, वह आपके कार्यों में परिलक्षित होती रहेगी और वह हम सबके लिए दिशा निर्देशन का काम करती रहेगी । यह हम सभी लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है कि विधान सभा की अध्यक्ष–पीठ पर एक बहुत ही विद्वान, वैचारिक, संविधान के मर्मज्ञ और ज्ञाता को प्रतिस्थापित करने का हमें मौका मिला है, जो गवंई–गांव खेत–खलिहान से चलकर इस मुकाम तक पहुंचा है । आपने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए एक लम्बा सफर तय किया है । इस लम्बे सफर में दबे-कुचले और पीड़ित, शोषित और मजलूम समाज की बातों को लेकर आपने समय-समय पर संघर्ष किया है, वही संघर्ष इस पीठ पर बैठने के बाद भी आपके दिल-दिमाग और कार्यों में परिलक्षित होता रहेगा ऐसा हमें भरपूर भरोसा है । माननीय अध्यक्ष जी, यह एक ऐसी पीठ है जिस पर सदन के सभी माननीय सदस्यों को पूरा विश्वास होता है । आप हम सभी लोगों के संरक्षक है और हम सभी लोग अपने संरक्षक पर पूरा भरोसा करके समय-समय पर आपके निर्देशों का अनुकरण करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहते हैं । जिस पीठ पर आप बैठें हैं । उस पर समय-समय पर बहुत बड़े-बड़े विद्वान और संविधान के मर्मज्ञ लोग बैठते रहे हैं । उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी पूर्व परम्पराओं का पालन होगा ऐसा हमें पूरा विश्वास है । जिस दिन आपके नाम का प्रस्ताव हुआ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उस दिन ही लगा कि पहली बार सत्तापक्ष के लोगों ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है और एक विद्वान व्यक्ति का चयन अध्यक्ष पद के लिए किया है ।

अध्यक्ष महोदय, आपकी एक लम्बी संघर्ष यात्रा रही है । लोहिया जी से लेकर चौ० चरण सिंह के खेतों, खलिहानों के रास्ते से चलते हुए आपने प्रजातांत्रिक मूल्यों का अवस्थापन किया है और अपने दायित्वों का निर्वहन किया है । चाहे आप सत्तापक्ष में रहे हों, या विपक्ष में रहे हों, अपने दायित्वों को बखूबी निभाने का काम किया है । जब आप विपक्ष में बैठा करते थे, तो हमने आपके उस तेवर को भी देखा है जिसमें आप अपनी बात मनवाने के लिए बड़े तार्किक ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत करते थे और अपनी बात मनवाने के लिए तार्किक ढंग से सरकार को मजबूर कर दिया करते थे । मैंने आपका दूसरा पहलू भी देखा है, जब आप सरकार में मंत्री के रूप में रहे हैं, मंत्री बनने के बावजूद आपके अन्दर किसी प्रकार का घमण्ड अथवा उन्माद नहीं आया । जनसेवी भावनाओं से आप जनता के हितों के लिये काम करते रहे हैं । मान्यवर, स्वाभाविक है कि ऐसे अवसर पर हम सभी प्रसन्नता जाहिर करते है और आपको बधाई देते है ।

लेकिन मान्यवर, यहां पर जो प्रजातांत्रिक परम्परा रही है वह आज टूटती नजर आ रही है जिसके लिये सत्तापक्ष जिम्मेदार है हम अपने सहयोगी विपक्ष में बैठे हुए उन साथियों जिन्होंने कभी सपना देखा था–'चौबे गये छब्बे बनने और दूबे बनकर आये', सोचा था कि सत्तापक्ष का उपाध्यक्ष बनाकर अपने दल का अध्यक्ष बना लेंगे । अन्त में उनको मुंह की खानी पड़ी । सत्तापक्ष की वह परम्परा कि जो उपाध्यक्ष हमेशा विपक्ष का होता रहा है । सत्तापक्ष पहले तो बड़े सुनियोजित तरीके से अपना उपाध्यक्ष का निर्वाचन करा लेता है और बाद में अध्यक्ष का भी पद हथियाने की साजिश करता है । इस तरह से प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चयन प्रक्रिया की वह जो धज्जियां उड़ाई गई हैं, उसकी बहुजन समाज पार्टी घोर निन्दा करती है । बहुजन समाज पार्टी प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने के लिये, प्रजातांत्रिक बातों को मनवाने के लिये हमेशा आगे रही है और आगे रहेगी लेकिन आज जिस तरह से सत्तापक्ष, जिस पर जिम्मेदारी होती है, वह केवल एक पार्टी की नहीं रह जाती है पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है । उसे सत्तापक्ष के ही नहीं विपक्ष के भी हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना होता है । अच्छा होता, यदि उपाध्यक्ष विपक्ष का और अध्यक्ष सत्तापक्ष का होता । आज सत्ता पक्ष ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर अपने लोगों को रखा है । सत्ता पक्ष के इस कृत्य की हम निन्दा भी करते है और साथ ही उन लोगों को 'जो चौबे गये छब्बे बनने और दूबे बन कर आये' यह कहना चाहता हूं कि उन्हें इस बात से नसीहत लेनी चाहिए 'बोया पेड़ बबूले का तो आम कहां से खाय' । इसी के साथ-साथ मान्यवर, मैं अपने दल बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्यों की ओर से, विधान मण्डल की ओर से आपका स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री प्रमोद कुमार का नाम पुकारे जाने पर)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद सत्तापक्ष द्वारा हथिया लिये जाने के आरोप पर मुख्य मंत्री की आपत्ति

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

मान्यवर, अभी आपने सुना बहुजन समाज पार्टी के नेता कह रहे थे कि किस तरीके से सत्ता पक्ष ने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद स्वयं ले लिये । मान्यवर, यह कोई जानकारी रखते नहीं है और इस तरह से बेबुनियाद आरोप लगा रहे है । मुझे इस पर सख्त आपत्ति है । हम पहले कह चुके है कि हमारी माननीय नेता विरोधी दल कांग्रेस पार्टी के नेता माननीय प्रमोद कुमार जी और अन्य दलों के नेताओं से बात हो

चुकी है और इस बारे में फैसला हो चुका है कि अध्यक्ष सत्तापक्ष का और उपाध्यक्ष विपक्ष का होगा। विपक्ष ने जो दल सबसे बड़ा होगा उसी का उपाध्यक्ष होगा।

(मेजें थपथपाई गई)

माननीय मौर्या जी कम से कम जानकारी कर लिया करे। इस तरह से बेबुनियाद लांछन लगाने की आदत अच्छी नहीं है। यह अच्छा अवसर है लेकिन अफसोस है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर इस तरह से आरोप लगाये जा रहे है। विपक्ष में जो दल सबसे बड़ा होगा। उसी को उपाध्यक्ष का पद दिया जायेगा। हम तो जो परम्पराएं है उनका निर्वहन कर रहे है और करेंगें। जिन परम्पराओं से संसद चलती है उसी तरह से उन्हीं परम्पराओं पर विधान सभा भी चलनी चाहिए और हम उसका पालन करेंगे लेकिन इस बात का अफसोस है कि बड़े जिम्मेदार नेता जो अपने को महसूस करते हैं उनको बेबुनियाद जानकारी है इसका अफसोस है।

नव-निर्वाचित अध्यक्ष विधान सभा, श्री माता प्रसाद पाण्डेय को बधाई (क्रमागत)

* श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष महोदय जी, यह संसदीय और लोकतंत्र के इतिहास में ऐसे क्षण होते है जहां विवादों से बचा जाता है और स्वस्थ परम्परायें कायम होती है। मैं हृदय से अपनी ओर से, अपने कांग्रेस विधान मण्डल दल की ओर से, आपके निर्वाचन पर हृदय से अपनी से ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण सदन की ओर से बधाई देता हूं। ऐसे योग्य व्यक्ति का चयन माननीय नेता सदन ने, माननीय नेता विपक्ष ने और हम सबने मिलकर किया है इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। 21 तारीख को सभी दलों के नेताओं की बैठक हुई थी उस समय टण्डन जी थे, लोकदल के नेता थे, मुख्य मंत्री जी थे यह निर्णय हो गया था कि परम्परा के अनुसार अध्यक्ष पद सत्तारूढ़ दल के पास रहेगा और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रहेगा यह निर्णय पहले ही हो गया था 21 तारीख को, यह आज नया निर्णय नहीं हुआ है उसी परम्परा का पालन करते हुए आपको वहां पहुंचाया है। आपका चुनाव निःसन्देह आप लोगों के मन में यह विश्वास दिलाता है कि साधारण परिवार में जन्में, व्यक्ति एक ग्रामीण परिवार के व्यक्ति को इस सदन की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। आपका निर्वाचन इस बात का उदाहरण है ..... (मेजें थपथपाई गई)

आपका जन्म उस समय हुआ जब पूरा देश अंग्रजों से आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। पूर्वांचल में उस समय 1942 में भारत छोड़ो आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर था उस वक्त जिस धरती पर आप अवतरित हुए हैं वह सन्त कबीर की धरती है, जिन्होंने हिन्दू मुस्लिम सम्प्रदाय को मिलाकर एक करने की कोशिश की है। आप हमारे मध्य उपस्थित है आप कितने योग्य है यह इस बात से साबित हो जाता है, हम कहे कि आप योग्य है, टण्डन जी कहें योग्य हैं, नेता सदन कहें योग्य हैं, तो बात इतनी नहीं बनती है और दलों को भी विवश होकर इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा लेकिन मौर्या जी ने योग्य कह दिया नेता सदन के इस कार्य की सराहना कर दी तो इससे सत्य क्या होगा इनकी योग्यता पर प्रश्नचिन्ह नहीं लग सकता है। टण्डन जी ने कहा है कि आपको पूरा सहयोग मिलेगा एक आधे घन्टे बाद जो इन्होंने कहा है मुझे पूरा विश्वास है उसका यह पालन करेंगे। (हंसी) और आपको पूरा सहयोग देंगे। एक बात नेता सदन ने कही है याद दिलाना चाहता हूं ताकि गलतफहमी न रहे। आपसे अपेक्षा की है कि टण्डन जी के कदमों पर आप चले तो आप कहां लाल जी टण्डनजी को न समझ बैठे यह पुरूषोत्तम दास टण्डन जी के लिए कहा है (हंसी) यह विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं ताकि आपका भ्रम न रहे, समस्या

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न आए, आप धोती पहने है और लोग हाफ पैन्ट से फुल पेन्ट की तरफ जा रहे है । आप जिस पीठ पर बैठे है यह संवैधानिक पीठ है बल्कि संविधान से ऊंचा आसन है ।

नेता विरोधी पक्ष और नेता सत्तापक्ष ने यह जो आसन आपको दिया है यह संवैधानिक पीठ तो है ही, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आस्था और विश्वास की पीठ है । इसका संविधान में भी जिक्र है । यहां पर बैठे किसी व्यक्ति से उतनी आस्था नही होती है जितनी आस्था इस पीठ पर बैठे व्यक्ति से होती है । मैं आपसे अनुरोध करता हूं और आशा भी करता हूं लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, इसको अन्यथा न लिया जाए, नियम है, एक जाता है, दूसरा आता है पर किसी के जाने पर बहुत से लोगों को खुशी होती है, परन्तु आपके आने पर हमें बहुत खुशी हुई है । मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं । मैं और मेरा दल हृदय से आपका सहयोग करेगा । लेकिन इतना जरूर कहूंगा, यह एक ऐसी पीठ है जिस पर निरन्तर सब की निगाहें रहती हैं और लोग क्या बोलते हैं वह कभी सामने होता है, कभी नही होता है लेकिन इस पीठ पर बैठने वाले का एक-एक शब्द एक-एक क्रियाकलाप सब के सामने होता है । जब हम सब के सामने होता है तो पूरे प्रदेश के सामने होता है । अनवरत् रूप से जब न्याय की गंगा बहती है तब कही एक पुरुषोत्तम दास टण्डन पैदा होते हैं । आप न्याय की यह अनवरत् गंगा बहाते जायें, कही पर भी अन्याय हो गया तो पवित्र गंगा की बहती अनवरत् धारा में प्रदूषण आ जायेगा ।

मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका कार्यकाल अनवरत् रूप से पवित्र गंगा की तरह बहता रहे, आप एक नया इतिहास रचें । इसके लिए मैं शुभकामनाएं करता हूं । इस पीठ को अगर खतरा है तो वह इस सदन से नही है, विपक्ष से नही है, यदि कहीं से खतरा है तो वह अहंकार और अन्याय से है । अगर अहंकार और अन्याय आ गया तो यह लोकतंत्र की हत्या भी कर सकता है । आपसे हमें न्याय चाहिए । कुछ लोग जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो उससे कुर्सी का मान बढ़ जाता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वह कुर्सी पर बैठते हैं तो उनकी पहचान बन जाती है । आज सम्पूर्ण सदन यह महसूस कर रहा है कि आप जिस पीठ पर बैठाये गये हैं, उससे इस पीठ का मान बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा । बस आपके सामने एक चुनौती है, आपके सामने एक संकल्प होना चाहिए, एक दृढ़ता होनी चाहिए ।

1980 में जब मैं पहली बार यहां आया था, तब आप भी 1980 में ही यहां आए थे । आपमें विनम्रता दृढ़ता, ज्ञान और जनता की आवाज उठाने का अद्भुत संगम है । यहां बैठकर आप बोल पायें या न बोल पायें लेकिन हम सब की भावनाएं आपके साथ रहेंगी । खासतौर से एक चुनौती आपके सामने है, पिछले तीन दिन से सदन नही चल पा रहा है, मैं आपसे आग्रह करूंगा और अपने साथियों से भी आग्रह करूंगा कि सदन को न चलने देने से हम जनता के साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं । हम इस सदन के साथ अन्याय कर रहे हैं । मैं आग्रह करूंगा कि इस पीठ पर बैठ कर आप अपने अधिकारों का उपयोग करें, यहां चर्चा हो, लोग अपनी बात कह सकें, ऐसे वातावरण का सृजन हो । इस शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं बधाई देता हूं और आदरणीय नेता सदन को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं कि एक योग्यतम व्यक्ति को इस पीठ के लिए चुना । माननीय टण्डन जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने योग्यतम व्यक्ति के चुनाव में आपना सहयोग दिया है और मौर्या जी को इस बात के लिए कि उन्होंने सच को सच कहने का साहस दिखाया है उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं । मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके प्रति शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और आपकी योग्यता को प्रणाम करता हूं ।

* श्री तेजपाल सिंह–

अध्यक्ष जी, आज बड़े हर्ष का दिन है कि आज इस गरिमामयी सदन में इस गरिमामयी आसन पर आप जैसे व्यक्ति का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है । यह पूरे सदन के लिए और आपके लिए सम्मान की बात है । मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जिस समय जंग -ए-आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय एक किसान परिवार में जन्म लेने के बाद आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं और छोटे से छोटे व्यक्ति की पीड़ा को समझने का उत्तरदायित्व आप पर आ गया है । मैंने आपको बहुत नजदीक से देखा है । मैं माननीय नेता सदन को बधाई देना चाहूंगा कि जब मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी देने की बात आई तो आप जैसे व्यक्ति को जो हर इंसान के दर्द को समझते हैं यह महसूस करके आपको श्रम मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय का मंत्री नियुक्त किया यह उनकी महानता है क्योंकि श्रम मंत्रालय ऐसा मंत्रालय है जिसमें लोगों के दुख-दर्द को आप जैसा व्यक्ति अच्छी तरह समझ सकता है । दूसरा निर्णय नेता सदन ने अपको पीठ पर आसीन करने का लिया है उसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं । सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि आपको महान नेताओं श्री राम मनोहर लोहिया जी और श्री चौधरी चरण सिंह जी के सानिध्य का अवसर मिला है । हमने बहुत नजदीक से देखा है और निश्चित रूप से हमने एक चीज आपमें पायी है कि समाज के अंतिम छोर का व्यक्ति जो दबा है, कुचला है उस व्यक्ति की आवाज बनने का काम आपने किया है । उनके घावों पर मरहम लगाने का काम आपने किया है ।

आज सबसे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की है और पूरे सदन के लिए यह प्रसन्नता की बात है कि आप जैसे विद्वान व्यक्तित्व का पूरे सदन ने निर्विरोध रूप से चयन किया है । यह बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है । मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा और चाहूंगा कि वह आपको इतनी ज्यादा क्षमता और कौशल दे कि जब आप इस गरिमामयी कुर्सी पर बैठें तो निश्चित रूप से सदन के छोटे से छोटे माननीय सदस्य को यह महसूस हो कि आज इस कुर्सी पर ऐसा व्यक्तित्व आसीन हुआ है जो हमारे हितों की रक्षा करेगा । यह सभी की अपेक्षा है । सभी की निगाहें आप पर लगी हैं । आप जब कभी भी यहां सदन में बैठते थे, जब कभी भी आप इस सदन में बोलते थे, तो मैंने इस सदन के कई साथियों को कहते सुना है कि पाण्डेय जी बोलने के लिए खड़े हुए हैं, उन्हें जरा सुन लें । ऐसी सोच सारा सदन आपके लिए रखता रहा है । हमें आज भी विश्वास है कि एक किसान परिवार से निकलकर आज आप इस कुर्सी पर आसीन हुए हैं तो इससे पूरे प्रदेश में एक अच्छा संदेश जायेगा और पूरे प्रदेश की जनता को लगेगा कि किसान का बेटा इस महान पीठ पर आसीन हुआ है । मैं इसके लिए आपको अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से बधाई देता हूं, अभिनन्दन करता हूं । मैं नेता सदन को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आप जैसे महान विद्वान को इस कुर्सी पर बिठाने का काम किया है । वह बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं । मान्यवर, इसी के साथ मैं अपनी तरफ से एवं अपने दल की तरफ से तथा सभी साथियों की तरफ से अपेक्षा और आशा करता हूं कि जिस तरह से आपका नाम और कार्यशैली रही है । उसी के अनुरूप सभी माननीय सदस्यों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप खरे उतरेंगे । यह हमारा भरोसा है । मैं भगवान से यह भी प्रार्थना करता हूं कि वह आपको शक्ति दे । हमारी बहुत-बहुत शुभकामनाएं हैं और हम आपका आदर करते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

* स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, नागरिक सुरक्षा मंत्री (श्री हरिशंकर तिवारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, आज इस गरिमामयी पद पर बैठकर गौतम बुद्ध की धरती से चलकर आपने इस पद को सुशोभित किया है । मैं माननीय नेता सदन, माननीय नेता विपक्ष, माननीय नेता बसपा, माननीय नेता कांग्रेस, मानीय नेता राष्ट्रीय लोकदल के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और बधाई देता हूं । आपने छात्र जीवन से समता मूलक समाज में जिस तरह से प्रतिबद्धता से ओत-प्रोत होकर संघर्ष किया यह उसी का प्रतिफल है कि आज इस गरिमामयी पद पर आप आसीन हैं । मैं आपको बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप उस गौतमबुद्ध की धरती से, जिसने शान्ति का संदेश दिया था, आप उसी के अनुरूप सभी माननीय सदस्यों की भावनाओं को देखते हुए अपनी निष्पक्षता के चलते उनकी भावनाओं का निराकरण करने में सफल होंगे । मैं पुनः नेता सदन और अन्य नेताओं का आभार व्यक्त करता हूं । उन्होंने यह दर्शाया है आपका आचरण और निष्पक्ष व्यवहार जो छात्र जीवन व सामान्य जीवन में रहा है और उसके प्रति उन्होंने जो आस्था जगायी है आप उसी के अनुरूप उसी निष्पक्ष भावना और आचरण से प्रतिबद्धता दिखाते हुए कार्य करेंगे यह मै भगवान से प्रार्थना करता हूं और शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं ।

* डा० राधा मोहन दास अग्रवाल–

मान्यवर, सबसे पहले मैं अपनी ओर से, अपने संगठन की और से और पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर से, विशेषकर गोरखपुर के नागरिकों की ओर से आपको इस सम्मानित सदन द्वारा अध्यक्ष चुने जाने पर इस सदन के प्रति आभार व्यक्त करता हूं । संभवतः पहली बार गोरखपुर की माटी से इस सदन में किसी को अध्यक्ष पद पर सुशोभित किया गया । हम लोगों का सौभाग्य रहा है कि आप गोरखपुर के प्रभारी मंत्री भी रहे हैं और गोरखपुर आप आते भी रहे हैं । आपकी लगातार गोरखपुर के विकास की चिन्ता रही है । आपके सरल स्वभाव और सहृदयता के लिए गोरखपुर आपका सम्मान करता है । मैं दो घटनाओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा । आप मंत्री के रूप में गोरखपुर विश्वविद्यालय गये थे । यह गोरखपुर के कुलपति का बयान है जो मैं पढ़ रहा हूं । आप गोरखपुर विश्वविद्यालय गाड़ी से आये और आपने गाड़ी गेट पर छोड़ दी और पैदल ही परिसर का आपने पूरा रास्ता पार किया । जब आपसे यह पूछा गया कि आप गाड़ी लेकर परिसर में क्यों नही आये तो आपने यह कहा कि मैं यहा का छात्र रहा हूं । आज यह गोरखपुर के अखबारों में छपा है । आज पूरे गोरखपुर में इसकी चर्चा बहुत सकारात्मक रूप में होती है । दूसरी बात यह है कि पीलिया की बीमारी फैली हुई थी गोरखपुर में । आप प्रभारी मंत्री के रूप में वहां पर आये थे और आपने विभाग की बैठक लेने का काम किया था । आपने लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करते हुए हम विपक्ष के विधायकों के सही सुझावों को सुना था जो परम्परा आपने गोरखपुर में चालित की है और जो परम्परा आप मंत्री के रूप में चालित करते रहे हैं हमें विश्वास है भाई प्रमोद जी ने जो सारी बातें हम लोगों से कहीं है वह सारी परम्पराएं जारी होंगी, एक बार पुनः धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

सदन को कल तक स्थगित किये जाने का सुझाव

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके इस स्थान पर आने से पहले सदन बहुत अव्यवस्थित था, मैं समझता हूं कि अभी भी वह परिस्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं । आज आपका प्रथम दिन है मैं नही चाहता हूं कि अनुशासन में कोई फर्क आये, मैं नेता सदन से भी आग्रह करूंगा कि बार-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बार इस सदन को स्थगित करने के बजाए इस सदन को कल तक के लिए स्थगित कर दें ताकि बार-बार अव्यवस्था न उत्पन्न हो ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिन्दु बिजली और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा लगी हुई है मैं समझ नही पाता कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में बिजली के संकट और कानून व्यवस्था पर चर्चा करने से क्यों घबरा रही है ? इतने दिनों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में रही, एक भी पावर हाऊस प्रदेश में नही लगा, शायद इसीलिए यह घबरा रहे हों, इनके शासन काल में प्रदेश की कानून व्यवस्था कैसी थी, यह भी किसी से छिपा नही है । छुट्टियां तो आप बचपन में लिया करते थे, अब तो यह परम्परा छोड़ दें ।

श्री लालजी टण्डन–

जिसके दोस्त आप हों, उसका दुश्मन आसमां क्यों हो, जिसकी तारीफ आप करें उसे तो ईश्वर ही बचाए ।

* संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, पहली बार आपके इस पीठ पर बैठे होने के बाद इस पीठ से मुखातिब हूं । मैं आपको इसके लिए दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं और संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर उम्मीद करता हूं कि पूरे सदन को इस पीठ से न्याय मिलेगा, जिस तरह आप विधान सभा के सदस्य के रूप में रहे हैं और जिस तरह मंत्री के तौर पर आपने काम किया है, उसी तरह मा० अध्यक्ष पीठ पर सुचारू रूप से काम करने में आपको कोई परेशानी और दुविधा नही होगी, अभी नेता प्रतिपक्ष ने एक सुझाव रखा है और यह भी फरमाया है उसे मैं धमकी समझूं या आपकी मोहब्बत । ''मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, यह वह नगमा है जो हर साज पर गाया नही जाता ।'' टण्डन जी ने फरमाया है कि आज का दिन अच्छा है और सदन का माखौल खराब न हो, अब तक जो माहौल खराब गया है, टंडन जी ने लगता है उसे देखा है और आगे उनके करने के लिए यह एक हल्का सा पश्चाताप् भी है मुझे इसमें कोई दिक्कत नही है, अगर विपक्ष चाहता है तो ।

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने सदन को कल तक के लिए स्थगित रखने का प्रस्ताव किया है, यह क्यों किया है इसका मुझे आश्चर्य नही है मुझे आश्चर्य इस बात का है कि आपने बड़ी चतुराई से पहले ही दिन अपने बिन्दु को उठा दिया और माननीय अध्यक्ष जी को दे भी दिया । माननीय प्रमोद कुमार जी ने कई सवाल उठाये, बी०एस०पी० ने उठाए, असल लड़ाई तो यह है कि सरकार का विरोध पहले कौन करे, इस आधार पर सदन को नही चलने देंगे यह माननीय नेता प्रतिपक्ष भी कहेगे हम तैयार हैं, बहस करने के लिए सरकार की जितनी भी कमजोरियां हैं आप बता सकते हैं बताइए हम उनको सुधारेंगे । लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के कुछ माननीय नेता लोग, हमारा जो उत्तर आयेगा, उससे परेशान हैं । जिसका माननीय नेता कांग्रेस पार्टी ने इशारा कर भी दिया है । लेकिन हम चाहते हैं कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक जल्दी बुलायी जाय । आप जितनी बहस चाहते हैं हम कराने के लिए तैयार हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, इस सत्र में सरकारी काम कुछ ज्यादा नहीं है । आपको माननीय लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी की जो मांग थी, उस वायदे को पूरा करने के लिए हमने सदन बुलाया है । हम सदन को ज्यादा से ज्यादा चलाना भी चाहते हैं । लेकिन लगातार जो यह व्यवधान हो रहा है, ठीक है हम लोग भी करते रहे हैं, लेकिन यह जो दिन-प्रतिदिन इस प्रकार से सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है, यह कोई अच्छा काम नहीं है । अभी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुला ली जाय, उसमें सब तय हो जाय कि आप कब बहस चाहते हैं और कितनी बहस चाहते हैं और जवाब देने के लिए हम तैयार हैं । लेकिन ऐसा न हो कि हम यहां जवाब दें और आप चले जायें । ऐसा मैंने कभी नहीं किया है, संसद में भी नहीं किया है, हम संसद में अपने सहयोगियों को समझाते थे कि लगातार करेंगे आप सोचें आप भी कभी सत्ता में आयेंगे तो वे महसूस करते थे और कहते थे कि आप सही कह रहे हैं ।

लेकिन मेरा आपसे यह कहना है कि ऐसा मत करिये, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय नेतागण बैठ जायें, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुला ली जाय । आप तय कर लें हम पूरी बहस कराने के लिए तैयार हैं । हम आपको अपने उत्तर से सन्तुष्ट करने का भी प्रयास करेंगे । जो प्रस्ताव है आपका कि अच्छा माहौल है, यह माहौल बिगड़ने न पाये, तो उसमें आपत्ति नहीं है ।

प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सुने जाने की मांग (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, हमारी नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पूर्व से चल रही थी ।

श्री अध्यक्ष–

अभी तो सारी औपचारिकतायें शेष हैं ।

नव-निर्वाचित अध्यक्ष, विधान सभा श्री माता प्रसाद पाण्डेय को बधाई (क्रमागत)

*श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अभी तो शुभकामनायें दी जा रही हैं ।

अध्यक्ष जी, हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि आज इस महान सदन की गरिमामयी और सर्वोच्च कुर्सी पर आपको सर्वसम्मति से सदन ने निर्वाचित किया है । यह प्रसन्नता की बात केवल आपके लिए नहीं है, यह हम सबके लिए है । कम से कम खासतौर से बस्ती, सिद्धार्थनगर, सन्त कबीर नगर के लोगों के लिए भी है, जिस माटी से आपने अपने राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन की एक छोटे से गांव से शुरुआत की थी । आज आप इस प्रदेश और सदन की सर्वोच्च कुर्सी पर पीठासीन हुए हैं । आज वहां का एक-एक व्यक्ति इस खुशी को महसूस कर रहा है और यह सौभाग्य की बात है कि यह सम्मान उस माटी को मिला है । आज उस माटी की सुगन्ध को, उसकी खूबसूरती को, सभी ने पहचाना है ।

मान्यवर, जब हम अपने अध्यक्ष का चुनाव करते हैं तो उनको शुभकामनायें देते हुए यह अपेक्षा करते हैं कि सदन की गरिमा की, सदन की मर्यादाओं की, सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा, आप हमारे एक मुखिया के रूप में करेंगे । इस आदरणीय पीठ पर आपके आसीन होने के बाद इस पूरे सदन को इस बात का एहसास है कि आप हमें अपना संरक्षण देंगे । इसके पहले भी आप जिन पदों पर रहे हैं वहां आपने अपने दायित्वों का निर्वहन जिस प्रकार से किया है, उसमें आपने अपनी एक अमिट छाप

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

छोड़ी है । इसके पहले भी सदन में आप एक सदस्य के रूप में जिस संसदीय मर्मज्ञता का, संसदीय परम्पराओं का भली प्रकार निर्वहन करते रहे हैं, उससे हम सब अवगत हैं ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया शान्ति बनाये रखें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

आज इस संसदीय परम्पराओं का जो क्षरण हो रहा है, आपने एक योग्यतम सदस्य के रूप में विपक्ष में बैठकर भी उन संसदीय परम्पराओं की रक्षा करने का काम किया है । आज इस पूरे सदन के लिए यह प्रसन्नता की बात है कि सदन की इस सर्वोच्च कुर्सी पर आप बैठे हैं । हमें विश्वास है कि सदन के सभी सदस्यों के अधिकारों की पूरी रक्षा होगी और हम सबके क्षेत्रों के विकास के प्रति आपकी प्रतिबद्धता होगी ।

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

मैं केवल आपसे, इस अवसर पर शुभकामनायें देते हुए. एक बात कहना चाहता हूं ।

मान्यवर, पीठ पर बैठकर, आज इस सदन में चर्चा के सम्बन्ध में यह सभी सदस्यों की इच्छा होती है कि वह अपने क्षेत्र के प्रति जो उत्तरदायित्व है, उनकी भावना है या जनता के प्रति जवाबदेही है, उस कर्तव्य का पालन कर सके और वह कर्तव्य का पालन तभी हो सकता है जब सदन 90 दिन चले और मैं आज मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई बहुत ज्यादा सरकारी कामकाज नहीं है, कुछ विधेयक हैं इसके बावजूद सदन को ज्यादा से ज्यादा दिन चलाना चाहता हूं यह हम सबका दायित्व बनता है । हमें उम्मीद है कि सदन ज्यादा चले तो प्रदेश की ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का उल्लेख यहां कर सकते हैं क्योंकि हम सबकी सार्थकता केवल यही है जब हम प्रदेश की तमाम ज्वलन्त समस्याओं को यहां पर उठा सकें और आपकी पीठ से सरकार को निर्देश मिल सके । इतने महत्वपूर्ण होते हैं जैसे प्रश्न प्रहर है जिसमें आपके प्रश्न आते हैं उसमें प्रश्न के अनुपूरक सवालों के करने का अधिकार होता है, कार्य-स्थगन और जीरो आवर्स भी है उसमें विपक्ष और सत्तापक्ष सबको अधिकार है कि ज्यादा से ज्यादा बहस कर सकते हैं इसमें सदस्य की सार्थक भूमिका होती है । हमें उम्मीद है कि आप सर्वोच्च पीठ पर बैठकर इस सदन की महत्वपूर्ण परम्पराओं को कायम रखेंगे और यह सदन को बधाई देता हूं कि यह सदन जिस तरह से सर्वोच्च पीठ के लिए आचरण करता था उसी तरह से आज आपके प्रति विश्वास व्यक्त करे । पूरे सदन ने सर्वसम्मति से चुना है, आपको बहुत-बहुत बधाई ।

नव-निर्वाचित अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा सदन के प्रति आभार व्यक्त किया जाना

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता सदन, सम्मानित नेता प्रतिपक्ष, श्रद्धेय नेता बहुजन समाज पार्टी, आदरणीय नेता कांग्रेस श्री प्रमोद कुमार जी, नेता राष्ट्रीय लोकदल, नेता लोकतान्त्रिक कांग्रेस और माननीय जगदम्बिका पाल जी ने जो उद्गार आज हमारे चुने जाने पर यहां व्यक्त किये, मैं इस सबके लिए आप सबके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूं । उत्तर प्रदेश की विधान सभा हिन्दुस्तान की सबसे बड़ी विधान सभा है और इसमें सर्वसत्ता सम्पन्न लोगों द्वारा चुनी हुई महान विभूतियां इस सदन में आती हैं । उनकी अध्यक्षता करने का जो अवसर आपने मुझे दिया है इसके लिए भी मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं । संसदीय मर्यादाओं में पीठ की तरफ जो आप सब माननीय नेतागण ने अपने विचार व्यक्त किये हैं उस सबके प्रति अपने दायित्व को समझते हुए मैं समझता हूं कि इस विधान सभा के माध्यम से हम सब

लोग, जो इस प्रदेश की ज्वलन्त समस्यायें हैं, जो हमारे प्रदेश की कठिनाईयां हैं उन सबका निराकरण हम यहां बैठकर कर सकेंगे । आजकल जो लोक चर्चायें होती हैं जो जनता की भावनाएं होती हैं उसकी अभिव्यक्ति इस विधान सभा में होती है । हम सब अगर उस अभिव्यक्ति पर उनकी भावनाओं पर चर्चा और उसका निदान खोजने में सफल नहीं होते हैं तो यह माना जायेगा कि हम लोग जनता के प्रतिनिधि के रूप में उन दायित्वों के निर्वहन करने में कहीं कोताही कर रहे हैं, जिसकी अपेक्षा हमसे साधारण लोग करते हैं ।

मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए, आपको आश्वस्त करता हूं कि जो मेरे पूर्ववर्ती अध्यक्षों ने, माननीय सम्मानित पीठासीन अधिकारियों ने जो अपेक्षा की है, जो परम्परायें कायम की हैं, उस परम्परा को उत्तरोत्तर हम आपके सहयोग से बढ़ाने का निरन्तर प्रयास करेंगे, यह मैं आपको आश्वासन देता हूं । यह विधान सभा है और हम विभिन्न विचारों के लोग इसमें आते हैं । विचारों की टकराहट होना स्वाभाविक है, लेकिन विचारों की टकराहट, कड़ुवाहट में न बदले, यह हम सबका गुरूत्तर दायित्व है । यदि विचारों की टकराहट कड़ुवाहट में बदलेगी तो विधान सभा में जिन समस्याओं का निदान हमें करना है, उसमें कहीं न कहीं कोई रुकावट पड़ सकती है । मैं माननीय सदस्यगण से और जो माननीय नेतागण हैं, जो आपने सहयोग का आश्वासन दिया है, मैं उस आश्वासन के आधार पर आपको पुनः आश्वस्त करता हूं कि इस विधान सभा को, हम उत्तर प्रदेश की विधान सभा को हिन्दुस्तान की विधान सभा के रूप में एक अच्छी विधान सभा में परिवर्तित करने का प्रयास करेंगे । अभी जब उद्गार व्यक्त किये जा रहे थे तो उसमें कुछ टिप्पणियां भी आयीं । यह अवसर टिप्पणियों का नहीं था । हम यहां टिप्पणी करें, चर्चा करें, विचार करें और विचार करने के बाद एक दिशा-निर्देश इस प्रदेश की जनता को दे सकें, इन्हीं अपेक्षाओं और भावनाओं के साथ मैं आप सबके प्रति आभार प्रकट करते हुए नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य दल के नेताओं को, माननीय हिन्दू महासभा के नेता के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और फिर एक बार आश्वस्त करता हूं कि एक बार टकराहट आयी थी, 1964 में, लेकिन इस विधान सभा ने अपनी गरिमा को बचाने में सफलता प्राप्त की थी, हम आपको फिर आश्वस्त करते हैं कि आपकी गरिमा, आपके सम्मान की और इस विधान सभा को एक उत्तम विधान सभा, सर्वोच्च विधान सभा के रूप में पूरे हिन्दुस्तान में प्रतिस्थापित करने का सतत् प्रयास करूंगा ।

(तालियों की गड़गड़ाहट)

प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सुने जाने की मांग (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी,

श्री अध्यक्ष–

अब यह शून्य प्रहर है और शून्य प्रहर में नियम–301 की.....

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि नियम–311 के अन्तर्गत पूर्व में मैं जब बोल रहा था तो पीठ से निर्देश के बाद हम लोग अपने स्थान पर वापस आ गये थे ।

श्री अध्यक्ष–

नियम–311 तब आता है, जब सारे नियम उपलब्ध न हों । आपकी इस नियमावली में तमाम नियम हैं, जिनके माध्यम से आप अपनी बात कह सकते हैं, तो फिर 311 का कोई औचित्य नहीं रह जाता है ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, यह बहुत ही ज्वलन्त मामला है क्योंकि पूरे प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को....

श्री अध्यक्ष–

जब दूसरे नियमों में आपको अधिकार प्राप्त है, तो उन नियमों के माध्यम से मामला उठाइये ।

(भारतीय जनता पार्टी तथा बहुजन समाजपार्टी के सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन को आश्वस्त किया है कि बैठकर विचार-विमर्श करके समस्या का निदान करेंगे, तो कोई औचित्य नहीं है । आप लोग सदन चलने दें ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री सतीश महाना एवं अन्य विपक्ष के सदस्यगण अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे ।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया बैठ जायें और तब बतायें कि क्या कहना चाहते हैं ?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, नियम–311 के अन्तर्गत.....

श्री अध्यक्ष–

आप नियमावली को पढ़िये, जब आपको दूसरे नियमों जैसे नियम–56, नियम–52 में अपनी बात कहने का प्राविधान है तो उसमें लाइये, नियम–311 में नहीं ।

[श्री इन्द्रजीत, श्री ओम प्रकाश (ओ०पी० सिंह) तथा श्री भगेलूराम के साथ बसपा के सदस्य सदन के वेल में आकर नारेबाजी करने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया ।]

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी बात को नियमों के अन्तर्गत लाइये, मैं सुन लूंगा । नियम–311 की तब आवश्यकता होती है जब वह दूसरे नियमों में न आ रहा हो । मैं पहली बार पीठ पर बैठा हूं, मुझे भी कुछ कहने-सुनने दीजिये । पूरी चर्चा के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी तैयार हैं, सरकार तैयार है, आप प्रस्ताव तो लाएं । आप लोग तो पहले ही लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गये ।

अध्यक्ष पीठ का ध्वनि विस्तारक यन्त्र ठीक कराये जाने का निर्देश

श्री अध्यक्ष–

यह माइक ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसे ठीक कराया जाए ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सदन के वेल में नारे लगाते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान जारी रहा।)

(घोर व्यवधान/शोर)

प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति पर नियम–311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना को सुने जाने की मांग (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग अपना आसन ग्रहण करें। आपकी पूरी बात सुनने को तैयार हूं। आज दो बजे दलीय नेताओं की बैठक भी है उसमें बात करने को तैयार हूं।

(घोर व्यवधान/शोर जारी रहा।)

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2004 [जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ]

प्रमुख सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिए प्राप्त, उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 204 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

(सदन की वेल में आये हुए सदस्यगण नारे लगाते रहे।)

नेता विरोधी दल के सुझाव पर मा० अध्यक्ष के निर्वाचन की खुशी में सदन की आज की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी नेता प्रतिपक्ष का प्रस्ताव आया था कि आज सदन पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया जाए। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष से सहमति व्यक्त करते हुए यह प्रस्ताव करता हूं कि आज माननीय अध्यक्ष जी के निर्वाचन की खुशी में सदन की आज की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी जाए।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपथित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे (पूर्वाह्न) पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 01 बजकर 35 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक 26 जुलाई, 2004

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

संलग्नक

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या–5 का उत्तर पीछे पृष्ठ 4 पर)

1–प्रतिवेदन संख्या–13 में की गयी संस्तुति उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, 2002 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 2002) के अधिनियमन के फलस्वरूप पूर्ण हो जाती है ।

2–प्रतिवेदन संख्या–16 में की गयी संस्तुति सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2003) के अधिनियमन के फलस्वरूप पूर्ण हो जाती है ।

3–प्रतिवेदन संख्या–18 में की गयी संस्तुति में प्रस्तावित विधेयक की मूल प्रारूप की प्रतियां राज्य विधि आयोग ने शासन के चिकित्सा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग को उनकी राय जानने के लिए भेजी थीं । चिकित्सा विभाग ने जनसंख्या नियंत्रण सम्बन्धी अधिनियम लागू न किये जाने के सम्बन्ध में अपना अभिमत दिया है । अतः प्रश्नगत संस्तुति पर अग्रतर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

4–प्रतिवेदन संख्या–10 में की गयी संस्तुति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 2003 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2003) के अधिनियमन के फलस्वरूप पूर्ण हो जाती है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–165 का उत्तर पीछे पृष्ठ 72 पर)

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2004 के पहले सोमवार हेतु निर्धारित श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 165 के उत्तर का संलग्नक

क्रमांक	थाना का नाम	प्राप्त आवेदन-पत्र	स्वीकृत लाइसेंस
1	2	3	4
1	कुण्डा	48	09
2	जेठवारा	151	13
3	हथिगवां	65	13
4	महेशगंज	47	02
5	नवाबगंज	46	01
6	मानकपुर	56	06
7	कोतवाली नगर	414	73
8	बाघराय	116	03
9	संग्रामगढ़	29	03
10	मानधाता	90	09
11	सांगीपुर	45	01
12	कोतवाली पट्टी	60	11
13	कन्धई	75	14
14	आसपुर देवसरा	44	08
15	लालगंज	110	09
16	कोहडोर	35	03
17	फत्तनपुर	33	06
18	उदयपुर	38	02
19	रानीगंज	85	18
20	अन्तू	120	15
	योग :	1707	219

पी०एस०यू०पी०–एल० 155 एल०ए० (000) 2004–813 प्रतियां (डी०टी०पी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा